सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की किसानों के लिए मार्गदर्शिका 2017-18

A Farmer Friendly Handbook for Schemes & Programmes 2017-18

सत्यमेव जयते

भारत सरकार | Government of India

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

Launching of National Agriculture Market

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की किसानों के लिए मार्गदर्शिका

2017 – 18

A Farmer Friendly Handbook Schemes & Programmes of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW)

2017 – 18

यह पुस्तिका क्यों ?

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने किसानों के लिए राज्य सरकारों के जरिए कृषि विकास से संबंधित कई योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। प्रत्येक योजना से संबंधित दिशानिर्देशों व परिपत्रों में उसके विभिन्न घटकों के लिए सहायता के प्रकार और सहायता की मात्रा दर्शाई गई है।

इस पुस्तिका में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित विषय शामिल किए गये हैं जैसे; 1. कृषि बीमा : प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, 2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, 3. सिंचाई–प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं अन्य योजनाएं, 4. कृषि विपणनः राष्ट्रीय कृषि बाजार, 5. जैविक खेतीः परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), 6. बागवानी, 7. बीज, 8. मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी, 9. किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण, 10. कृषि ऋण, 11. पौध संरक्षण, 12. सतत कृषि।

इसके अलावा इन विषयों के प्रयोगात्मक पहलुओं से संबंधित विस्तृत सुझावों को भी शामिल किया गया है। अतः हर विषय को तीन पहलुओं में बांटा गया है जैसे – आप क्या करें ? आप क्या प्राप्त कर सकते हैं ? किससे संपर्क करें ?

यह पुस्तिका विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसार विवरण देने के बजाए कृषि के अलग–अलग पहलुओं के अनुसार सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यह पुस्तिका किसानों के जीविका को सुधारने और देश के विस्तार कर्मियों एवं नीति निर्माताओं को दिशानिर्देश उपलब्ध कराने में मददगार होगी। भारत सरकार की गतिविधियों/ कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ये दिशानिर्देश उचित संस्थानों/विभागों से संपर्क करने में किसानों की सहायता करेंगे।

अमिताभ गौतम
संयुक्त सचिव (विस्तार)
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग
भारत सरकार
amitabh.gautam@gov.in

Why this Handbook ?

The Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Government of India, has been implementing various schemes and programmes for the benefit of farmers through State Governments. The Guidelines of each of these schemes and circulars/instructions issued thereunder provide relevant details on the type and extent of benefits for different components promoted under these schemes.

The Handbook has been prepared by categorizing various activities in 12 different themes viz. 1. Agricultural Insurance: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY), 2. Soil Health Card, Soil Conservation and Micronutrients, 3. Irrigation: Prime Minister Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) & other Schemes, 4. Agricultural Marketing: National Agriculture Market, 5. Organic Farming: Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY), 6. Horticulture, 7. Seeds, 8. Mechanization and Technology, 9. Training and Extension for Farmers, 10. Agricultural Credit, 11. Plant Protection and 12. Sustainable Agriculture.

Besides this, broad suggestions on practical aspects of each of these themes have also been included. Each theme thus gets divided into three aspects viz. 'What to do?', 'What you can get?' and 'Whom to contact?'

This Handbook has been conceived by arranging component-wise information rather than in terms of schemes/programmes. This Handbook will facilitiate the farmers and provide guidance to extension workers and policy makers of the country. The scheme/programme would enable the farming community to have access to the right institutions/departments for becoming the beneficiaries of the Government of India's initiatives/programmes/schemes.

Amitabh Gautam
Joint Secretary (Extension)
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
Government of India
amitabh.gautam@gov.in

अनुक्रमणिका

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	कृषि बीमाः प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना	6–11
2.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व	12–19
3.	सिंचाईः प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं अन्य योजनाएं	20–27
4.	कृषि विपणन : राष्ट्रीय कृषि बाजार	28–37
5.	जैविक खेती : परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	38–57
6.	बागवानी	58–101
7.	बीज	102–113
8.	कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी	114–163
9.	किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण	164–177
10.	कृषि ऋण	178–183
11.	पौध संरक्षण	184–189
12.	सतत कृषि	190–195

INDEX

S.No.	Chapter	Page No.
1.	Agricultural Insurance: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)	6- 11
2.	Soil Health Card, Soil Conservation and Micronutrients	12 - 19
3.	Irrigation : Prime Minister Krishi Sinchai Yojana & Other Schemes	20 - 27
4.	Agricultural Marketing : National Agriculture Market	28 - 37
5.	Organic Farming : Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY)	38 - 57
6.	Horticulture	58 - 101
7.	Seeds	102 - 113
8.	Mechanization and Technology	114 - 163
9.	Training and Extension for Farmers	164 - 177
10.	Agricultural Credit	178 - 183
11.	Plant Protection	184 - 189
12.	Sustainable Agriculture	190 - 195

1

कृषि बीमाः प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

क्या करें ?

- प्राकृतिक जोखिमों जैसे–प्राकृतिक आपदा/संकट, कीट, कृमि और रोग एवं विपरीत मौसम परिस्थितियों के विरूद्ध अपने आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- अपने क्षेत्र में लागू उचित फसल बीमा योजना से लाभ उठाना।
- इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्यूबीसीआईएस), नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) और 45 जिलों में पायलेट एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस) नामक 4 बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
- यदि आप अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेते हैं तो अपने आपको पीएमएफबीवाई/डब्ल्यूबीसीआईएस/सीपीआईएस/यूपीआईएस के अंतर्गत शामिल होना अनिवार्य है ।
- गैर ऋणी किसानों के लिए इसमें शामिल होना स्वैच्छिक है।
- फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी/कार्यरत बैंक/पैक्स (पीएसीएस) अथवा फसल बीमा कम्पनी की निकटवर्ती शाखा से सम्पर्क करें ।

क्या पायें ?

क्र.सं.	योजनाएं	सहायता
1.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	• राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा। • सभी किसानों के लिए एक समान रूप में निर्धारित प्रीमियम : i) खरीफ मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 2 % ii) रबी मौसम में बीमित राशि का अधिकतम 1.5 % iii) वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसल में बीमित राशि का अधिकतम 5 % • बीमांकिक प्रीमियम और किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर के बीच अंतर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जायेगा। • पूर्ण क्षतिपूर्ति बिना कटौती या कमी के। • यदि विपरीत मौसम/जलवायु के कारण बुवाई नहीं हो पाती है तो बुवाई/रोपण जोखिम के लिए बीमित राशि के 25 % तक दावा/क्षतिपूर्ति देय होगी। • जब फसल उपज अधिसूचित फसल की गारंटीशुदा उपज से कम हो, तब सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान स्तर उपज में कमी के अनुसार देय होगा। • यदि फसल के मध्य में ही 50 % फसल की हानि हो जाती है तो तत्काल राहत के रूप में 25 % तक संभावित दावों का भुगतान अग्रिम किया जायेगा।

1

AGRICULTURAL INSURANCE : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)

What to do?

- Safeguard yourself financially against natural risks like natural disasters/ calamities, insect, pests & diseases and adverse weather conditions.
- Take benefit of appropriate crop insurance scheme applicable in your area.
- Four insurance schemes are being implemented namely, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS), Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS) and Pilot Unified Package Insurance Scheme (UPIS) (45 districts).
- Coverage under PMFBY/WBCIS/CPIS/UPIS is compulsory, if you avail crop loan for notified crops.
- Coverage is voluntary for non-loanee farmers.
- Contact Dsitrict Agriculture officers of State Govt./nearest branch of bank/PACS or crop insurance company operating in your area for availing the benefits under the Crop Insurance Scheme.

What You Can Get?

Sr. No.	Scheme	Assistance
1.	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)	• Insurance protection for food crops, oilseeds and annual horticultural/ commercial crops notified by state government. • Uniform maximum premium for all farmers : i) Kharif season - 2% of sum insured. ii) Rabi Season 1.5% of sum insured. iii) Annual commercial/horticultural crops - 5% of sum insured. • The difference between actual premium and the rate of Insurance payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State. • Claims of full Sum Insured (SI), without capping or reduction in SI. • If the sowing is not done due to adverse weather/climate, claims upto 25% of sum insured will be paid for prevented sowing/planting risk. • When the crop yield is less than the guaranteed yield of notified crops, the claim payment equal to shortfall in yield is payable to all insured farmers.

क्र.सं.	योजनाएं	सहायता
		• बाढ़, ओलावृष्टि और भूस्खलन की वजह से नुकसान का मूल्यांकन खेत स्तर पर किया जाएगा। • खेत में कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने हेतु रखी फसल यदि 14 दिनों के अन्दर चक्रवाती बारिश व बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती है तो क्षतिपूर्ति का आंकलन खेत स्तर पर किया जाएगा। • दावों के त्वरित निपटान हेतु रिमोट सैंसिंग प्रॉद्यौगिकी और ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। • बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा।
2.	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)	• राज्य द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों, तिलहनों और बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए सुरक्षा बीमा योजना। • पीएमएफबीवाई के समान सभी किसानों के लिए निर्धारित प्रीमियम जैसेः– क. खरीफ मौसम–बीमित राशि का अधिकतम 2 % ख. रबी मौसम–बीमित राशि का अधिकतम 1.5 % ग. वाणिज्यिक/बागवानी फसल–बीमित राशि का 5 % • किसानों द्वारा देय वास्तविक प्रीमियम तथा बीमा के दर के बीच अंतर को केंद्र एवं राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। • यदि मौसम (वर्षा/तापमान/संबद्ध आद्रता/हवा की गति आदि) अधिसूचित फसलों के प्रत्याभूति गारंटी मौसम सूची से भिन्न (कम अथवा अधिक) होते हैं, तब अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों के लिए भिन्नता/कमी के समतुल्य क्षतिपूर्ति भुगतान देय है। • व्यक्तिगत फॉर्म स्तर पर ओलावृष्टि तथा बादल फटने के कारण हानियों का आकलन करने का प्रावधान है। • बीमा कम्पनी का चयन राज्य सरकार द्वारा टेन्डर के माध्यम से किया जायेगा।
3.	नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस)	• नारियल पाम उत्पादकों के लिए सुरक्षा बीमा। • प्रति पाम प्रीमियम दर ₹ 9.00 (4 से 15 वर्ष की आयु सीमा में) व ₹ 14.00 (16 से 60 वर्ष की आयु सीमा में)। • सभी श्रेणी के किसानों को प्रीमियम में 50 से 75% की अनुदान (सब्सिडी) राशि दी जाती है। • पाम फसल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अधिसूचित क्षेत्रों के सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान, आदानों के मूल्य में नुकसान/क्षति के समतुल्य देय होता है।

Sr. No.	Scheme	Assistance
		• On account advance payment, up to 25% of likely claims will be paid as immediate relief. • Losses caused by inundation, hailstorm and landslide would be assessed at individual farm level. • Post harvest losses assessment for damage to crops in cut and spread in the field up to 14 days on account of cyclonic rain and unseasonal rain in the entire country . • Use of Remote Sensing Technology and drones to supplement Crop Cutting Experiments for faster settlement of claims. • Implementing agency will be selected by the State Government through bid.
2.	Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS)	• Insurance protection for notified food crops, oilseeds and annual horticultural/commercial crops. • Uniform maximum premium for all farmers like PMFBY : a) Kharif season - 2% of sum insured. b) Rabi Season 1.5% of sum insured. c) Commercial/horticultural crops 5% of sum insured. • The difference between actual premium and the rate of Insurance payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State. • When the weather indices (rainfall/ temperature/relative humidity/wind speed etc.) is different (less or higher) from the Guaranteed Weather Index of notified crops, the claim payment equal to deviation/shortfall is payable to all insured farmers of notified area. • Provision for assessment of losses caused by hailstorm and cloudburst at individual farm level. • Implementing agency will be selected by the State Government through bid.
3.	Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS)	• Insurance protection for Coconut Palm growers. • Premium rate per palm ranges from Rs. 9.00 (in the plant age group of 4 to 15 years) to Rs. 14.00 (in the plant age group of 16-60 years). • 50-75% subsidy of premium is provided to all types of farmers. • When the palm damaged, the claim payment equal to input cost loss damage is payable to the insured in notified areas.

क्र.सं.	योजनाएं	सहायता
4.	45 जिलों में पायलट के रूप में एकीकृत पैकेज बीमा योजना (यूपीआईएस)	• किसानों को वित्तीय संरक्षण एवं फसल, परिसंपत्ति, जीवन तथा विद्यार्थी सुरक्षा की व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करने हेतु। • पायलट में सात खण्ड अर्थात् फसल बीमा (पीएमएफबीवाई/डब्ल्यूबीसीआईएस), जीवन की हानि (पीएमजेजेबीवाई), दुर्घटना मृत्यु एवं विकलांगता, विद्यार्थी सुरक्षा, परिवार, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर शामिल। • फसल बीमा को अनिवार्य किया जाएगा तथापि किसान शेष में से कम से कम दो खण्ड का चुनाव कर सकते हैं। • किसान एक सामान्य प्रस्ताव/आवेदन प्रपत्र तथा एकल व्यवस्था के माध्यम से किसानों के लिए सभी आपेक्षित बीमा उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। • बीमा परिसंपत्तियों के अलावा सरकार की दो फ्लैगशिप योजनाएं यथा पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई को शामिल किया गया है। • एकल व्यवस्था पटल के माध्यम से पायलट योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। • व्यक्तिगत दावे रिपोर्ट के आधार पर दावों (फसल बीमा के अलावा) का प्रसंस्करण।

किससे संपर्क करें ?

बैंक की नजदीकी शाखा/कृषि सहकारी समितियां/सहकारी बैंक/क्षेत्र के लिए अधिसूचित सामान्य बीमा कंपनी तथा जिला कृषि अधिकारी/खंड विकास अधिकारी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा वैब पोर्टल www.agri-insurance.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

Sr. No.	Scheme	Assistance
4.	Unified Package Insurance Scheme (UPIS) as pilot in 45 districts.	• To provide financial protection & comprehensive risk coverage of crops, assets, life, and student safety to farmers. • Pilot will include seven section Viz., crop Insurance (PMFBY/WBCIS), Loss of Life (PMJJBY), Accidental Death & Disability (PMSBY), Student Safety, Household, Agriculture implements & Tractor. • Crop Insurance will be compulsory. However, farmers can choose at least two section from remaining. • Farmers may be able to get all requisite insurance products for farmers through one simple proposal/ application Form and through single window. • Two flagship schemes of the Government viz PMSBY & PMJJBY have been included apart from insurance of assets. • Pilot scheme will be implemented through single window. • Processing of claims (other than Crop Insurance) on the basis of individual claim report.

Whom to Contact?

Nearest branches of Bank/ PACS/Cooperative Banks/ Empanelled General Insurance Companies notified for the area and District Agriculture Officer/Block Development Officer may be contacted or visit web portal www.agri-insurance.gov.in.

2

मृदा स्वास्थ्य कार्ड, भूमि संरक्षण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व

क्या करें ?

- मिट्टी की जांच के आधार पर हमेशा उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें।
- मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग करें।
- उर्वरकों का पूर्ण लाभ पाने हेतु उर्वरक को छिड़कने की बजाय जड़ों के पास डालें।
- फास्फेटिक उर्वरकों का विवेकपूर्ण और प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करें ताकि जड़ों/तनों का समुचित विकास हो तथा फसल समय पर पके, विशेष रुप से फलीदार फसलें, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करती है।
- सहभागी जैविक गारन्टी व्यवस्था (पी.जी.एस. इंण्डिया) प्रमाणीकरण अपनाने के इच्छुक किसान अपने आस–पास के गांव में कम से कम पांच किसानों का एक समूह बनाकर इसका पंजीकरण निकटतम जैविक खेती के क्षेत्रीय केन्द्र में करायें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड : मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 19 फरवरी, 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सभी जोत धारकों को हर दो वर्ष के अंतराल के बाद दिये जाएंगे ताकि वे फसल पैदावार लेने के लिए सिफारिश किए गये पोषक तत्व डाले ताकि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़े।

क्या पायें ?

मिट्टी सुधार के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
1.	सूक्ष्म तत्वों तथा भूमि सुधार तत्वों का वितरण।	₹ 2500/– प्रति हेक्टेयर	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
1. क	जिप्सम/पाईराइट/चूना/डोलोमाइट की आपूर्ति	लागत का 50% + परिवहन, कुल ₹ 750/– प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	तिलहन एवं ऑयल पाम राष्ट्रीय मिशन

2

SOIL HEALTH CARD
SOIL CONSERVATION AND MICRONUTRIENTS

What to do?

- Always use appropriate quantity fertilizer based on soil test.
- Use organic manures to maintain the fertility of soil.
- In order to get maximum benefit of the fertilizers, always apply in root zone instead of broadcasting.
- Resort to judicious and efficient use of Phosphatic Fertilizers for proper development of roots/shoots and timely maturity of crops, particularly the legumes which fix atmospheric Nitrogen for enrichment of soil.
- Farmers desirous of adopting Participatory Organic Guarantee System (PGS – India) Certification system may form a group of at least 5 farmers and get it registered with the nearest Regional Centre of Organic Farming.

Soil Health Card: Soil health card has been launched on 19th February 2015 Under the scheme, Soil health card will be provided to all farm holdings in the country at an interval of 2 years so as to enable the farmers to apply appropriate recommended dosages of nutrients for crop production and improving soil health and its fertility.

What You Can Get?

Assistance for Soil Improvement

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/maximum limit	Scheme/Component
1.	Distribution of Micronutrients & soil ameliorants.	Rs. 2500/ha	Soil Health Card scheme
1. a	Supply of gypsum/pyrite/ lime/dolomite	50 % cost of the material + transportation limited to Rs. 750 per hectare.	National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
2.	पौध संरक्षण रसायन	कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, जैव कीटनाशकों, जैव घटकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव उर्वरक आदि लागत के 50 % की दर से जो ₹ 500/—प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	तिलहन एवं ऑयल पाम राष्ट्रीय मिशन
3.	जैविक खेती अपनाने के लिए	₹ 10000/— प्रति हेक्टेयर	राष्ट्रीय बागवानी मिशन/पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन समेकित बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत उप योजना।
4.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	₹ 50000/— प्रति इकाई (जिसका परिमाप 30'X8'X2.5' अथवा अनुपातिक आधार पर 600 वर्ग फुट)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन/पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन। एमआईडीएच की सहायक योजना।
5.	अच्छी मोटाई वाली पोलीथीन वर्मी बेड	₹ 8000/— प्रति इकाई (जिसका परिमाप 12'X4'X2' अथवा अनुपातिक आधार पर 96 क्यूबिक फुट)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) /पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन/ एमआईडीएच की सहायक योजना।
6.	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन	₹ 1200/— प्रति हेक्टेयर (4 हेक्टेयर तक)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन/पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन। एमआईडीएच की सहायक योजना।
7.	जिप्सम फास्फोजिप्सम/ बेन्टोनाइट सल्फर की आपूर्ति	लागत का 50 %, जो ₹ 750/— प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
8.	सूक्ष्मपोषक तत्व	लागत का 50 %, जो ₹ 500/— प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
9.	चूना/चूनायुक्त सामग्री	सामग्री की लागत का 50 %, जो ₹ 1000/—प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
10.	जैव उर्वरक (राइजोबियम/ पीएसबी)	लागत का 50 %, जो ₹ 300/— प्रति हेक्टेयर तक सीमित।	बीजीआरईआई/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
11.	नई मोबाइल/अचल मृदा जांच प्रयोगशालाओं (एमएसटीएल/ एसएसटीएल) की स्थापना	प्रति वर्ष 10,000 नमूनों का विश्लेषण करने की क्षमता के लिए नाबार्ड के माध्यम से व्यक्तिगत एवं निजी एजेंसियों के लिए लागत का 33% या तक 25 लाख तक सीमित/प्रयोगशाला है।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/maximum limit	Scheme/Component
2.	Plant Protection Chemicals	Insecticides, fungicides, bio-pesticides, bio-agents, micronutrients, bio-fertilizers etc., @ 50 % of the cost limited to Rs. 500 per hectare.	NMOOP
3.	Adoption of Organic Farming	Rs.10,000 per hectare	National Horticulture Mission(NHM)/ Horticulture Mission for North-East and Himalayan States (HMNEH) - Sub schemes under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)
4.	Vermi-Compost Unit	Rs. 50,000 /- per unit (having dimension of 30 ft x 8 ft x 2.5 ft or 600 cft, on prorata basis)	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH
5.	High Density Poly Ethylene (HDPE) Vermi Bed	Rs. 8,000 /- per unit (having dimension of 12 ft x 4 ft x 2 ft or 96 cu ft, on prorata basis)	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH
6.	Promotion of Integrated Nutrient Management	Rs.1,200 /- per hectare (upto an area of 4 hectares)	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH
7.	Supply of gypsum phosphogypsum / bentonite sulphur.	50% of the cost limited to Rs. 750/ - per hectare	National Food Security Mission (NFSM), BGREI
8.	Micronutrients	50% of the cost limited to Rs. 500/-per ha.	NFSM & BGREI
9.	Lime/liming materials	50% of the cost of the material limited to Rs.1000/ha.	NFSM & BGREI
10.	Bio-fertilizers (Rhizobium /PSB)	50 % of the cost limited to Rs. 300 per ha.	BGREI/ NFSM
11	Setting up of new Mobile/Static Soil Testing Laboratories (MSTL/SSTL)	33% of cost limited to Rs 25 lakh/lab for individual/private agencies through NABARD as capital investment for 10,000 samples per annum analysing capacity.	National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
12.	सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रोत्साहन एवं वितरण	लागत का 50 %, जो ₹ 500/– प्रति इकाई तक सीमित होगा और/अथवा प्रति लाभार्थी ₹ 1000/–	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
13.	जैव उर्वरक/जैव कीटनाशी आधारित लिक्विड इकाईयों की स्थापना	200 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता की पूंजीगत निवेश के रुप में नाबार्ड के जरिए व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों के लिए लागत का 25 % जो प्रति इकाई ₹ 40 लाख तक सीमित।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
14.	फल एवं सब्जियों का बाजारी कचरा/कृषि कचरे से कम्पोस्ट उत्पादन इकाई लगाने के लिए	3000 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाले व्यक्तिगत/निजी एजेंसियों हेतु नाबार्ड के माध्यम से लागत का 33%, परंतु ₹ 63 लाख प्रति इकाई तक सीमित।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
15.	किसानों के खेत पर जैविक निविष्ठा (input) को प्रोत्साहन (खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरक, द्रव/ठोस कचरा कम्पोस्ट, हर्बल उद्धरण इत्यादि)	लगत का 50 %, जो ₹ 5000/– प्रति हेक्टेयर और ₹ 10000/– प्रति लाभार्थी तक सीमित होगा। 01 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर करना प्रस्तावित।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
16.	सहभागिता प्रोत्साहन पद्धति प्रमाणीकरण (पीजीएस) के अन्तर्गत समूह बनाकर जैविक खेती को अपनाना	₹ 20000/– प्रति हेक्टेयर जो 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹ 40000/– तक सीमित।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
17.	ऑन–लाइन डाटा प्रबंधन और अवशेष विश्लेषण के पीजीएस पद्धति को सहायता	₹ 200/– प्रति किसान जो प्रति समूह/वर्ष अधिकतम ₹ 5000/– होगा और प्रति क्षेत्रीय परिषद ₹ 1.00 लाख तक सीमित। अवशेष परीक्षण के लिए ₹ 10000/– प्रति नमूना (अवशेष विश्लेषण एनएबीएल प्रयोगशाला में किया जाएगा)।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
18.	खाद प्रबंधन और जैविक नत्रजन दोहन के लिए गांव का अंगीकरण	समेकित खाद प्रबंधन का अंगीकरण, मेड़ों पर उर्वरक पेड़ उगाने ओर समूहों/स्वसहायता समूहों इत्यादि के माध्यम से अन्तर्फसलीय रुप में फलीदार फसलों को प्रोत्साहन के लिए प्रति गांव ₹ 10 लाख (प्रतिवर्ष/राज्य अधिकतम 10 गांवों को सहायता दी जाएगी)।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
19.	जैविक खेती का प्रदर्शन	50 अथवा अधिक प्रतिभागियों के समूह के लिए प्रति प्रदर्शन ₹ 20000/–	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/maximum limit	Scheme/Component
12	Promotion and distribution of micronutrients	50% of cost subject to a limit of Rs. 500/- per ha and/or Rs. 1000/- per beneficiary.	NMSA
13	Setting up of state-of-the-art liquid/carrier based Bio-fertilizer/Bio-pesticide units	25% of cost limited to Rs. 40 lakhs per unit for individuals/private agencies through NABARD as capital investment of 200 TPA production capacity	NMSA
14	Setting up of mechanized Fruit/Vegetable market waste/Agro waste compost production unit	33% of cost limited to Rs. 63 lakhs/unit for individuals/private agencies through NABARD as capital investment for 3000 TPA production capacity	NMSA
15	Promotion of Organic Inputs on farmer's field (Manure, Vermi-compost, Bio-Fertilizers, Liquid/Solid Waste compost, Herbal extracts etc.)	50% of cost subject to a limit of Rs. 5000/- per ha and Rs. 10,000 per beneficiary.	NMSA
16	Adoption of organic farming through cluster approach under Participatory Guarantee System (PGS) Certification	Rs. 20,000/- per ha subject to a maximum of Rs. 40,000/- per beneficiary for 3-years term.	NMSA
17	Support to PGS system for on-line data management and residue analysis	Rs. 200 per farmer subject to a maximum of Rs. 5000/- per group/year restricted to Rs. 1.00 lakh(one lakh) per Regional Council. Upto Rs. 10,000/- per sample for residue testing (Residue analysis to be done in NABL Labs)	NMSA
18	Organic Village adoption for manure management and biological nitrogen harvesting	Rs. 10 lakhs per village for adoption of integrated manure management, planting of fertilizer trees on bunds and promotion of legume intercropping through groups/SHGs etc. (Maximum 10 villages per annum(per state will be supported)	NMSA
19	Demonstration on Organic Farming	Rs. 20,000/- per demonstration for a group of 50 participants or more	NMSA

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम/घटक
20.	समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार	**क्षारीय/लवणीय मिट्टी** लागत का 50 %, जो ₹ 25000/–. प्रति हेक्टेयर तक होगा और/अथवा ₹ 50000/– प्रति लाभार्थी तक सीमित। **अम्लीय मृदा** लागत का 50 %, परन्तु ₹ 3000/– प्रति हेक्टेयर और/ अथवा ₹ 6000/– रु. प्रति लाभार्थी तक सीमित।	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
21.	आईसीएआर प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित माइक्रो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना	नाबार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 3000 नमूने प्रशिक्षण करने के लिए प्रति व्यक्ति/निजी क्षेत्रों के लिए लागत का 44% या ₹ 44,000 प्रति लैब	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन
22.	गांव के स्तर पर मृदा परीक्षण परियोजना की स्थापना करना	लागत का 40% या ₹ 4,00,000 तक जो भी कम है	सतत् कृषि राष्ट्रीय मिशन

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/ परियोजना निदेशक (आत्मा)

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/maximum limit	Scheme/Component
20	Reclamation of Problem Soil	**Alkaline / Saline Soil** 50 % of cost to a limit of Rs. 25,000 /- per ha. and or Rs. 50,000 /- per beneficiary **Acidic Soil** 50 % of cost subject to a limit of Rs. 3,000 / - per ha. and / or Rs. 6,000 /- per beneficiaries.	NMSA
21	Setting up to micro soil testing lab developed by ICAR technology	44% of the cost limited to Rs. 44,000 / lab for individual / private agencies through NABARD as a capital investment for 3000 samples per annum analysing capacity	NMSA
22	Setting up of Soil testing project at village level	40% of the cost or Rs. 4,00,000 which ever is lower	NMSA

Whom to Contact?

District Agriculture Officer / District Horticulture Officer / Project Director ATMA

3

f l pkb&i/kku e=h œf"k f l pkb ;k t uk ,o vU; ;k t uk,

क्या करें ?

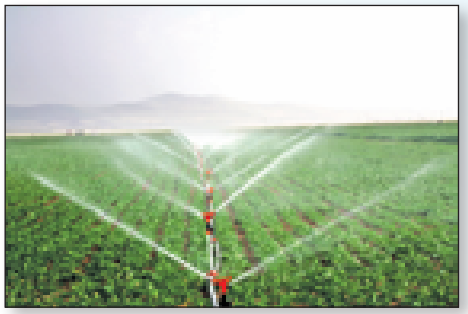

- अच्छी कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी और पानी का संरक्षण करें।
- चेक बांधों और तालाबों के निमार्ण द्वारा वर्षा के पानी का संचयन करें।
- जल भराव वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण अपनायें एवं उसमें बीज उत्पादन करें और पौधशाला लगायें।
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, बूँद–बूँद (टपका) व फव्वारा सिंचाई विधि अपनायें। यह 30–37% पानी बचाती है और इससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता भी बढ़ जाती है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना : प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वित्तीय मंत्रीमंडलीय समिति ने 1 जुलाई 2015 को 5 वर्ष (2015–16 से 2019–20) के लिए रू 50,000 करोड़ की राशि अनुमोदित किये हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिदृश्य में देश के कृषि भूमि को सिंचाई का संरक्षित स्रोत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है ताकि पानी के प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सके। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की नीति के तहत जल स्रोतों, वितरण प्रणाली (नेटवर्क), खेत स्तर पर बेहतर नीति का उपयोग और नई तकनीकी पर आधारित कृषि प्रसार एवं सूचना का व्यापक रूप से सम्पूर्ण सिंचाई आपूर्ति करने के लिए जिला व राज्य स्तर पर प्रयोग।

3

IRRIGATION
Prime Minister Krishi Sinchai Yojana & Other Schemes

What to do?

- Conserve soil and water through good Agricultural Practices.
- Harvest rain water through construction of check dams and ponds.
- Adopt crop diversification, seed production and nursery raising in water logged areas.
- Adopt drip and sprinkler irrigation system to save 30-37% water and enhance crop quality and productivity.

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) : PMKSY was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs on 01.07.2015 with an outlay of Rs. 50,000 crore for a period of 5 years (2015-16 to 2019-20).

The vision of PMKSY is to ensure access to some means of protective irrigation to all agricultural farms in the country - to produce 'per drop more crop. Thus bringing much desired rural prosperity. PMKSY is strategized by focusing on end-to end solution in irrigation supply chain, viz. water sources, distribution network, efficient farm level applications, extension services on new technologies & information etc. based on comprehensive planning process at district/State level.

क्या पायें ?

मिट्टी सुधार के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम
1.	सिंचाई की पाइपें	लागत का 50 %, ₹ 50/– प्रति मीटर एचडीपीई पाईप के लिए, ₹ 35/– प्रति मीटर पीवीसी पाईप के लिए तथा ₹ 20/– प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटिड ओपन समतल ट्यूब पाईप के लिए जो ₹ 15,000/– प्रति किसान/लाभार्थी के लिए सीमित है।	बीजीआरईआई/एनएमओओपी
2.	ऑयलपाम के लिए बूँद–बूँद (टपका) सिंचाई प्रणाली	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के दिशा निर्देश के अनुसार	एनएमओओपी
3.	प्लास्टिक/आरसीसी आधारित जल संचयन रचना/ खेत तालाब/ सामुदायिक टैंक निर्माण (100 मीटर x 100 मीटर x 3 मीटर) छोटे आकार के तालाब/टैंक के लिए अनुपातिक आधार पर जो कमांड एरिया पर निर्भर होगी, की लागत स्वीकार्य होगी।	10 हेक्टेयर कमांड एरिया के लिए 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्रों में ₹ 20.00 लाख प्रति इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹ 25.00 लाख प्रति इकाई	एनएचएम/एचएमएनईएच एमआईडीएच की एक उपयोजना
4.	व्यक्तिगत आधार पर खेत तालाब/कुँए में जल संचयन (20 मी. x 20 मी. x 3 मी. परिमाप) छोटे आकार के खेत तालाब/ कुँए के लिए लागत अनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी	02 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आरसीसी लाइनिंग के लिए मैदानी क्षेत्र में ₹ 1.50 लाख प्रति लाभार्थी और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹ 1.80 लाख प्रति लाभार्थी	एनएचएम/एचएमएनई एच एमआईडीएच की एक उपयोजना
5.	दलहनों एवं गेंहूँ के लिए फव्वारा सिंचाई सेट	₹ 10,000/है. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
6.	(क) ऑयल पाम के खेत में बोर वेल का निर्माण (ख) जल संचयन संरचना/ तालाब	एनएमएसए दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता अर्थात लागत का 50% इस शर्त पर कि ये गंभीर, अर्द्ध गंभीर एवं अधिक शोषित भूजल क्षेत्र में स्थापित नही किये जाएंगे, अधिकतम सीमा ₹ 25,000/– प्रति बोरवेल/नलकूप लागत का 50% (निर्माण लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹ 125/– एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹ 150/– प्रति घन मीटर), जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए ₹ 75,000/– और पहाड़ी क्षेत्र के लिए ₹ 90,000/– तक सीमित होगा	एनएमओओपी

What You Can Get?

SN	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
1.	Water Carrying Pipes	@ 50% of the cost limited to Rs. 50/- per meter from HDPE pipes, Rs. 35 per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated oven lay flat tubes with maximum ceiling of Rs. 15,000 per farmer/ beneficiary for water carrying pipes"	(Bringing Green Revolution for Eastern India (BGREI)/ NMOOP
2.	Drip Irrigation System for Oil Palm	As per the specification of National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA).	NMOOP
3.	Plastic/RCC based water harvesting structure/ farm pond/construction of community tank(100 meter x 100 meter x 3 meter) For smaller size ponds/ tanks, cost will be admissible on pro rata basis, depending upon command area	Rs. 20 lakhs per unit in plane areas; and Rs. 25.00 lakhs per unit in hilly areas with 500 micron plastic lining/RCC lining, for 10-hectare command area	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH
4.	Water Storage in Farm Pond/ Dug well (Measuring 20 meter x 20 meter x 3 meter) by individual For smaller size ponds/ dug wells, cost will be admissible on pro rata basis	Rs. 1.50 lakhs per beneficiary for plane areas & Rs. 1.80 lakhs/beneficiary for hilly areas with 300 micron plastic lining/RCC lining, for 2-hectare command area.	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH
5.	Sprinkler Set for pulses and wheat	Rs. 10,000/ha. or 50% of the cost whichever is less.	National Food Security Mission (NFSM)
6.	(a) Creation of bore well at Oil Palm farm (b) Water Harvesting Structures/ponds	Assistance as per NMSA quideline i.e. 50% of the cost limited to Rs. 25,000/- per bore well/tube well subject to condition that these are not installed in critical, semi-critical and over exploited ground water zones. 50% of the cost (Construction cost Rs. 125/- per cubic meter for plain and Rs. 150/- per cubic meter for hilly areas) limited to Rs. 75,000/- for plane areas and Rs. 90,000/- for hilly areas including lining	NMOOP

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम
7.	पम्प सेट	₹ 10,000/– प्रति मशीन या लागत का 50%, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) एवं बीजीआरईआई
8.	बीजीआरईआई के तहत कुओं/बोरवेलों का निर्माण	लागत का 100%, जो ₹ 30,000/– तक सीमित है।	पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)
9.	उथले नलकूप	लागत का 100%, जो ₹ 12,000/– तक सीमित है।	बीजीआरईआई
10.	10 हॉर्सपावर तक के पम्प सेट	₹ 10,000/– प्रति पम्प सैट या लागत का 50%, जो भी कम हो।	बीजीआरईआई
11.	मोबाइल रेन गन	₹ 15,000/– प्रति मोबाइल रेन गन या लागत का 50%, जो भी कम हो।	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) के अन्तर्गत जल प्रबन्धन

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम
1.	**जल संचयन एवं प्रबंधन**		
1.1क	व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन पद्धति	लागत का 50 % (मैदानी क्षेत्र में निर्माण लागत ₹ 125/– प्रति घन मीटर और पहाड़ी क्षेत्र में ₹ 150/– प्रति घन मीटर) जो लाइनिंग सहित मैदानी क्षेत्र के लिए ₹ 75000/– और पहाड़ी क्षेत्र के लिए ₹ 90,000/– तक सीमित होगी। छोटे आकार के तालाब/कुआँ खोदने के लिए लागत अनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगी। बिना लाइनिंग के तालाब/कुओं की लागत 30 % कम होगी।	एनएमएसए
1.1 ख	मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/टैंकों की लाइनिंग	प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग लागत का 50 % प्रति तालाब/टैंक/कुआँ जो ₹ 25,000/– तक सीमित होगा	– तदैव –
1.2	सामुदायिक जल संचयन निर्माणः सामुदायिक टैंकों/खेत तालाब /चेक डेम /कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माण	10 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के लिए अथवा किसी अन्य छोटे आकार के लिए कमांड क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक आधार पर लागत का 100%, जो मैदानी क्षेत्र में ₹ 20 लाख प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्र में ₹ 25 लाख प्रति यूनिट तक सीमित होगा बिना लाइन वाले तालाब टैंक की लागत 30% कम होगी।	– तदैव –
1.3	ट्यूब वेल/बोर वेल (उथला/मध्यम) का निर्माण	कुल लागत का 50%, जो ₹ 25,000/– प्रति इकाई तक सीमित होगा	– तदैव –
1.4	छोटे तालाब की मरम्मत / नवीनीकरण	नवीनीकरण लागत का 50%, जो ₹ 15,000/– प्रति इकाई तक सीमित होगा	– तदैव –
1.5	पाइप/प्रीकॉस्ट वितरण प्रणाली	इस प्रणाली की कुल लागत का 50%, जो ₹ 10,000/– प्रति हेक्टेयर और प्रति लाभार्थी अथवा समूह अधिकतम 4 हेक्टेयर के प्लाट तक सीमित होगा	– तदैव –
1.6	जल उत्थापन यंत्र (विद्युत, डीजल, वायु, सौर उर्जा से चलने वाले)	स्थापना लागत का 50% जो ₹ 15,000/– प्रति विद्युत/डीज़ल इकाई तथा ₹ 50,000/– प्रति सौर/वायु इकाई तक सीमित होगा	– तदैव –

SN	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
7.	Pump set	Rs. 10,000 per pumpset- or 50% of the cost whichever is less.	NFSM & BGREI
8.	Construction of dug Well/ Bore well	100% of cost limited to Rs. 30,000/-	BGREI
9.	Shallow Tube Wells	100% of cost limited to Rs. 12,000/-	BGREI
10.	Pump Set (up to 10 HP)	Rs. 10,000/- per pump-set or 50 % of the cost whichever is less.	NFSM
11.	Mobile Rain gun	Rs. 15,000/- per mobile rain gun or 50 % of the cost whichever is less.	NFSM

Water Management under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)

SN	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
1.	**Water Harvesting and Management**		
1.1a	Water Harvesting System for individuals	50% of cost (Construction cost Rs. 125/- for plane and Rs. 150/- per cu m for hilly areas) limited to Rs. 75,000/-, for plane areas and Rs. 90,000/- for hilly areas including lining. For smaller size of the ponds/dug wells, cost admissible on pro rata basis. Cost for non-lined ponds/tanks will be 30% less.	NMSA
1.1b	Lining of Tanks/ Ponds constructed under MNREGA/WSDP etc.	50% cost of plastic/RCC lining limited to Rs. 25,000/- per pond/tank/well.	do
1.2	Water Harvesting System for communities: Construction of Community tanks/on-farm ponds/check dams/ reservoirs with use of plastic/RCC lining on public land.	100% of the cost limited to Rs. 20 lakhs/unit in plain areas, Rs.25 lakhs/unit in hilly areas, for 10 ha of command area or any other smaller size on pro rata basis depending upon the command areas. Cost for non-lined ponds/tanks will be 30% less.	do
1.3	Construction of Tube Wells /Bore Wells (Shallow/ Medium)	50% of the total cost of installation limited to Rs. 25,000/- per unit.	do
1.4	Restoration/Renovation of small tanks	50% of the cost of renovation limited to Rs. 15,000/- per unit	do
1.5	Pipe/pre-cast Distribution System	50% of the cost of system limited to Rs. 10,000/- per hectare with assistance up to a maximum of 4 hectare per beneficiary or group.	do
1.6	Water lifting Devices(Electric, Diesel, Wind/Solar)	50% of the cost of installation limited to Rs. 15,000/- per electric/diesel unit and Rs. 50,000/- per solar/wind unit.	do

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदण्ड/अधिकतम सीमा	स्कीम
1.7	पॉली लाइनींग तथा सुरक्षात्मक बाड़ द्वितीय भंडारण संरचना हेतु	लागत का 50% जो ₹ 100/ घन मीटर की भंडारण क्षमता तक और अधिकतम अनुदान सहायता ₹ 2 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित।	– तदैव –
1.8	सुरक्षित बाढ़ युक्त ईंट/सीमेंट/कंक्रीट द्वारा निर्मित द्वितीयक भंडारण संरचना	लागत का 50% जो ₹ 350/ घन मीटर की भंडारण क्षमता तक और अधिकतम अनुदान सहायता ₹ 2 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित।	– तदैव –
2.	बूँद–बूँद (टपका) सिंचाई	गैर डीपीएपी/डीडीपी क्षेत्रों के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए कुल स्थापना लागत का 45% एवं अन्य कृषकों के लिए 35% की सहायता दी जायेगी। डीपीएपी/डीडीपी/उत्तर पूर्वी एवं हिमालयीन राज्यों के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए कुल स्थापना लागत का 60% एवं अन्य कृषकों के लिए 45% की सहायता राशि दी जायेगी। (डीपीएपी–सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, डीडीपी–मरुस्थल विकास कार्यक्रम उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्य) सहायता की अधिकतम सीमा मानक स्थापना लागत के पैटर्न के अनुसार सीमित होगी। अधिक अन्तराल वाली फसलों के लिए मानक स्थापना लागत का ₹ 23,500 से ₹ 58,400 प्रति हेक्टेयर और कम अन्तराल वाली फसलों के लिए ₹ 85,400 से ₹ 1,00,000 प्रति हेक्टेयर होगी। फिर भी, फसल के फासले और भूमि के आकार के अनुसार लागत भिन्न–भिन्न रहेगी। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक सीमित होगी।	प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
3.	फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई	विभिन्न श्रेणी के किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्र में सहायता का प्रकार स्प्रिंकलर सिंचाई के अनुरूप है। सहायता की अधिकतम सीमा मानक स्थापना लागत के पैटर्न के अनुसार सीमित होगी। माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए मानक स्थापना लागत ₹ 58,900/– प्रति हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर के लिए ₹ 85,200/– प्रति हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए ₹ 19,600/– प्रति हेक्टेयर, अर्द्ध–स्थाई सिंचाई सिस्टम के लिए ₹ 36,600/– प्रति हेक्टेयर और अधिक आयतन वाले स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम (रेन गन) के लिए ₹ 31,600/– प्रति हेक्टेयर होगी। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक होगी।	– तदैव –

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/जिला मृदा संरक्षण अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)/जिला फलोत्पादन अधिकारी

SN	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
1.7	(i) Construction of Secondary Storage Structures with Poly lining, protective fence at fesible locations	50% of cost limited to Rs. 100 per cum of storage capacity. Maximum permissible assistance will be restricted to Rs. 2 lakh per beneficiary.	NMSA
1.8	Construction of Brick masonry/Concrete Secondary Storage structures (Diggie) with protective fence etc.	50% of cost limited to Rs. 350 per cum of storage capacity. Maximum permissible assistance will be restricted to Rs. 2 lakh per beneficiary.	NMSA
2.	Drip Irrigation	45% assistance of total cost of installation for small and marginal farmers in non-DPAP and DDP/NE&H region and for others areas 35%. The assistance of total cost of installation for small and marginal farmers in DPAP/DDP/NE&H/and Hilly areas is 60% and for others farmers will be 45%. (DPAP-Drought Prone Area Programme, DDP-Desert Development Programme, North Eastern and Himalayan States) Upper limit of assistance will be restricted to the amount as per the eligible pattern of assistance of the normative cost of installation. Normative cost of installation for wide spaced crops will Rs. 23,500 to Rs. 58,400 per hectare and for close spaced crops Rs. 85,400 to Rs. 1,00,00 per hectare. However, the cost will vary depending on crop spacing & land size. Maximum permissible assistance will be restricted to 5 hectare per beneficiary/group.	Per Drop More Crop component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)
3.	Sprinkler Irrigation	Pattern of assistance for different categories of farmers and area of operation are similar to that of drip irrigation. Upper limit of assistance will be restricted to the amount as per the eligible pattern of assistance of the normative cost of installation. Normative Cost of installation is Rs. 58,900/ ha for Micro sprinkler, Rs. 85,200/ ha for Mini Sprinkler, Rs.19,600/ ha for portable sprinkler , Rs. 36,600 per ha. For semi-permanent irrigation system and Rs. 31,600/ ha for Large Volume Sprinkler Irrigation System (Rain gun). Maximum permissible assistance will be restricted to 5 hectare per beneficiary/group.	-do-

Whom to Contact?

District Agriculture Officer / District Soil Conservation Officer / Project Director ATMA /District Horticulture Officer.

4

कृषि विपणन

क्या करें ?

- किसान अपनी उपज की कीमत की जानकारी एगमार्क नेट वेबसाइट (www.agmarknet.nic.in) पर या किसान काल सेंटर अथवा एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- अपनी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध एसएमएस को देखें और सूचना प्राप्त करें।
- www.farmer.gov.in/buysell.htm पर क्रेता विक्रेता पोर्टल उपलब्ध है।
- फसल की कटाई और गहाई उचित समय पर की जानी चाहिए।
- उचित कीमत के लिए बिक्री से पहले उचित ग्रेड़िंग, पैकिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए।
- उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित बाजार/मंडी में बिक्री के लिए जाएं।
- अधिकतम लाभ के लिए उपज का भंडारण करके बेमौसम में बिक्री करनी चाहिए।
- मजबूरन बिक्री से बचना चाहिए।
- बेहतर विपणन सुविधाओं के लिए किसान समूह में सहकारी विपणन समितियाँ एफपीओ गठित कर सकते हैं।
- विपणन समितियां खुदरा और थोक दुकानें खोल सकतीं हैं।
- मजबूरन बिक्री से बचने के लिए किसान उपज के भण्डारण के लिए शीत भंडारण और गोदाम बना सकते हैं।

कृषि विपणन इन्फ्रा (एएमआई)

कृषि विपणन इन्फ्रा को तत्काल बन्द कर दिया गया है। किसी तरह की जानकारी अथवा विवरण प्राप्त करने के लिए आप उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। (ई–मेल आईडी : rgs-agri@nic.in)

राष्ट्रीय कृषि बाजार (इ-नाम)

कृषि विपणन क्षेत्र में प्रवेशक सुधार के उद्देश्य से और किसानों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरे देश में कृषि जिंशों की ऑन–लाइन विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने दिनाँक 01.07.2015 को राष्ट्रीय कृषि बाजार कार्यान्वयन के लिए एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत सभी 250 नियमित बाजारों में यथोचित सामान्य ई–मार्केट प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है, जिससे ऑन–लाइन ट्रेडिंग करने, ई–परमिट जारी करने और ई–भुगतान आदि करने के साथ–साथ बाजार के सम्पूर्ण कार्य के डिज़िटलाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ–साथ सूचना विषमता को दूर करने, लेन–देन

4

Agricultural Marketing

What to do?

- Farmer can get the price information of their produce which is available on AGMARKNET website (www.agmarknet.nic.in) or through Kisan Call Centres or SMS.
- Pull SMS to get information as and when you need is also available.
- Buyer Seller Portal available at www.farmer.gov.in/buysell.htm
- Harvesting and threshing should be done at appropriate time.
- Proper grading, packing and labeling should be done before sale, for better prices.
- Transport of produce to proper market/mandi for getting remunerative price.
- Storage of produce should be done, for sale during off season, for maximum profit.
- Avoid distress sale.
- Farmers in a group may form marketing cooperatives and FPOs for better marketing reach.
- Marketing cooperatives may open retail and wholesale outlets.
- Farmers may also operate cold storages and warehouses to store the produce in order to avoid distress sale.

Agriculture Marketing Infra (AMI)

The AMI scheme is presently closed. For any query or details for past release and progress of works you may contact Dy. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad { Email ID: rgs-agri@nic.in }.

National Agriculture Market (e-NAM)

With the objective to usher reforms in the agri-marketing sector and promote online marketing of agri commodities across the country and to provide maximum benefit to the farmers, the Government has approved a scheme to implement National Agriculture Market (NAM) on 01.07.2015. Under the scheme, a web based platform has been deployed across 250 regulated markets to promote online trading, digitization of entire functioning of markets outline gate entry lot making

प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और पूरे देश की बाजारों में पहुँच आसान बनाने में इससे सहायता मिलेगी। यह किसानों को वास्तविक लाभ देने के लिए आवश्यक होगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन (एनएएम) दिशानिर्देश शीघ्र ही 14.04.2016 को 8 राज्यों की 20 मण्डीयों में शुरू किया गया है। अब तक 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश (12), छत्तीसगढ़ (5), गुजरात (40), हरियाणा (37), हिमाचल प्रदेश (20), राजस्थान (11), तेलंगाना (44) और यूपी (66) ई–एनएएम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया। अधिक जानकारी के लिए कृपया श्री सुभाष शर्मा, पीएमयू, एनएएम, लघु किसान कृषि व्यवसाय संगठन (एसएफएसी), नई दिल्ली (ई–मेल आईडीः nam@sfac-in) को संपर्क करें। योजनाओं की विस्तृत जानकारी www.enam.gov.in. पर उपलब्ध है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

एफपीओ में किसान कैसे सम्मिलित हों

किसानों का एक समूह जो वास्वत में कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और जो कृषि व्यवसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखते हों, एक गाँव अथवा कई गाँवों को सम्मिलित कर एक समूह बना सकते हैं और संगत कम्पनी अधिनियम के अधीन एक किसान उत्पादन कम्पनी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एफपीओ के गठन से किसान को क्या लाभ होंगे

(i) यह एक सशक्तशील संगठन होने के कारण एफपीओ के सदस्य के रूप में किसानों को बेहतर सौदेबाजी करने की शक्ति देगी जिससे उन्हें जिंशों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर खरीदने या बेचने का उचित लाभ मिल सकेगा।

(ii) बेहतर विपणन सुअवसरों के लिए कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण। बहुलता में व्यापार करने से प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन इत्यादि मदों में होने वाले संयुक्त खर्चों से किसानों को बचत।

(iii) एफपीओ मूल्य संर्वधन के लिए छँटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण इत्यादि जैसी गतिविधियां शुरू कर सकता है जिससे किसानों के उत्पाद को उच्चतर मूल्य मिल सकता है।

(iv) एफपीओ के गठन से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भण्डारण, कृषि प्रसंस्करण इत्यादि जैसे कटाई पूर्व और कटाई पश्चात संसाधनों के उपयोग में सुविधा।

(v) एफपीओ आदान भण्डारों, कस्टम केन्द्रों इत्यादि को शुरू कर अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को विस्तारित कर सकते हैं। जिससे इसके सदस्य किसान आदानों और सेवाओं का उपयोग रियायती दरों पर ले सकते हैं।

एफपीओ में आवेदन करने के लिए सम्पर्क सूत्र

आमतौर पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्साहित किया जाता है। एफपीओ गठित करने के इच्छुक किसानों को विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विभाग/लघु कृषक कृषि व्यवसाय संगठन के निदेशक (ई–मेलः sfac@nic.in) से संपर्क कर सकते हैं।

bidding, generation of e sale agreement and e-payment etc., remove information asymmetry, increase transparency in the transaction process and enhance accessibility to markets across the country. This would entail real benefits to the farmers. NAM pilot was launched on 14.04.2016. in 20 mandis of 8 states. So far 250 market across 10 states namely Andhra Pradesh (12), Chhattisgarh (5), Gujarat (40), Haryana (37), Himachal Pradesh (20), Rajasthan (11), Telengana (44) and UP (66) has been integrated with e-NAM portal. For further details please contact Shri Subhash Sharma, PMU for NAM, Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC), New Delhi { E-mail ID: nam@sfac.in }. Detail of the scheme are also available at www.enam.gov.in.

Farmer Producer Organization (FPO)

How farmers can join FPO

A group of farmers, who are actually involved in agricultural production and have a common interest in pursuing agribusiness activities can form a group in a village or a cluster of villages and apply for registration of a Farmer Producer Company under the relevant Companies Act.

What benefits farmers will get by forming FPO

(i) As a cohesive group, farmers as members of the FPO will have better bargaining power which can be leveraged to buy or sell commodities at competitive prices.

(ii) Aggregation of agricultural produce for better marketing opportunities. Trading in bulk saves farmers on associated expenditures like processing, storage, transportation etc.

(iii) FPOs may take up activities for value addition like sorting/grading, packaging, basic processing etc. which fetch a higher price for the farmers' produce.

(iv) FPO formation facilitates utilization of pre and post harvest infrastructure like green houses, mechanized farming, cold storage, agri-processing etc.

(v) FPO can expand its business activities by opening of input stores, custom centres etc. through which its member farmers can get subsidised inputs and services.

Contact details for applying to FPOs

Generally, FPOs are promoted under various Central Sector Schemes operated in the States by the Departments of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare. Farmers interested in forming an FPO may contact the Director of the concerned Department/Small Farmer Agri-business Consortium for further information (Email ID : sfac@nic.in).

क्या पायें ?

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	श्रेणी	अनुदान (सब्सिडी) की अधिकतम सीमा				योजना
			पूंजी लागत पर अनुदान (सब्सिडी) की दर	1000 मेट्रिक टन तक (₹ प्रति मेट्रिक टन में)	1000 से अधिक से 30000 मेट्रिक टन (₹ प्रति मेट्रिक टन में)	अधिकतम (₹ लाख में)	
1.	भण्डारण संसाधन परियोजनाओं के लिए–कृषि विपणन संसाधन (एएमआई) आईएसएएम की उपयोजना (पूर्व में ग्रामीण भण्डारण योजना)	क) उत्तरपूर्वी राज्यों, सिक्किम, अण्डमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों और पर्वतीय* क्षेत्र	33.33 %	1333.20	1333.20	400.00	कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)
		ख) अन्य क्षेत्रों में i) पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) लाभार्थियों अथवा उनकी सहकारिताएं** / स्व– सहायता समूहों के लिए	33.33 %	1166.55	1000.00	300.00	
		ii) लाभार्थियों के अन्य सभी वर्गों के लिए	25 %	875.00	750.00	225.00	

What You Can Get?

S. No.	Type of Facilities	Category	Subsidy ceiling				Scheme
			Rate of Subsidy On Capital Cost	Up to 1000 MT (in Rs./ MT)	More than 1000 to 30,000 MT (in Rs./MT)	Maximum (Rs. Lakhs)	
1.	(i) For Storage Infrastructure projects- Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) sub scheme of ISAM	A) NE States, Sikkim, UTs of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands and hilly* areas	33.33%	1333.20	1333.20	400	Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM)
	(Erstwhile Grameen Bhandaran Yojana)	**B) In other Areas** (i) For Registered FPOs, Women, Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) beneficiaries or their cooperatives**/	33.33%	1166.55	1000.00	300	
		(ii)For all other categories of beneficiaries	25%	875.00	750.00	225	

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	श्रेणी	अनुदान (सब्सिडी) की दर	अनुदान (सब्सिडी) की अधिकतम सीमा (₹ लाख में)	योजना
	(ii) अन्य विपणन संसाधन परियोजनाओं के लिए कृषि विपणन संसाधन (एएमआई) आईएसएएम की उपयोजना	(क) उत्तरपूर्वी राज्य, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अण्डमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र और पर्वतीय* और आदिम क्षेत्र	33.33 %	500.00	कृषि विपणन के लिए समेकित योजना (आईएसएएम)
	(पूर्व में कृषि विपणन संसाधन, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का विकास/ सुदृढ़ीकरण योजना) (एएमआईजीएस)	(ख) अन्य क्षेत्रों में i) पंजीकृत एफपीओ, पंचायतें, महिलाएं किसान/उद्यमी, अनुसूचित जाति (एससी) /अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमी तथा उनकी सहकारिताएं**	33.33 %	500.00	
		ii) अन्य सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए	25 %	400.00	

* पर्वतीय क्षेत्र वे हैं जो समुद्री स्तर से 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं।

**एससी/एसटी समितियां राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

***वर्तमान में योजना उत्तरपूर्वी राज्यों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए उपलब्ध है सामान्य श्रेणी के लिए सब्सिडी की मंजूरी दिनाँक 05.08.2014 से अस्थाई रूप से बंद कर दी गई है।

उपयुक्त विपणन संसाधन

- कटाई पश्चात् प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी विपणन संसाधन।
- बाजार उपयोगकर्ता के लिए बाजार यार्ड इत्यादि जैसी आम सुविधाएं।
- ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन, लेवलिंग, पैकिंग और मूल्य संवर्धन सुविधाओं (गुणवत्ता को बिना परिवर्तित किए) के लिए संसाधन।
- उत्पादक से उपभोक्ता तक/प्रसंस्करण यूनिट थोक क्रेता इत्यादि से सीधी बिक्री के लिए संसाधन।
- कोल्ड सप्लाई चेन की व्यवस्था के लिए आवश्यक रीफर वैन जिसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम की तरह की संग्रह संरचना।

अनुदान (सब्सिडी)/ऋण के लिए कहां आवेदन/संपर्क करें ?

S. No.	Types of Facilities	Category	Rate of Subsidy	Maximum Subsidy Ceiling(Rs. in lakhs)	Scheme
	(ii) For other Marketing Infrastructure projects Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) sub scheme of ISAM (Erstwhile Scheme for Development/ Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading & Standardization (AMIGS)	A) NE States, Sikkim, States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, UTs of Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, hilly* and tribal areas	33.33%	500	Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM)
		B) In other Areas (i) For Registered FPOs, Panchayats, Women farmers/ entrepreneurs, Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) /Entrepreneurs and their cooperatives**	33.33%	500	
		(ii) For all other categories of beneficiaries.	25%	400	

*Hilly area is a place at an altitude of more than 1,000 meters above mean sea level.
**SC/ST Cooperatives to be certified by the concerned officer of the State Government.
*** The scheme is presently available for North Eastern State and SC/ST promoter and sanction of subsidy for General Category has been stopped temporarly w.e.f. 5.8.2014

Eligible Marketing Infrastructure

- All marketing infrastructure required for post-harvest management
- Market user common facilities like market yards etc.
- Infrastructure for grading, standardization and quality certification, labeling, packaging and value addition facilities (without changing the product form)
- Infrastructure for Direct Marketing from producers to consumers/processing units/bulk buyers etc.
- Reefer vans used for transporting agricultural produce, which are essential for maintaining cold supply chains.
- Storage infrastructure like godown for storage of food grains.

Whom to Contact ?

- वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों इत्यादि।
- समितियों द्वारा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
- www.agmarknet.nic.in पर उपलब्ध समेकित कृषि विपणन पर आधारित स्कीम निर्देशिका में विस्तृत सूचना दी गई है।

- Commercial banks, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks etc.
- National Cooperative Development Corporation (NCDC) for projects by Cooperatives.
- Detailed information is available in Operational Guidelines of the Integrated Scheme for Agricultural Marketing (ISAM) on website www.agmarknet.nic.in

5

जैविक खेतीः
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

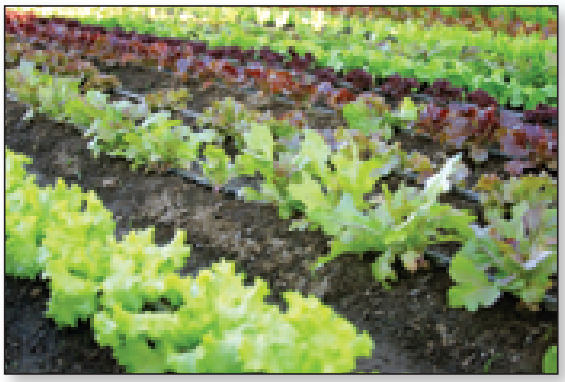

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) : दिशानिर्देष	
परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) **उद्देश्य** : जैविक कृषि, पर्यावरण हितैषी कम लागत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, रासायनिक और कीटनाशी अवशेषों से मुक्त कृषि उत्पादन की एक उत्पादन प्रणाली है। ''परंपरागत् कृषि विकास योजना'' राष्ट्रीय सतत् कृषि परियोजना (एनएमएसए) का एक विस्तारित घटक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत सामूहिक एप्रोच और पीजीएस प्रमाणन द्वारा जैविक गाँव अंगीकरण के द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है।	**जैविक क्षेत्र चयन संबंधी मानक** (क) जैविक खेती के लिए चयनित समूह का कुल क्षेत्र 50 एकड़ तक का होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो खेत समीपस्थ हो। इसे सुसाध्य बनाने के लिए किसान के लिए सब्सिडी की पात्रता एक हेक्टेयर और 50 एकड़ के समूह के किसान सदस्यों के लिए कुल वित्तीय सहायता की पात्रता अधिकतम 10 (दस) लाख रूपये होगी। इसके साथ–साथ संचालन और पीजीएस प्रमाणन के लिए 4.95 लाख रूपये होंगे। समूह के कुल किसानों में से 65 सदस्य किसान सीमांत और छोटे वर्गों के होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो यह मानक समूह स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए और यदि संभव न हो तो इसे मण्डल/ब्लॉक/तालुका अथवा जिला स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए। (क) जैविक खेती को पहाड़ी, आदिवासी जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए। इसे ऐसे सिंचित क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित किया जाए जहाँ पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाता हो।

क्या करें ?

- कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न फसल/फसल पद्धति के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को प्रोत्साहन।
- जैविक खेती के अंतर्गत जैविक उर्वरक, जैविक कृमि नाशकों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाएं।

5

ORGANIC FARMING: PARAMPARAGAT KRISHI VIKAS YOJNA (PKVY)

Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) : Guidelines	
Paramparagat Krishi Vikas Yojna (PKVY) **Objective :** Organic agriculture is a production of agricultural products free from chemicals and pesticides residues by adopting eco-friendly low cost technologies. "Paramparagat Krishi Vikas Yojna" is an elaborated component of Soil Health Management (SHM) of Major project National Mission of Sustainable Agriculture (NMSA). Under PKVY Organic farming is promoted through adoption of organic village by cluster approach and PGS (Participatory Guarantee System) certification.	**Organic Area Selection Criteria** a) The cluster chosen for Organic Farming shall be 50 acres in extent and in as contiguous a form as possible. In order to facilitate this, the ceiling of subsidy that farmer is eligible shall be a maximum of one hectare and the total financial assistance eligible for a 50 acre cluster shall be a maximum of Rs. 10 (ten) lakhs for farmer members and Rs. 4.95 lakh for mobilization and PGS Certification. Of the total number of farmers in a cluster, a minimum of 65% and marginal farmer should belong to the small categories. Thus minimum criteria of inclusion should as far as practicable be fulfilled as cluster level and where not possible, it should be satisfied at Mandal/Block/Taluka or District level. b) Organic Farming shall be promoted in such areas like hilly, tribal and also rainfed areas where utilization of chemical fertilizers and Pesticides is less.

What to do?

- Promote Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) for different crop/cropping system suitable to agroclimatic conditions
- In organic farming use more bio-chemicals, bio-pesticides and bio-fertilizers.

क्या पायें ?

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
1.	**कृषक समूह के जरिए पीजीएस प्रमाणन का अंगीकरण**					**राज्य सरकारें परियोजना संस्तुति समिति के समक्ष पीजीएस प्रमाणन के लिए समूहों की संख्या के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।**
1.1	पीजीएस प्रमाणन के लिए 50 एकड़ के समूह बनाने के लिए किसानों/स्थानीय व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना।	–	–	–		पीजीएस के अंतर्गत सामूहिक रूप में जैविक खेती अपनाने के लिए तीन वर्षों के लिए सहायता दी जाएगी।
1.1.1	जैविक कृषि समूह गठित करने के लिए चुने हुए क्षेत्र में किसानों की बैठक एवं परिचर्चा के आयोजन हेतु @ ₹ 200/– प्रति किसान।	10000	0	0		राज्य सरकार समूह गठन के लिए किसान की जोत भूमि में से अपेक्षित 50 एकड क्षेत्र का चयन करेगी। राज्य सरकार एक किसान समूह गठन करने के लिए अपेक्षित क्षेत्र के किसानों की बैठक आयोजित करेगी।
1.1.2	जैविक खेती क्षेत्र का समूह सदस्यों का प्रशिक्षण दौरा @ ₹ 200/– प्रति किसान।	10000	–	–		समूह गठन के बाद राज्य सरकार, सदस्यों के प्रशिक्षण दौरों की व्यवस्था करेगी जिससे उन्हें प्रयोगात्मक ज्ञान और जैविक खेती के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके।
1.1.3	समूह का गठन पीजीएस के प्रति किसान शपथ और समूह में से समूह प्रमुख की पहचान	–	–	–		राज्य सरकार समूह में से एक समूह प्रमुख की पहचान करेगी जो समूह का प्रतिनिधित्व करेगा और प्रशिक्षणों का प्रशिक्षक (टीओटी) होगा।
1.1.4	जैविक खेती पर समूह सदस्यों का प्रशिक्षण (तीन प्रशिक्षण @ ₹ 20000/– प्रति प्रशिक्षण)	60000	–	–		राज्य सरकार समूह के सदस्यों के लिए एनसीओएफ/आरसीओएफ/आईसीएआर/एसएयू के विशेज्ञों के सहयोग से अलग–अलग तीन प्रशिक्षण, परियोजना के पहले 6 माह में आयोजित करेगी : 1. पहला प्रशिक्षण निम्न पर दिया जाएगा; i. नर्सरियों में सीडलिंग/ पौध उगाना। ii. जैविक बीज उत्पादन। 2. खाद एवं कम्पोस्ट खाद पर द्वितीय प्रशिक्षण। i. हरित खाद और मेड़ रोपाई। ii. कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं उपयोग।

What You Can Get?

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
1	Adoption of PGS certification through cluster approach					State Governments shall propose to Project Sanctioning Committee an action plan for number of clusters for PGS certification
1.1	Mobilization of farmers /local people to form cluster in 50 acre for PGS certification	-	-	-		For adoption of organic farming through cluster approach under Participatory Guarantee System (PGS) certification, assistance will be provided for three year term.
1.1.1	Conducting of meetings and discussions of farmers in targeted areas to form organic farming cluster @ Rs. 200/ farmer	10000	0	0		State Government will identify targeted 50 acre areas of cultivated field of farmer for formation of cluster. State Government will conduct meeting of farmers of the targeted area to facilitate to form one cluster.
1.1.2	Exposure visit to member of cluster to organic farming fields @ Rs. 200/farmer	10000	0	0		After formation of cluster, an exposure visit for members will be arranged by State Government to create more practical knowledge and awareness about organic farming.
1.1.3	Formation of cluster, farmer pledge to PGS and Identification of LRP from cluster	0	0	0		State Government will identify one lead resourceful person (LRP) from the cluster who represents the cluster and becomes Trainer of Trainer (TOT)
1.1.4	Training of cluster members on organic farming (3 trainings @ Rs. 20000 per training)	60000	0	0		State Government in association with experts of NCOF/RCOF/ICAR/SAUs will organize three (3) trainings separately for members of cluster within early 6 months of project a. 1st Training will be given on following; i. Raising seedlings/plant in nurseries ii. Organic seed production b. 2nd Training on manure and composting; i. Green manure and bund planting ii. Production and use of compost and vermicompost.

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
						3. जैविक उर्वरक और जैविक कृमि नाशिकों पर तीसरा प्रशिक्षण। i. पंचगव्य, बिजामृत और जीवामृत आदि का उत्पादन एवं उपयोग। ii. जैविक उर्वरक का उपयोग (बीज/ बीजोपचार, बूंद सिंचाई, छिड़काव, जैव उर्वरक एवं जैव कृमि नाशिकों का रखरखाव।
	योग	**80000**	**0**	**0**	**80000**	
1.2	**पीजीएस प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण**					
1.2.1	दो दिवसीय पीजीएस प्रमाणन पर प्रशिक्षण @ ₹ 200/– प्रति एलआरपी	400	0	0		20 समूह प्रमुख/प्रधान के लिए निम्नलिखित विषयों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा : i. किसानों का पंजीकरण। ii. जैविक उत्पादन और प्रलेखीकरण प्रक्रिया। iii. वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना। iv. बैठक और प्रशिक्षण रजिस्टर रखरखाव डाटा प्रबंधन। v. पीजीएस प्रमाणित जैविक खेती के प्रोत्साहन में समूह की प्रशासनिक भूमिका एवं जिम्मेदारी।
1.2.2	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (20) समूह प्रमुखों का 3 दिनों के लिए @ ₹ 250/– प्रतिदिन/प्रति समूह	0	750	0		राज्य सरकार एनसीओएफ/ आरसीओएफ/ आईसीएआर/ एसएयू के सहयोग से एलआरपी के लिए निम्नलिखित पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगी : i. मृदा नमूना एकत्रित करना और गुणवत्ता नियंत्रण। ii. जैविक उत्पाद की पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग। iii. जैविक कृमिनाशियों और जैविक उर्वरकों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामुदायिक संसाधन।

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
						c. 3rd Training on Biofertilizer and Biopesticides; i. Production and use of Panchagavya, Beejmruth, Jeevamruth etc. ii. Use of biofertilizer (seed/seedling treatment, drip irrigation, spraying, handling of biofertilizer and biopesticides
	Total	**80000**	**0**	**0**	**80000**	
1.2	**PGS Certification and Quality Control**					
1.2.1	Training on PGS Certification in 2 days @ Rs. 200 per LRP	400	0	0		Training will be organized for 20 LRPs for two days on following; i. Registration of farmers ii. Organic production and process documentation iii Preparation of annual action plan iv. Maintenance of meeting and training register, data management. v. Administration, roles and responsibility of cluster in promotion of PGS certified organic farming.
1.2.2	Training of Trainers (20) Lead Resource Persons @ Rs. 250/ day/cluster for 3 days	0	750	0		State Government in association with NCOF/RCOF/ICAR/SAUs will organize training for three days for LRPs on the following; i. Soil sample collection and quality control ii. Packaging, labeling, branding and marketing of organic produce iii. Community infrastructure required for preparation of bio-pesticides and bio-fertilizers

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
1.2.3	किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण @ ₹ 100/– प्रति समूह सदस्य x 50	0	5000	5000		फार्म के बारे में, अपनाई जाने वाली खेती की पद्धति, उपयोग, किये गये आदान, प्रशिक्षण एवं अन्य विवरण इत्यादि जैसी जानकारियों के साथ किसान के पीजीएस प्रमाणन के लिए पंजीकरण। प्रत्येक समूह में नियुक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर और सलाहकार डाटा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
1.2.4	मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं जाँच (21 नमूना/वर्ष/समूह) @ ₹ 190/– प्रति नमूना तीन वर्षों के लिए	3990	3990	3990		कृषि और बागवानी दोनों क्षेत्रों से नमूना एकत्रित करने की जिम्मेदारी समूह प्रमुख की होगी। मृदा नमूनों की जाँच राज्य/केन्द्रीय मृदा जांच प्रयोगशालाओं द्वारा की जाएगी। आईसीएआर/राज्य कृषि विश्व विद्यालयों के मृदा जांच परिणाम के आधार पर जैविक खेती के उपयुक्त पैकेज एवं पद्धति की सिफारिश समूह के सदस्यों के लिए करेंगे।
1.2.5	पीजीएस प्रमाणन के लिए जैविक पद्धति में परिवर्तन की प्रलेखीकरण प्रक्रिया, प्रयुक्त आदान, अपनायी गई फसल पद्धति, जैविक खाद एवं उर्वरक इत्यादि @ ₹ 150/– प्रति सदस्य x 50	5000	5000	5000		डाटा इन्ट्री ऑपरेटर और परामर्शदाता, पैकेज और पद्धति के विवरण और व्यक्तिगत किसान के पीजीएस प्रमाणन प्रक्रिया की हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों कॉपियों का समूह के कार्यालय में रखरखाव करेंगे।
1.2.6	समूह सदस्य के खेत का निरीक्षण @ ₹ 400/– निरीक्षण x 3 (3 निरीक्षण प्रति समूह प्रतिवर्ष किए जाएंगे)	1200	1200	1200		पीजीएस प्रमाणन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत किसान के खेत के निरीक्षण के लिए समूह प्रमुख उत्तरदायी होगा। एलआरपी (समूह प्रमुख) द्वारा कृषि पद्धति संबंधी विस्तृत टिप्पणी दर्ज की जाएगी और एलआरपी (समूह प्रमुख) द्वारा किसान की डायरी बनाई जाएगी। वह जैविक खेती की विभिन्न पद्धतियों के बारे में किसान को बताएगा और डायरी में भी दर्ज करेगा।

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
1.2.3	Online Registration of farmer @ Rs. 100 per member cluster x 50	0	5000	5000		Registration of farmer in PGS certification system with details like farm history, cropping pattern followed, inputs used, farmer pledge, meetings, trainings and others details etc. for PGS certification. Data entry operator and consultant appointed at each cluster will be responsible for maintaining data.
1.2.4	Soil sample collection and testing (21 samples/year/cluster) @ Rs. 190 per sample for three years.	3990	3990	3990		LRPs will be responsible for collecting soil samples from both agricultural and horticultural fields. Soil samples will be tested by State/Central soil testing laboratories and ICAR/ SAUs laboratories. Based on the soil test results suitable package and practices of organic farming will be recommended to members of a cluster.
1.2.5	Process documentation of conversion into organic methods, inputs used, cropping pattern followed, organic manures and fertilizer used etc. for PGS certification @ Rs. 100 per member x 50	5000	5000	5000		The data entry operator and consultant will maintain both hard and soft copies of details of packages and practices and PGS certification process of individual farmer at office of cluster.
1.2.6	Inspection of fields of cluster members @ Rs. 400/inspection x 3(3 inspections will be done per cluster per year)	1200	1200	1200		LRPs of cluster will be responsible for inspection of each individual farmer's field for effective implementation of PGS certification. The details of observations on farming practices will be recorded and farmer diary will be maintained by LRPs. He will also guide each farmer about various practices of organic farming and also record it in diary.

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
1.2.7	एनएबीएल में नमूना का अवशेष विश्लेषण (8 नमूना प्रतिवर्ष प्रति समूह) @ ₹ 10,000/– प्रति नमूना।	0	8000	8000		एनसीओएफ/आरसीओएफ के सहयोग से एलआरपी सदस्यों द्वारा चिन्हित खेत से जैविक नमूना एकत्रित करेंगे। कीटनाशियों और रासायनिक अवशेषों के लिए नमूनों का विश्लेषण एनएबीएल प्रयोगशालाओं में नमूनों को भेजकर करवाया जाएगा।
1.2.8	प्रमाणन शुल्क	0	2000	0		पीजीएस प्रमाणन; निरीक्षण, प्रलेखीकरण और नमूना जांच के आधार पर दिया जाएगा।
1.2.9	प्रमाणन के लिए प्रशासनिक व्यय	26150	16900	16900		समूह कार्यालय के रखरखाव हेतु कार्यालय का किराया, समन्वयक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन, कार्यालय का फर्नीचर, प्रिंटर, लेखन सामग्री इत्यादि के व्यय की पूर्ति हेतु, सहायता की जाएगी।
	योग	**36740**	**114840**	**112090**	**263670**	
2	**कृषक समूह के जरिए खाद प्रबंधन और जैविक नत्रजन दोहन के लिए जैविक गाँव का अंगीकरण।**					**जैविक गाँव के अंगीकरण के लिए राज्य सरकार परियोजना संस्तुति समिति के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत करेगी।**
2.1	**एक समूह के लिए जैविक खेती की कार्ययोजना**					**जैविक गांव अंगीकरण के लिए राज्य सरकार सहायता अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराएगी।**
2.1.1	भूमि का जैविक में परिवर्तन @ ₹ 1000/– प्रति एकड़ x 50	50000	50000	50000		मृदा जांच के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के जरिए और उपर्युक्त जैविक खेती पद्धति को अपनाकर, प्रदूषण रोकने के लिए भूमि के प्रतिरोधन (गड्ढ़ा बनाना/भूमि को चारों तरफ से बाड़ लगाना) के माध्यम से परंपरागत भूमि को जैव भूमि में परिवर्तित करने के लिए सहायता
2.1.2	फसल पद्धति को अपनानाः जैविक नर्सरी के लिए जैविक बीज खरीद पर @ ₹ 500 प्रति एकड़ प्रति वर्ष x 50 एकड़	25000	25000	25000		मृदा जांच के आधार पर उपयुक्त जैविक खेत पद्धति शुरू की जाएगी और वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। भूमि तैयारी, पौध संरक्षण, मजदूरी खर्च एवं जैविक बीज तैयार करने/कृषि खेत में आवश्यक अन्य रोपण सामग्री के लिए प्रत्येक किसान सदस्य की सहायता की जाएगी।

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
1.2.7	Residue analysis of samples in NABL (8 samples per year per cluster) @ Rs. 10,000/ sample	0	80000	80000		LRP members through association of NCOF/RCOF will collect organic samples from selected field. The analysis of samples for pesticides and chemical residues will be done by sending samples to NABL laboratories.
1.2.8	Certification Charges	0	2000	0		PGS Certification will be given on the basis of inspection, documentation and sample testing.
1.2.9	Administrative expenses for certification	26150	16900	16900		Assistance to maintain office of a cluster will be given to meet the expenses of rental charges of office, salary of coordinator and data entry operator, office furniture, computer, printer, stationeries etc.
	Total	**36740**	**114840**	**112090**	**263670**	
2.	**Adoption of organic village for manure management and biological nitrogen harvesting through cluster approach**					**State Government shall propose to Project Sanctioning Committee an action plan for adoption of organic village**
2.1	**Action plan for Organic Farming for one cluster**					**State Government shall be provided assistance as Grant-in-Aid for adoption of organic villages**
2.1.1	Conversion of land to organic @ Rs. 1000/ acre x 50	50000	50000	50000		Support for conversion of conventional land to organic land through preparation of annual action plan on the basis of soil testing and adopting suitable organic cultivation practices, buffering of land (making of pits/hedges around land) to prevent contamination.
2.1.2	Introduction of cropping system : Organic seed procurement of raising organic nursery @ Rs. 500/ acre/year x 50 acres	25000	25000	25000		Annual action plan will be prepared and suitable organic cropping system based on soil testing will be introduced. Each farmer member will be assisted for land preparation, plant protection, labor charges and other materials required for raising organic seeds/planting material in the farm field.

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
2.1.3	परंपरागत जैविक आदान उत्पादन संयंत्रों जैसे; पंचगव्य, बिजामृत और जीवामृत इत्यादि की खरीद @ ₹ 1500/– प्रति इकाई/एकड़ x 50 एकड़	75000	0	0		जैविक आदान उत्पाद इकाई लगाने और उसकी तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री (ग्लास, प्लास्टिक, बोतल, ड्रम, फिल्टर, स्प्रेयर और अन्य बर्तन इत्यादि) की खरीद के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।
2.1.4	जैविक नत्रजन स्थिरिकरण करने वाले पौंधे जैसे कि ग्लिरिसिडिया, सेस्बानिया इत्यादि @ ₹ 200/– प्रति एकड़ x 50 एकड़	50000	25000	25000		नत्रजन संचय करने वाले पौधे तैयार करने हेतु बीज की खरीद, भूमि गड्ढ़ा की तैयारी, मजदूरी इत्यादि के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।
2.1.5	वानस्पतिक अर्क उत्पादन इकाई @ ₹ 1000/– प्रति इकाई/एकड़ x 50 एकड़	50000	0	0		वानस्पतिक अर्क उत्पादन संयत्र लगाने और चलाने के लिए जरूरतमंद सामग्री (कांच अथवा प्लास्टिक बोतलें, ड्रम, फिल्टर, स्प्रेयर, अन्य बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।
	योग	**250000**	**100000**	**100000**	**450000**	
2.2	**समेकित खाद प्रबंधन**					
2.2.1	तरल जैविक उर्वरक उपयोग (नत्रजन स्थिरीकरण फास्फेट विलायक/पोटेशियम संचारित जैव उर्वरक) @ ₹ 500/– प्रति एकड़ x 50	25000	0	0		फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को मिट्टी/बीज में उपयोग के लिए तरल जैविक उर्वरक खरीदने हेतु सहायता दी जाएगी।
2.2.2	तरल जैव कीटनाशी (ट्रिकोडर्मा विरीडी, सूडोमोनास, मेटारजाइम, बिवोरी बैसियाना, पसेलोमाइसेस, वर्टीसिलियस) @ ₹ 500/– प्रति एकड़ x 50	0	25000	0		पौध फसल में बीमारियों को दूर करने के लिए तरल जैविक कीटनाशी खरीदने और प्रयुक्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
2.1.3	Traditional organic Input Production units like panchagavya, Beejamruth and Jeevamruth etc. @ Rs. 1500/unit/acre x 50 acre	75000	0	0		Each farmer member will be assisted for procurement of materials required (glass, plastic bottles drum, filters, sprayers, other utensils etc.) for construction and operation of organic input production units.
2.1.4	Biological Nitrogen fixing plants (Gliricidia, Sesbania etc.) @ Rs. 2000/acre x 50 acre	50000	25000	25000		Each farmer member will be assisted for procurement of seeds, preparation of land/pits, labor etc. for plantation of nitrogen harvesting plants.
2.1.5	Botanical extracts production units @ Rs. 1000/unit/acre x 50 acre	50000	0	0		Each farmer member will be assisted for procurement of materials required (glass or plastic bottles, drum, filters, sprayers, other utensils etc) for construction and operation of botanical extract production units.
	Total	**250000**	**100000**	**100000**	**450000**	
2.2	**Integrated Manure Management**					
2.2.1	Liquid Biofertilizer consortia (Nitrogen fixing/phosphate Solubilizing/ potassium mobilizing biofertilizer) @ Rs. 500/acre x 50	25000	0	0		Each farmer member will be assisted for procuring liquid biofertilizer and its application to soil/seed to increase crop production.
2.2.2	Liquid Biopesticides (Trichoderma viridae, Pseudomonas, Metarhizium, Beaviourie bassiana, Pacelomyces, verticillium) @ Rs. 500/acre x 50	0	25000	0		Each farmer member will be assisted for procuring and application of liquid biopesticides for suppression of disease in crop plants.

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
2.2.3	किसान अपने स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध किसी भी प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र को @ ₹ 500/– प्रति एकड़ x 50 पर ले सकते हैं	0	25000	0		कीट और बीमारी नियंत्रण के लिए नीम खली और नीम तेल खरीदने और प्रयुक्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान की सहायता की जाएगी।
2.2.4	एफसीओ 1985 में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार फास्फेट प्रचुर जैविक खाद (पीआरओएम) @ ₹ 1000/– प्रति एकड़ x 50	50000	0	0		मृदा में फास्फेट/जिंक की कमी को दूर करने के लिए फास्फेट प्रचुर कार्बनिक खाद/जाइम कणिका खरीदकर मृदा में प्रयुक्त करने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।
2.2.5	वर्मी कम्पोस्ट (आकार 7' x 3' x 1') @ ₹ 5000/– प्रति इकाई x 50	250000	0	0		वर्मी कम्पोस्ट इकाई शुरू करने के लिए केंचुए की खरीद, गड्ढ़े की तैयारी और ईंट की दीवार बनाने, मजदूरी और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक सदस्य किसान को सहायता दी जाएगी।
	योग	**325000**	**50000**	**0**	**375000**	
2.3	**समेकित खाद प्रबंधन**					
2.3.1	कृषि उपकरण (एसएमएएम दिशानिर्देशानुसार) i. पावर टिलर ii. कोनो वीडर iii. पैडो थ्रेसर iv. फरो ओपनर v. स्प्रेयर vi. रोज केन vii. टाप पैन बैलेंस	15000	15000	15000		कृषि उपकरणों (पावर टिलर, कोनोवीडर, पैडी थ्रेसर, फरो ओपनर, रोज कैन, कार्बनिक उत्पाद प्रसंस्करण/ग्रेडिंग/ क्लीनिंग/थ्रेसिंग और भूमि तैयारी इत्यादि के लिए टाप पैन बैलेंस) के उपयोग हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र के किराये का भुगतान करने के लिए समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह माना जाता है कि एसएमएएम के अंतर्गत सीएचसी अनुमोदित है। एसएएमएएम के अंतर्गत राज्य सरकार कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता दे सकती है।
2.3.2	बागवानी के लिए वाक इन टनल (एमआईडीएच के दिशानिर्देशानुसार)	0	0	0		राज्य सरकार एमआईडीएच के अंतर्गत कोई अतिरिक्त सहायता दे सकती है।

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
2.2.3	Farmer can take up any natural pest control mechanism easily available in their local area @ 500/acre x 50	0	25000	0		Each farmer member will be assisted for procuring and application of Neem Cake/Neem Oil for control of pest and disease.
2.2.4	Phosphate Rich Organic Manure (PROM) as per specification given in FCO 1985 @ Rs. 1000/ acre x 50	50000	0	0		Each farmer member will be assisted for procuring and application of Phosphate Rich Organic Manure to soil to meet phosphorus/Zinc deficiency in soil.
2.2.5	Vermipost (size 7ft x 3ft x 1ft) @ Rs. 5000/ units x 50	250000	0	0		Each farmer member will be assisted for procurement of earth worms, preparation of pits, and construction of brick wall, labour charges and other raw materials required for construction of vermi composting units.
	Total	**325000**	**50000**	**0**	**375000**	
2.3	**Integrated Manure Management**					
2.3.1	Agricultural implements (As per SMAM guidelines) i. Power tiller ii. Cono weeder iii. Paddy thresher iv. Furrow operner v. Sprayer vi. Rose can vii. Top Pan balance	15000	15000	15000		Financial assistance will be given for a cluster to manage their members to pay the charges of custom hiring centre for utilizing the agricultural implements (Power tiller, Cono weeder, Paddy thresher, Furrow opener, Rose can, Top balance for processing/grading/cleaning/ threshing of organic produce and land preparation etc. it is assumed that CHC under SMAM is sanctioned. State Government may give any additional financial support under SMAM.
2.3.2	Walk-in tunnels for horticulture (As per guidelines of MIDH)	0	0	0		State Government may give any additional financial support under MIDH.

क्र. सं.	घटक	सहायता राशि (रूपये में)				टिप्पणी
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
2.3.3	पशु कम्पोस्ट के लिए पशु/मुर्गी/सुअर बाड़ा (गोकुल योजना के दिशानिर्देशानुसार)	0	0	0		राज्य सरकार गोकुल योजना के अंतर्गत कोई अन्य वित्तीय सहायता दे सकती है।
	योग	**15000**	**15000**	**15000**	**45000**	
2.4	**समूह द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग**					
2.4.1	पीजीएस लोगो + होलोग्राम प्रिंटिंग के साथ सामग्री की पैकिंग	0	62500	62500		पैकिंग सामग्री खरीदने, लेबल बनाने, होलोग्राम प्रिंटिंग इत्यादि और जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग (प्रचार) के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसकी व्यवस्था समूह के प्रमुख द्वारा की जाएगी। पीजीएस – क्षेत्र के लिए इण्डिया ग्रीन लोगो प्रयुक्त किया जाता है। पीजीएस – पूर्व रूप से परिवर्तित जैविक क्षेत्र के लिए इण्डिया जैविक लोगो प्रयुक्त किया जाता है। लेबल इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि उस पर समूह का नाम, जिला, जैविक उत्पाद ब्राडिंग के लिए प्रयुक्त, यूनिक उत्पाद पैकिंग लिखा जा सकता हो।
2.4.2	जैव उत्पाद का परिवहन (1.5 टन भारत क्षमता वाला चौपहिया वाहन) एक समूह के लिए अधिकतम सहायता @ ₹ 120000/–	0	120000	0		जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने और इसके परिवहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह निधि (फंड) चौपहिया परिवहन वाहन खरीदने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।
2.4.3	जैव उत्पादन मेला (अधिकतम सहायता @ ₹ 36330/– प्रति समूह दी जाएगी)	0	36330	0		जैविक मेला आयोजन के लिए स्टाल की व्यवस्था, किराया, मजदूरी, प्रचार, सामग्री, यातायात आदि की व्यवस्था पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए समूह को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
	योग	**0**	**218830**	**62500**	**281330**	

S. No.	Component	Pattern of Assistance (in Rs.)				Remarks
		1st year	2nd year	3rd year		
2.3.3	Cattle shed/poulty / piggery for animal compost (As per guidelines of Gokhul Scheme)	0	0	0		State Government may give any additional financial support under Gokhul Scheme.
	Total	**15000**	**15000**	**15000**	**45000**	
2.4	**Packing, Labeling and Branding of organic products of cluster**					
2.4.1	Packing material with PGS logo + Hologram printing @ Rs. 2500/ acre x 50	0	62500	62500		Financial assistance will be given for procuring packing material, preparation of labels, Holograms, printing etc. and branding of organic products. It will be managed by LRPs of Cluster. PGS-India Green logo used for area PGS-India Organic logo used foe completely converted organic area. The labeling may be designed consisting of name of cluster, district and unique product packing used for branding organic produce.
2.4.2	Transportation of organic produce (Four wheeler, 1.5 tone load capacity) @ Rs. 120000 max. assistance for 1 cluster	0	120000	0		Financial assistance will be given for collection and transportation of organic produce to market places. The funds will also be utilized for purchasing four wheel transport vehicle.
2.4.3	Organic Fairs (maximum assistance will be given @ 36330 per cluster	0	36330	0		Financial assistance will be given for a cluster for organizing organic fair to meet the expenses of arranging stalls, rent charges, labor charges, publicity material, transportation and management of event.
	Total	**0**	**218830**	**62500**	**281330**	

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

मुख्य विशेषताएं

- देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक खेती की संभावना को समझने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरूआत की है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देता है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के जैविक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
- किसान हित समूह (एफआईजी) किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) को संग्रहण, एकत्रण, फसलोपरांत प्रसंस्करण प्रक्रिया से युक्त किया जाएगा तथा मंडी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।
- मूल्य श्रृंखला उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, मूल्य श्रृंखला समर्थन एजेंसियों के माध्यम से 50,000 किसानों को लाभ प्राप्त होगा।
- जैविक उत्पादों के अपने ब्रांड विकसित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों को समर्थ बनाना।
- फसलों की व्यापक रेंज का पता लगाने के लिए अत्यधिक संपन्न जैव–विविधता का महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करना।

उत्पादन से संस्करण, वितरण और अंतिम रूप से ग्राहकों तक पहुचाने की समग्र सुविधाओं के साथ वाणिज्यिक जैव कृषि समूहों के विकास के अंतिम उद्देश्य से मूल्य श्रृंखला विकास हेतु योजना के अनिवार्य घटक

क्या पायें ?

क्र. सं.	घटक	दर (रुपये)
क.	**मूल्य श्रृंखला उत्पादन**	
क1.	**जैविक उत्पादन समूहों का उत्पादन**	
क.1.1.	समूह विकास तथा एसएफएसी प्रतिमानों के अनुसार कृषक उत्पादक कंपनियों का गठन, 500 किसानों को शामिल करते हुए 100 एफपीसी में से प्रत्येक के लिए 20.375 लाख रू०/एफपीसी की दर से	4075/- प्रति किसान.
क.1.2	खेतों पर आदान उत्पादन अवसंरचना हेतु सहायता 3750 रू०/है० की दर से और ऑफ फार्म आदानों 3750 रू०/है० की दर से	7500/ है०x2 =15000/है०
क.1.3	गुणवत्ताप्रद बीज और पौध रोपण सामग्री हेतु सहायता (अधिकतम 35000/है० का 50% प्रति फसल के अनुसार वास्तविक लागत तक सीमित)	17500 प्रति है०
क.2	**विस्तार सेवाओं, आदान सुलभ कराने, प्रशिक्षण सहायता और प्रमाणीकरण के लिए समर्थन**	
क.2.1	राज्य की अग्रणी एजेंसियों के लिए आदान वितरण और कृषि मशीनरी कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता	10 लाख/ एफपीओ
क.2.2	**प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और उत्पादन चरण पर प्रमाणीकरण के लिए समर्थन और विस्तार सेवायें**	
क.2.2.1	प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग/आईसीएस प्रबंधन, प्रलेखन और सेवा प्रदाताओं के लिए फसल उत्पादन का प्रमाणीकरण (एमआईडीएच के अनुसार)	10,000/– प्रति है०
ख.	**मूल्य श्रृंखला प्रसंस्करण (बैंक से जुडे हुए ऋण के जरिए एफपीसी और निजी उद्यमियों के लिए)**	
ख1.	**मूल्य श्रृंखला फसल पश्चात–संकलन, समुच्चयन, ग्रेडिंग सुविधाओं की स्थापना**	

Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region

Salient Features

- Realising the potential of organic farming in North Eastern Region of the country Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched this Central Sector Scheme.
- Department promotes organic farming in North Eastern States
- North Eastern States of India will develop as organic hub of India.
- Farmers Interest Group (FIG)/ Farmers Producer Companies (FPCs) will be equipped with collection, aggregation, post harvest process and linking with market facilities.
- 50,000 farmers will be benefitted through value chain production, processing, marketing and value chain support agencies.
- To enable NE Region to evolve their own brand of organic produce.
- Extremely rich Bio-diversity, valued options for wide range of crops to explore.

Essential scheme components for value chain development with the final aim to develop commercial organic farming clusters with end-to-end facilitates from production to processing, marketing and finally delivering to the customer.

What You Can Get?

S. No.	Components	Rate (Rs.)
A.	**A. Value chain Production**	
A1.	**Development of Organic Production Clusters**	
A.1.1.	Clusters development and formation of Farmer Producer Companies, as per SFAC norms. For 100 FPCs each comprising of 500 farmers @ Rs. 20.375 lakh/FPC.	4075/- per farmer.
A.1.2	Assistance for on-farm input production infrastructure (@ Rs 3750/ ha) and off-farm inputs (@ Rs 3750/ha).	7500/ ha x2 =15000/ha
A.1.3	Assistance for quality seed and planting material (50% of maximum Rs. 35,000/ha limited to the actual cost as per crop).	17500 per ha
A.2	**Support for extension services, input facilitation, training handholding and certification**	
A.2.1	Assistance for setting up of input delivery, distribution and agri-machinery custom hiring centre through state lead agencies.	10 lakh/ FPO
A.2.2	**Support and extension services for training, handholding and certification at production stage**	
A.2.2.1	Training, hand holding, documentation and certification of crop production through service providers (As per MIDH).	10,000/- per ha
B.	**Value Chain Processing (For FPC and private entrepreneur through Bank credit linked)**	
B1.	**Value Chain Post harvest - Setting up of collection, aggregation, grading facilities**	

क्र. सं.	घटक	दर (रुपये)
ख.1.1	संकलन, समुच्चयन और ग्रेडिंग यूनिटों के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की स्थापना / 15 लाख रू० (75 प्रतिशत राज सहायता)	11.25 लाख
ख2.	**पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन सहित मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना**	
ख.2.1	ऋण से जुडी हुई पाश्वांत राज सहायता के रूप में 800 लाख रू० अथवा अधिक के टीएफओ के साथ समेकित प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए लिए वित्तीय सहायता (एफपीसी के लिए 75 प्रतिशत और निजी कम्पनी हेतु 50 प्रतिशत तक सीमित)	600.00 लाख
ख.3	**मूल्य श्रृंखला पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन**	
ख.3.1	एकीकृत पैक हाउस की स्थापना– एफपीसी जिसकी टीएफओ 50 लाख या उससे ज्यादा हो तो उसे 75% का अनुदान और निजी लिमिटेड को 50% की अनुदान राशि जो कि 37.50 लाख तक सीमित।	37.50 लाख
ख.3.2	परिवहन/4 व्हीलर, 12 लाख रू० टीएफओ तक (50%)	6.00 लाख/एफपीसी - आवश्यकता आधारित
ख.3.3.1	25 लाख रू० के टीएफओ तक प्रशितित परिवहन वाहन (एफपीसी के लिए 75 प्रतिशत और निजी कम्पनी के लिए 50 प्रतिशत तक राज सहायता)	18.75 लाख
8.3.3.2	पूर्व शीतन/कोल्ड स्टोर/राइपनिंग चेम्बर	18.75 लाख
ग.	**मूल्य श्रृंखला विपणन– ब्रांडिंग, लैवलिंग, प्रमाणीकरण,गुणवत्ता नियंत्रण, खुदरा केन्द्र, मुख्य एजेंसियों के जरिए जागरूकता और प्रचार**	
ग.1	प्रसंस्करण यूनिटों का ब्रांडिंग, लेवलिंग, पैकेजिंग, प्रचार और प्रमाणीकरण आदि (एलएस)	प्रस्ताव के अनुसार, सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता
ग.2	सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/क्रेता–विक्रेता, निलामी बैठक, समारोह	प्रस्ताव के अनुसार, सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता
ग.3	प्रचार मुद्रित साहित्य फिल्मों और स्थानीय विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ता जागरूकता सूचना प्रसार	प्रस्ताव के अनुसार, सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता
ग.4	मुख्य मंडियों में स्थान किरायें पर लेना	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार
घ.	**मूल्य श्रृंखला सहायता एजेंसी**	
घ1.	**स्कीम कार्यान्वयन और मंडी सुविधा हेतु अग्रणी एजेंसी/जैव जिंस बोर्ड/जैव मिशन की स्थापना राज स्तर पर स्थापित किया जाए**	
घ .1.1	स्टाफ, जनशक्ति, यात्रा और आकस्मिकताओं, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और किराया/ मशीनरी और उपकरणों की खरीद	कुल स्कीम बजट का 5%
घ.1.2	जैविक प्रमाणीकरण निकायों की स्थापना प्रचालनात्मक मैनुअल को तैयार करने, प्रशिक्षण और मानव शक्ति की जानकारी और संस्थागत स्थापना को सुविधाजनक बनाना और मानव शक्ति की लागत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा	

किससे संपर्क करें ?

राज्य स्तर पर : उत्तर पूर्वी राज्यों के बागवानी/कृषि निदेशक

जिला स्तर पर : उत्तर पूर्वी राज्यों के जिला कृषि/बागवानी अधिकारी, आत्मा के परियोजना निदेशक।

S. No.	Components	Rate (Rs.)
B.1.1	Setting up of functional infrastructure for collection, aggregation and grading units @ Rs. 15 lakh (75% subsidy).	11.25lakh
B2.	**Setting up of value addition and processing units including packaging, storage and transportation**	
B.2.1	Financial assistance for setting up of integrated processing units with Total Financial Outlay (TFO) of Rs. 800 lakh or more limited to 75% to FPCs and 50% to private as credit linked back ended subsidy	600.00 lakh
B.3	**Value chain packaging, storage and transportation**	
B.3.1	Integrated pack house 75% subsidy to FPCs on TFO of Rs. 50 lakh or more and 50% to private limited to Rs. 37.50 lakh	37.50 lakh
B.3.2	Transportation/ 4 wheeler up to TFO of Rs. 12 lakh (50%)	6.00 lakh/ FPC. Need based
B.3.3.1	Refrigerated transport vehicle up to TFO of Rs. 25 lakh (75% subsidy to FPC and 50% to private)	18.75 lakh
B.3.3.2	Pre-cooling/ cold stores/ ripening chambers.	18.75 lakh
C.	**Value chain Marketing – Branding, labelling, certification, quality control, retail outlets, awareness and publicity through lead agencies**	
C.1	Branding, labeling, packaging, publicity and certification of processing units etc. (LS)	As per proposal, Need to be ascertained
C.2	Seminars/ conferences, workshops, Buyer-seller meets, auction meetings, festivals.	As per proposal, Need to be ascertained
C.3	Consumer awareness Information dissemination through publicity, printed literature films and local advertisements	As per proposal, Need to be ascertained
C.4	Hiring of space in prime markets	As per project proposal
D.	**Value Chain Support Agencies**	
D 1.	**Setting up of Lead agency/Organic Commodity Board/ Organic Mission for scheme implementation and market facilitation. To be set up at state level**	
D.1.1	Staff, manpower, travel and contingencies, Institutional strengthening and hire/ purchase of machinery and equipments	5% of total scheme budget
D.1.2	Setting up of organic certification bodies. One time assistance will be provided for hiring consultants for preparation of operating manuals, training and exposure of manpower and facilitating institutional set up. Cost of manpower to be borne by the state.	

Whom to Contact?

At the state level : Director (Horticulture/ Agriculture) of North Eastern States.

At District level : District Horticulture Officers, District Agricultural Officers/Project Director ATMA in North Eastern States.

6

बागवानी

अधिक आय के लिए फलों, सब्जिंयों और फूलों की खेती

क्या करें?

- कम भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागवानी फसलों को उगाएं।
- अच्छी फसल के लिए उच्चत गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें।
- अधिक समय तक फलों और सब्जियों को ताजा रखने के लिए शीत–भंडारण सुविधाएं/शीत गृहों का इस्तेमाल करें।
- फसल कटाई, स्वच्छता उपायों, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के सही तरीकों को अपनाकर अधिक आय अर्जित करें।
- पोली–हाउसों और लो–टनल में गैर मौसमी सब्जियों और फलों का उत्पादन करें।

क्या पायें ?

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
क:	बागवानी के तहत सहायता			
1.	सब्जी बीज उत्पादन (अधिकतम 5 हे0/लाभार्थी)			
	क) खुली परागण वाली फसलें	(क) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, सामान्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए 35%, पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के लिए 50%। प्रत्येक फसल के लिए बीज का निवेश लक्ष्य संबंधित राज्ये द्वारा निर्धारित किया जाता है।	क) खुली परागण वाली फसलों के लिए रु. 35,000/– प्रति है0	एमआईडीएच के तहत एनएचएम और एचएमएनईएच की उप–स्कीमें
	ख) संकर बीज	ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, सामान्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए 35%, पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के लिए 50%। निधियां निर्मुक्त करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रत्येक फसल के लिए बीज का निवेश लक्ष्य संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है।	ख) रु.1.50 लाख प्रति है0	–तदैव–

6

HORTICULTURE
(Cultivation of Fruits, Vegetables and Flowers for Higher Income)

What to do?

- Grow Horticultural Crops for higher income from lesser area.
- For healthy crop use high quality planting material.
- To keep fruits and vegetables fresh for longer period, use cold storage facility/cool houses.
- Earn maximum profit by adopting correct method of harvesting, cleaning, grading, processing and packaging.
- Produce off-season vegetables and flowers in poly-houses, low tunnels.

What You Can Get?

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
A : Assistance under Horticulture				
1.	Vegetable Seed Production (Maximum 5 ha / beneficiary)			
	a) Open pollinated crops	(a) For public sector 100%, for private sector 35% in general area, 50% in NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands. Output target of seed for each crop will be fixed by the individual state.	a) Rs. 35,000/- per ha for open pollinated crops.	Sub Schemes of NHM & HMNEH under MIDH
	b) Hybrid seeds	b) For public sector 100%, for private sector 35% in general area, 50% in NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands. Output target of seed for each crop will be fixed by the individual states for each beneficiary, before releasing funds.	b) Rs. 1.50 lakh /- per ha.	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
2.	हाई–टैक पौधशाला (2–4 हे0 प्रति इकाई)	रु. 100 लाख प्रति इकाई तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, निजी क्षेत्र को ऋण संबद्ध पश्चवर्ती राजसहायता लागत की 40% की दर पर दी जाएगी। बशर्ते कि प्रोरेट आधार पर परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में अधिकतम 4 हे0 क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा 40 लाख रु./प्रति इकाई हो। प्रत्येक पौधशाला में प्रति वर्ष 1 हे0 भूमि पर अधिदेशित बारहमासी फलों/वृक्ष प्रजातियों/संबंधित वृक्षों/रोपण फसलों के कम से कम 50000 पौधे उगाए जाएंगे जिनकी गुणवत्ता को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।	रु. 25.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
3.	लघू पौधशाला (1 है0 प्रति इकाई)	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100%, और निजी क्षेत्र के मामले में लागत की ऋण संबद्ध पश्चवर्ती राजसहायता बशर्ते कि परियोजना आधारित कार्यकलाप के रूप में रु. 7.50 लाख प्रति इकाई हो। प्रत्येक पौधशाला में प्रति वर्ष अधिदेशित बारहमासी वानस्पतिक रूप से प्रसारित फलों/पादपों/वृक्ष प्रजातियों/सुगंधित वृक्षों संबंधित वृक्षों/रोपण फसलों के कम से कम 25000 पौधे उगाए जाएंगे जिनकी गुणवत्ता को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।	रु. 15.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
4.	**नए उद्यानों की स्थापना (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हे0 क्षेत्र के लिए क्षेत्र विस्तार)**			
	I. फल			
	(क) गहन फसलों की लागत			
	(i) अंगूर, कीवी, पैशन फल आदि जैसे फलों की फसलें (ड्रिप टपक सिंचाई के साथ)	ड्रिप सिंचाई, ट्रेलिज और आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 1.60 लाख (लागत का 40%) (60:20:20 की तीन किस्तों में बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए)। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	4.00 लाख रु. प्रति है0	एमआईडीएच के तहत एनएचएम और एचएमएनईएच की उप–स्कीप

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
2.	Hi-tech Nursery (2-4 ha unit)	100% to public sector limited to Rs. 100 lakh/ unit and in case of private sector, credit linked back-ended subsidy @40% of cost, subject to a maximum of Rs. 40 lakh/unit, for a maximum of 4 ha. as project based activity on prorate basis. Each nursery will produce a minimum of 50,000 numbers per hectare of mandated perennial fruit crops/ tree spices/ aromatic trees/plantation crops per year, duly certified for its quality.	Rs. 25.00 lakh per ha	-do-
3.	Small Nursery (1ha unit)	100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended subsidy of cost, subject to a maximum of Rs. 7.50 lakh/unit, as project based activity. Each nursery will produce a minimum of 25,000 numbers of mandated perennial vegetatively propagated fruits plants / tree spices/ aromatic trees/plantation crops per year, duly certified for its quality.	Rs. 15.00 lakh per ha	-do-
4	**Establishment of new gardens (Area expansion- for a maximum area of 4 ha per beneficiary)**			
	I. Fruits			
	(a) Cost intensive crops			
	(i) Fruit crops like Grape, Kiwi, Passion fruit etc. (with integration of drip etc.)	Maximum of Rs. 1.60 lakh per ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip irrigation, trellies and INM/IPM, (3 installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year). For NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of costs.	Rs. 4.00 lakh / ha	Sub-Schemes of NHM & HMNEH under MIDH

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) फल (टपक सिंचाई के बिना)	60:20:20 की तीन किस्तों में रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम के खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 0.50 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए)। पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रू. 1.25 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ख) स्ट्राबेरी			
	i) ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग सहित समेकित पैकेज	ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू 1.12 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) एक किस्त में।	रु. 2.80 लाख प्रति है0	–तदैव–
	ii) समेकन के बगैर	आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री और आईएनएम लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) एक किस्त में । उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रु. 1.25 लाख प्रति है0	–तदैव–
	ग) केला (संकर)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और आईएनएम/आईपीएम के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.80 लाख प्रति है0 (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)।	रु. 2.00 लाख प्रति है0	–तदैव–
	ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम सामग्री की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.35 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दो किस्तों में दी जाएगी।	रु. 87,500 प्रति है0	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	(ii) Fruits (without Drip irrigation)	Maximum of Rs. 0.50 lakh/ ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 3 installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year). For NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost.	Rs. 1.25 lakh / ha.	-do-
	b) Strawberry			
	i) Integrated package with drip irrigation & mulching	Maximum of Rs. 1.12 lakh/ per ha. (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip irrigation, mulching and INM/IPM, in one installment.	Rs.2.80 lakh/ha	-do-
	ii) Without Drip irrigation integration	Maximum of Rs. 0.50 lakh/ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in one installment. For (i) & (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost.	Rs. 1.25 lakh/ha	-do-
	c) Banana (sucker)			
	i) Integrated package with drip irrigation.	Maximum of Rs. 0.80 lakh/ha (40% of the cost) for meeting expenditure on planting material, drip irrigation and cost of material for INM/IPM, in two installments (75:25).	Rs. 2.00 lakh/ha	-do-
	ii) Without Drip irrigation integration	Maximum of Rs. 0.35 lakh/ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 2 installments (75:25). For (i) & (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in 2 installments.	Rs.87,500/ha	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	घ) अनानास (संकर)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और आईएनएम/आईपीएम के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 1.20 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में)।	रू. 3.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री, और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.35 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी।	रू. 87,500 प्रति हे0	– तदैव –
	ड) केला (उत्तक–संवर्धन)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप प्रणाली, आईएनएम/आईपीएम आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 1.20 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में) (75:25)।	रू. 3.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी (75:25)।	रू. 1.25 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	च) अनानास (उत्तक–संवर्धन)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप प्रणाली, रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदि के लिए सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 2.20 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में) (75:25)।	रू. 5.50 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.50 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी (75:25)।	रू. 1.25 लाख प्रति हे0	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	d) Pineapple (sucker)			
	i) Integrated package with drip irrigation.	Maximum of Rs. 1.20 lakh/ha (40% of the cost) for meeting expenditure on planting material, drip irrigation and cost of material for INM/IPM, in two installments.	Rs. 3.00 lakh/ha	-do-
	ii) Without integration	Maximum of Rs. 0.35lakh/ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost ofINM/IPM in two installments (75:25). For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in 2 installments (75:25).	Rs.87,500/ha	-do-
	e) Banana (Tissue-Culture)			
	i) Integrated package with drip irrigation.	Maximum of Rs. 1.20 lakh/ha (40 % of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system, INM/IPM etc., in 2 installments (75:25).	Rs. 3.00 lakh/ha	-do-
	ii) Without integration	Max. of Rs. 0.50 lakh per ha, (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in two installments (75:25). For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in two installments (75:25).	Rs. 1.25 lakh/ha.	-do-
	f) Pineapple (Tissue-Culture)			
	i) Integrated package with drip irrigation.	Maximum of Rs. 2.20 lakh/ha (40 % of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system, INM/IPM etc., in two installments (75:25).	Rs. 5.50 lakh /ha.	-do-
	ii) Without integration	Max. of Rs. 0.50 lakh per ha, (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in 2 installments (75:25). For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in two installments (75:25).	Rs. 1.25 lakh/ha.	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	छ) पपीता			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	आईएनएम/आईपीएम के लिए रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई और सामग्री लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.80 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) दो किस्तों में) (75:25)।	2.00 लाख रु. प्रति है0	– तदैव –
	ii) ड्रिप सिंचाई समेकन के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रू. 0.30 लाख प्रति हे0 (लागत का 50%) दो किस्तों में (75:25)। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्योंा, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से दो किस्तों में सहायता (75:25)।	60,000 रु. प्रति है0	– तदैव –
	ज) अत्यधिक घनत्व वाले उद्यान (मेढ़ पर उद्यान)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	ड्रिप सिंचाई, आईएनएमःआईपीएम और कैनोपी प्रबंधन के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में रोपण सामग्री और सामग्री लागत खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 0.80 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) बशर्त कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित)।	2.00 लाख रु. प्रति है0	– तदैव –
	ii) ड्रिप सिंचाई के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 0.50 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) तीन किस्तों में। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से किस्तों में सहायता (75:25)।	1.25 लाख रु. प्रति है0	– तदैव –
	i) सघन रोपण हेतु सामग्री (आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, नींबू आदि)			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप प्रणाली लागत, आईएनएम/आईपीएम, कैनोपी प्रबंधन आदि के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 0.60 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) बशर्त कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित)।	Rs. 1.50 लाख रु. प्रति है0	– तदैव –

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	g) Papaya			
	i) Integrated package with drip irrigation.	Maximum of Rs. 0.80 lakh/ha (40% of the cost) for meeting expenditure on planting material, drip irrigation and cost of material for INM/IPM, in two installments (75:25).	Rs. 2.00 lakh/ha.	-do-
	ii) Without Drip integration	Maximum of Rs. 0.30 lakh/ha (50 % of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in two installments (72:25).. For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in two installments (75:25).	Rs. 60,000/ha	-do-
	h) Ultra high density (Meadow orchard)			
	i) Integrated package with drip irrigation	Maximum of Rs. 0.80 lakh/ ha. (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system, INM/IPM, and canopy management in 3 installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year).	Rs. 2.00 lakh/ha.	-do-
	ii) Without Drip integration	Maximum of Rs. 0.50 lakh/ha., (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in three installments.. For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in three installments.	Rs. 1.25 lakh/ha	-do-
	i) High density planting (mango, guava, litchi, pomegranate, apple, citrus etc).			
	i) Integrated package with drip irrigation	Maximum of Rs. 0.60 lakh per ha. (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material, cost of drip system, INM/ IPM, canopy management etc., in three installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year).	Rs. 1.50 lakh /ha	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ii) समेकन ड्रिप के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति है0 0.40 लाख रु. (लागत का 40%) तीन किस्तों में 60:20:20)। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को 60:20:20 की तीन किस्तों में लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी । बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए)।	रु. 1.00 लाख प्रति हे0	– तदैव –
ख. लागत प्रभावी फसलों के अलावा फलों की अन्यत फसल				
	क) सामान्य दूरी का उपयोग करके लागत प्रभावी फसलों के अलावा फलों की अन्य फसलें			
	i) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	रोपण सामग्री, ड्रिप प्रणाली लागत, आईएनएम/आईपीएम, कैनोपी प्रबंधन आदि के लिए 60:20:20 की तीन किस्तों में खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 0.40 लाख रु. प्रति है0 (लागत का 40%) बशर्ते कि दूसरे वर्ष में 75% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए) और गैर बारहमासी फसलों के लिए अदायगी 75:25 की दो किस्तों में की जाए।	रु. 1.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ii) समेकन ड्रिप के बगैर	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति है0 0.30 लाख रु. (लागत का 50%) सभी राज्यों को तीन किस्तों में। उपर्युक्तक (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से तीन किस्तों में सहायता दी जाएगी।	रु. 60,000 प्रति हे0	–तदैव–
5.	**मसाले (अधिकतम 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए)**			
	(i) बीज वाले मसाले और जड़ वाले मसाले	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम की लागत पर संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम प्रति है0 12,000 रु. (लागत का 40%)।	रु. 30,000/- प्रति हे0	एमआईडीएच के तहत एनएचएम और एचएमएनईएच की उप–स्कीमें

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	ii) Without Drip Integration.	Maximum of Rs. 0.40 lakh/ha (40% of the cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in three installments (60:20:20). For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in three installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year)	Rs. 1.00 lakh/ha.	-do-
(b) Fruit crops other than cost intensive				
	a) Fruit crops other than cost intensive crops using normal spacing			
	i) Integrated package with drip irrigation	Maximum of Rs. 0.40 lakh/ ha. (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material, cost of drip system, INM/ IPM, canopy management etc in three installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year & 90% in 3rd year for perennial crops and for non perennial crops in 2 installments of 75:25.	Rs. 1.00 lakh/ha	-do-
	ii) Without Drip Integration	Maximum of Rs. 0.30 lakh/ha (50 % of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of INM/IPM in three installments, in all States. For (i) and (ii) above, in the case of NE and Himalayan States, TSP areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in three installments.	Rs. 60,000/ha	-do-
5.	**Spices (For a maximum area of 4 ha / beneficiary)**			
	(i) Seed Spices and Rhizomatic Spices	Maximum of Rs. 12,000/- per ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.	Rs. 30,000/- per ha	Sub-Schemes of NHM & HMNEH under MIDH

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	(ii) बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दाल चीनी, लौंग और जायफल)	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 20000 हजार रु. प्रति है0 (लागत का 40%)। उपर्युक्त (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता।	रु. 50,000 प्रति हे0	–तदैव–
6.	**फूल (प्रति लाभार्थी 2 हैक्टेरयर के लिए)**			
	i) कट पुष्प	सामान्यत क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 40%, अन्यन श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25% तथा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को लागत का 50%।	i) रु. 1.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–
	ii) कन्द पुष्प		ii) रु. 1.5 लाख प्रति हे0	
	iii) लूज पुष्प		iii) रु. 40,000 प्रति हे0	
7.	**सुगंधित पादप (प्रति लाभार्थी 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए)**			
	i) लागत प्रभावी सुगंधित पादप (पचौली, जिरेनियम, रोजमेरी आदि)	रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम सामग्री के लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम 40,000 हजार रु. प्रति है0 के तक सीमित (लागत का 40%)।	i) 1,00,000 रूपए प्रति हैक्टेयर	–तदैव–
	ii) अन्य–सुगंधित पादप	ii) रोपण सामग्री और आईएनएम/आईपीएम सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 16,000 प्रति हे0 के तक सीमित (लागत का 40%)। उपर्युक्तो (i) एवं (ii) के लिए पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, टीएसपी क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह को लागत के 50% की दर से सहायता दी जाएगी।	ii) रु. 40,000 प्रति हे0	–तदैव–
8.	**रोपण फसलें (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए)**			
	i) काजू और कोको			
	अ) ड्रिप सिंचाई के साथ समेकित पैकेज	60:20:20 की तीन किस्तों में ड्रिप प्रणाली आईएनएम/आईपीएम, रोपण सामग्री और सामग्री लागत पर खर्च को पूरा करने हेतु अधिकतम रु. 0.40 लाख प्रति हे0 (लागत का 40%) बशर्त कि दूसरे वर्ष में 50% और तीसरे वर्ष में 90% की दर निर्धारित की जाए)।	रु. 1.00 लाख प्रति हे0	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	(ii) Perennial Spices (black pepper, cinnamon, clove and nutmeg)	Maximum of Rs. 20,000/- per ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. For (i) and (ii) above, in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost.	Rs. 50,000/- per ha	
6.	**Flowers (For maximum of 2 ha / beneficiary)**			
	i) Cut Flowers	40% of the cost for small and marginal farmers and 25% of the cost to other category farmers in general areas ,50% of cost in NE & HS, TSP areas and A&N & Lakshadweep Islands.	i) Rs. 1.00lakh/- per ha	-do-
	ii) Bulbous Flowers		ii) Rs. 1.5 lakh/- per ha	-do-
	iii) Loose Flowers		iii) Rs. 40,000/ha	-do-
7.	**Aromatic Plants (For a maximum area of 4 hectares/beneficiary)**			
	i) Cost intensive aromatic plants (patchouli, geranium, rosemary, etc.)	i) 40% of cost, subject to a maximum of Rs.40,000 per ha, for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc.	i) Rs. 1,00,000/- per ha	-do-
	ii) Other aromatic plants	ii) 40% of cost, subject to a maximum of Rs.16,000 per ha, for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. For (i) and (ii) above, in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost.	ii) Rs. 40,000/- per ha	-do-
8.	**Plantation Crops (For a maximum area of 4 hectares/beneficiary)**			
	i) Cashew and Cocoa			
	a)Integrated package with drip irrigation	Rs. 0.40 lakh per ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for drip system, INM/IPM etc. in three installments of 60:20:20 subject to survival rate of 50% in 2nd year and 90% in 3rd year.	Rs. 1.00 lakh/- per ha.	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ख) ड्रिप समेकन के बिना	रोपण साम्रगी पर व्यय को पूरा करने के लिए रु. 0.20 लाख प्रति हैक्टेयर और दो वर्ष में 75 प्रतिशत और तीन वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवन दर के अध्यधीन 60:20:20 की तीन किश्तों में आईएनएम/आईपीएम हेतु सामग्री पर लागत। उपर्युक्त में (क) और (ख) के लिए पूर्वोतर और हिमालयी राज्यों के मामलों में टिएसपी क्षेत्रों, अण्डमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह हेतु तीन किश्तों में लागत की 50 प्रतिशत की दर पर सहायता उपलब्ध।	रु. 50,000/– प्रति हैक्टेयर	–तदैव–
9.	**मशरूम**			
	i) उत्पादन इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत।	रु. 20 लाख/यूनिट	
	ii) स्पॉयन मेकिंग इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु कम्पोस्टींग लागत का 100 प्रतिशत।	रु. 15 लाख/इकाई	
	iii) कम्पोस्ट मेकिंग इकाई	ऋण से जुड़ी राजसहायता के रूप में आधारभूत अवसंरचना पर व्यय को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र हेतु लागत का 40 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत।	रु. 20 लाख/इकाई	
10.	जराजीर्ण बागों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन, कनौपी प्रबंधन (दो हैक्टेयर/लाभार्थी अधिकतम)	रु. 20,000/हैक्टेयर अधिकतम के अध्यधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत।	रु. 40,000/- प्रति हैक्टेयर	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	b) Without Drip integration	Rs. 0.20 lakh per ha (40% of cost) for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. in three installments of 60:20:20 subject to survival rate of 75% in 2nd year and 90% in 3rd year. For (a) and (b) above, in the case of NE & Himalayan States, TSP areas, A&N and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% of cost in 3 installments.	Rs. 50,000/- per ha.	-do-
9.	**Mushroom**			-do-
	i) Production unit	100% of cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy.	Rs. 20 lakh/unit	
	ii) Spawn making unit	100% of cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy.	Rs. 15 lakh/unit	
	iii) Compost making unit	100% of cost to public sector and 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, as credit linked back ended subsidy.	Rs. 20 lakh/unit	
10.	Rejuvenation / replacement of senile plantation, canopy management (Maximum 2 ha per beneficiary)	50% of total cost subject to maximum of Rs. 20,000/ha	Rs. 40,000/- per ha.	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
11.	जल संसाधन सृजन			
	i) सामुदायिक टैंक/ऑन फार्म तालाब/प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग के उपयोग के साथ फार्म जलाशय	कमान क्षेत्र के 10 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए लागत का 100 प्रतिशत जिसमें तालाब का आकार 100मीटर×100 मीटर×03 मीटर होगा अथवा समुदाय/किसान समूह द्वारा मालिकाना हक वाले न्यूनतम 500 माइक्रोन प्लास्टिक फिल्म अथवा आरसीसी लाईनिंग का उपयोग करके कमान क्षेत्र को देखते हुए आनुपातिक आधार पर अन्य कोई छोटा आकार। नॉनलिंक्ड तालाबों/टैंकों (केवल काली कपास मृदा में) लागत 30 प्रतिशत से कम हो होगी। सहायता प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग की लागत तक प्रतिबंधित होगी। तथापि गैर मनरेगा लाभार्थियों के लिए लाईनिंग के साथ–साथ तालाब/टैंक के निर्माण सहित कुल लागत पर सहायता योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है।	मैदानी क्षेत्रों में 20.00 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 25 लाख रूपए प्रति इकाई।	
	ii) जल संचयन पद्धति–रु.125 प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर 20 मीटर × 20 मीटर × 3 मीटर तालाब/ट्यूबवैल में जल भंडारण के लिए	300 माईक्रोन प्लास्टिक/आरसीसी लाईनिंग सहित लागत का 50 प्रतिशत। नॉनलिंक्ड तालाबों/टैंकों (केवल काली कपास मृदा में) के लिए लागत 30 प्रतिशत से कम होगी। छोटे आकार के तालाबों/डगवेल्स के लिए लागत कमान क्षेत्र को देखते हुए आनुपातिक आधार पर ग्राह्य होगी। इसका रख–रखाव लाभार्थी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।	मैदानी क्षेत्रों में 1.50 लाख रूपए/इकाई और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.80 लाख रूपए/इकाई	

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
11.	**Creation of Water resources**			
	i) Community tanks / on farm ponds / on farm water reservoirs with use of plastic / RCC lining	100% of cost to irrigate 10 ha of command area, with pond size of 100mx100mx03m or any other smaller size on prorata basis depending upon the command area either use of minimum 500 micron plastic films or RCC lining, owned & managed by a community / farmer group. Cost for non-linked ponds / tanks (only in black cotton soils) will be 30% less. Assistance will be restricted to the cost of plastic/RCC lining. However, for non MNREGS beneficiaries, assistance on entire cost including construction of pond/tank as well as lining can be availed under the scheme.	Rs. 20.00 lakh in plain areas and Rs. 25 lakh/ unit for Hilly areas.	
	ii) Water harvesting system for individuals- for storage of water in 20mx20mx3m ponds/tube wells/ dug wells @ Rs. 125/- cum.	50% of cost including 300 micron plastic / RCC lining. Cost for non-linked ponds / tanks (only in black cotton soils) will be 30% less. For smaller size of ponds / dug wells, cost will be admissible on pro rata basis depending upon the command area. Maintenance will be ensured by the beneficiary.	Rs. 1.50 lakh/unit in plain areas and Rs. 1.80 lakh / unit in hilly areas.	

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
12.	**सरंक्षित खेती**			
	1. ग्रीन हाऊस संरचना			
	(क) पंखा और पैड सिस्टम	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर के अधिकतम क्षेत्र के लिए लागत का 50 प्रतिशत।	रु. 1650/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक) 1465 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर तक) 1420 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर तक) 1400 रूपए प्रति वर्ग मीटर (>2080 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर तक) उपर्युक्त दर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह दर 15 प्रतिशत अधिक होगी	–तदैव–
	(ख) प्राकृतिक हवादार पद्धति			
	(i) ट्यूबलर संरचना	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत	1060 रूपए/वर्ग मीटर (500 वर्ग मीटर तक) रूपए 935/ वर्ग मीटर (>500 वर्ग मीटर से 1008 वर्ग मीटर) 890रूपए/ वर्ग मीटर (>1008 वर्ग मीटर से 2080 वर्ग मीटर) 844 रूपए/वर्ग मीटर (>2080 वर्ग मीटर 4000 वर्ग मीटर तक) उपर्युक्त दर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह दर 15 प्रतिशत अधिक होगी	–तदैव–
	ii) लकड़ी संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नही)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 540 रूपए/वर्ग मीटर और 621 रूपए/प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
12.	**Protected Cultivation**			
	1. Green House structure (a) Fan & Pad System	50% of cost for a maximum area of 4000 sq. m. per beneficiary.	Rs.1650/ Sq.m (upto area 500 Sq. m) Rs. 1465/Sq. (>500 Sq. m upto 1008 Sq.m) Rs. 1420/Sq.m (>1008 Sq. m up to 2080 Sq. m) Rs. 1400/Sq. m (>2080 Sq. m upto 4000 Sq. m). Above rates will be 15% higher for hilly areas.	
				-do-
	(b) Naturally Ventilated System			
	(i) Tubular structure	50% of cost limited to 4000 sq. m. per beneficiary.	Rs. 1060/Sq. m (up to area 500 Sq. m) Rs. 935/Sq.m (>500 Sq. m upto 1008 Sq. m) Rs. 890/Sq. m (>1008 Sq. m upto 2080 Sq. m) Rs. 844/Sq. m (>2080 Sq. m up to 4000 Sq. m). Above rate will be 15% higher for hilly areas.	-do-
	ii) Wooden structure	50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not to exceed 200 sq.m.).	Rs. 540/Sq. m. and Rs. 621/Sq. m for hilly areas.	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	iii) बांस निर्मित संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 450/वर्ग मीटर और रु. 518/वर्ग मीटर	–तदैव–
	2. शेड नेट हाऊसः			
	(क) ट्यूबलर संरचना	लागत का 50 प्रतिशत प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 710/वर्ग मीटर और रु. 816/वर्ग मीटर	–तदैव–
	(ख) लकड़ी की संरचना	लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नही) 20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 492/वर्ग मीटर और रु. 566/प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–
	(ग) बांस निर्मित संरचना	20 इकाई प्रति लाभार्थी की अधिकतम सीमा तक लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक इकाई 200 वर्ग मीटर से अधिक नही)	पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 360/वर्ग मीटर और रु. 414 /प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–
	3. प्लास्टिक टनल	1000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित लागत की 50% सहायता	रु. 60/वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 75/वर्ग मीटर	–तदैव–
	4. वॉक इन टनल	प्रति लाभार्थी 5 इकाइयों तक लागत की 50% सहायता (प्रत्येक इकाई 800 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए)	रु. 600/वर्ग मीटर	–तदैव–
	5. पंक्षी/ओला से बचाव हेतु जाल	लागत की 50% सहायता 5000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 35 /वर्ग मीटर	–तदैव–
	6. पोली हाउस में उगाई जाने वाली मूल्यवान सब्जियों की रोपण सामग्री और खेती की लागत।	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 140/वर्ग मीटर	–तदैव–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	iii) Bamboo structure	50% of the cost limited to 20 units per beneficiary (each unit should not exceed 200 sq.m.)	Rs. 450/Sq. m and Rs. 518/Sq. m for hilly areas	-do-
	2. Shade Net House:			
	(a) Tubular structure	50% of cost limited to 4000 sq.mt. per beneficiary.	Rs. 710 Sqm and Rs. 816/ Sqm for hilly areas	-do-
	(b)Wooden Structure	50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not exceed 200 sq. m.)	Rs. 492/ Sq.m and Rs. 566/ Sq. m for hilly areas.	-do-
	(c) Bamboo Structure	50% of cost limited to 20 units per beneficiary (each unit not to exceed 200 sq. m).	Rs. 360/ Sq.m andRs. 414/ Sq.m. for hilly areas.	-do-
	3.Plastic Tunnel	50% of cost limited 1000 sq. m. per beneficiary.	Rs. 60/- per sq.m and Rs. 75 per sq. m. for hilly areas.	-do-
	4. Walk in tunnels	50% of cost limited to 5 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sq. m.).	Rs. 600/ sqm	-do-
	5. Anti Bird/ Anti Hail Nets	50% of cost limited to 5000 sq. m. per beneficiary.	Rs. 35/ Sq.m	-do-
	6. Cost of planting material & cultivation of high value vegetables grown in poly house	50% of cost limited to 4000 sq. m. per beneficiary.	Rs. 140/ Sq.m	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	7. पोली हाउस और शेड नेट हाउस में आर्किड और एंथ्यूरियम की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 700 प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–
	8. पॉली हाउस/शेड नेट हाउस में कार्नेशन और जरबेरा की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 610 प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–
	9. पोली हाउस/शेड नेट हाउस में गुलाब और लिली की रोपण सामग्री और खेती की लागत	लागत की 50% सहायता 4000 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 426 प्रति वर्ग मीटर	–तदैव–
	10. प्लास्टिक मल्चिंग	कुल लागत की 50% सहायता 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित	रु. 32,000 प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु. 36,800 प्रति हेक्टेयर	–तदैव–
13.	**समेकित पोषक प्रबंधन (आईएनएम) और समेकित कीट प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना**			
	i) आईएनएम/आईएनएम को बढ़ावा	रु. 4.00 लाख प्रति लाभार्थी तक सीमित अधिकतम रु. 1200 प्रति हेक्टेयर के अध्यधीन लागत की 30% सहायता।	रु. 4000 प्रति हेक्टेयर	–तदैव–
	ii) पौध रोग पूर्वानुमान इकाई (पीएसयू)	लागत की 100% सहायता।	रु. 6.00 लाख प्रति इकाई	
	iii) जैव–नियंत्रण इकाई	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रु. 90.00 लाख प्रति इकाई	
	iv) पादप स्वास्थ्य क्लिनिक	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रु. 25.00 लाख प्रति इकाई	
	v) पत्ते/उत्तक विश्लेषण प्रयोगशालाएं	सार्वजनिक क्षेत्र को 100% सहायता और निजी क्षेत्र को 50% सहायता।	रु. 25.00 लाख प्रति इकाई	
14.	**जैविक खेती**			
	i) जैविक खेती को अपनाना	3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए रु. 10000 प्रति हेक्टेयर तक सीमित लागत की 50% सहायता जिसमें प्रथम वर्ष के लिए 4 हजार सहायता		रु. 20,000 प्रति हेक्टेयर

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	7. Cost of planting material & cultivation of Orchid &Anthurium under poly house / shade net house.	50% of cost limited to 4000 sq. m. per beneficiary.	Rs. 700/ Sq.m	-do-
	8. Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera under poly house / shade net house.	50% of cost limited to 4000 sq, m. per beneficiary.	Rs. 610/ Sq.m	-do-
	9. Cost of planting material & cultivation of Rose and lilum under poly house / shade net house	50% of cost limited to 4000 sq. m per beneficiary.	Rs. 426/ Sq.m	-do-
	10. Plastic Mulching	50% of the total cost limited to 2 ha per beneficiary.	Rs. 32,000/ ha and Rs. 36,800/ha for hilly areas.	-do-
13.	**Promotion of Integrated Nutrient Management (INM) Integrated Pest Management (IPM)**			
	i) Promotion of IPM/INM	30% of cost subject to a maximum of Rs. 1200/ha limited to 4.00 ha/beneficiary.	Rs. 4000/ha	-do-
	ii) Disease forecasting unit (PSUs)	100% of costs.	Rs. 6.00 lakh/unit	-do-
	iii) Bio control lab	100% to Public sector and 50% to private sector.	Rs. 90.00 lakh / unit	-do-
	iv) Plant Health Clinics	100% to Public sector and 50% to private sector.	Rs. 25.00 lakh / unit	-do-
	v) Leaf / Tissue analysis labs	100% to Public sector and 50% to private sector.	Rs. 25.00 lakh/ unit	-do-
14.	**Organic Farming**			
	i) Adoption of organic farming	50% of cost limited to Rs. 10000/ha for a maximum area of 4 ha. per beneficiary, spread over a period of 3 years involving an assistance of Rs. 4000/- in first year and Rs. 3000/- each in second & third year. The programme to be linked with certification.	Rs. 20,000/ha	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ii) जैविक प्रमाणीकरण	50 हेक्टेयर के समूह के लिए रु. 5 लाख जिसमें रु. 50 लाख के क्लस्टर के लिए रु. 5 लाख, जिसमें प्रथम वर्ष में रु. 1.50 लाख, दूसरे वर्ष में रु. 1.50 लाख, तीसरे वर्ष में रु. 2.00 लाख।	परियोजना आधारित	
	iii) वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां/जैविक आदान उत्पादन	आनुपातिक आधार पर प्रशासित किए जाने के लिए 30′×8′×2.5′ आकार वाली स्थायी संरचना की इकाई के आकार के अनुरुप लागत की 50% सहायता। एचडीपीई वर्मी बेड के लिए आनुपातिक आधार पर 96 घन फीट (12′×4′×2′) और आईएस 15907:20 10 आकार वाली इकाई के अनुरुप लागत की 50% सहायता।	स्थायी संरचना के लिए रु. 100,000 प्रति इकाई और एचडीपीई वर्मी–बेड के लिए रु. 16,000 प्रति इकाई।	
15.	**1. समेकित फसलोंपरान्त प्रबंधन**			
	(i) पैक हाऊस	पूंजी लागत का 50%	9 मीटर×6 मीटर आकार वाली प्रत्येक इकाई के लिए रु. 4 लाख।	एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम, एचएमएनईएच और एनएचबी की उप–स्कीम
	(ii) कन्वयेर वेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों, धुलाई, शुष्कन और तौलने की सुविधा वाले समेकित पैक हाउस	एकल उद्यमियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता	9 मीटर×18 मीटर आकार वाली प्रत्येक इकाई के लिए रु. 50 लाख।	–तदैव–
	(iii) प्री–कूलिंग इकाई	एकल उद्यमियों के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता	6 एमटी की क्षमता वाली प्रत्येक इकाई के लिए रु. 25 लाख	
	(iv) शीत कक्ष (स्टेजिंग)	प्रत्येक लाभार्थी के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत सहायता	30 एमटी की क्षमता वाली प्रत्येक इकाई के लिए रु. 15 लाख।	
	(v) चल पूर्व–शीतलन यूनिट	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रु. 25.00 लाख।	

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	ii) Organic Certification	Rs. 5 lakh for a cluster of 50 ha which will include Rs. 1.50 lakh in first year, Rs. 1.50 lakh in second year and Rs. 2.00 lakh in third year.	Project based	-do-
	iii) Vermi compost Units / organic input production)	50% of cost conforming to the size of the unit of 30'x8'x2.5' dimension of permanent structure to be administered on prorata basis. For HDPE Vermibed, 50% of cost conforming to the size of 96 cft (12'x4'x2') and IS 15907:2010 to be administered on prorate basis.	Rs. 100,000/ unit for permanent structure and Rs. 16,000/- unit for HDPE vermibed.	-do-
15.	**1. Integrated Post Harvest Management**			
	(i) Pack house	50% of the capital cost.	Rs. 4.00 lakh/unit with size of 9Mx6M	Sub Schemes of NHM, HMNEH & NHB under MIDH
	(ii) Integrated pack house with facilities for conveyer belt, sorting, grading units, washing, drying and weighing.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas for individual entrepreneurs.	Rs. 50.00 lakh per unit with size of 9Mx18M	-do-
	(iii) Pre-cooling unit	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas for individual entrepreneurs.	Rs. 25.00 lakh / unit with capacity of 6 MT	-do-
	(iv) Cold room (staging)	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Rs. 15.00 lakh/ unit of 30 MT capacity	-do-
	(v) Mobile pre-cooling unit	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Rs. 25.00 lakh	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	2 शीत भंडारण (निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण)			
	i) शीत भंडारण यूनिट टाइप 1 एकल ताप क्षेत्र के साथ बड़े चैम्बर (250 मी.टन के) टाइप के साथ मूल मेजानीन निर्माण	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रु. 8,000/– प्रति मी. टन (अधिकतम 5,000 मी. टन क्षमता)	
	ii)शीत भंडारण यूनिट टाइप 2 अधिक ताप और उत्पाद उपयोग के लिए पीईजी निर्माण, 6 से अधिक चैम्बर (250 मी. टन) और मूल सामग्री हस्त चालित उपकरण	सामान्यग क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रु. 10,000/– प्रति मी. टन (अधिकतम 5,000 मी. टन क्षमता)	
	iii) शीत भंडारण इकाई टाइप 2 नियंत्रण वातावरण हेतु प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के घटक पर जोड़ने के लिए रु. 10,000 प्रति मी. टन अतिरिक्त	
	iv)शीत–श्रृंखला का प्रौद्योगिकी सूची और आधुनिकीकरण	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डोक लेवलर, अग्रिम ग्रेडस, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, स्टैकिंग प्रणाली, इन्सूलेसन का आधुनिकीकरण और रेफ्रिजिरेशन आदि के आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम रु. 250.00 लाख	
	v) रेफ्रिजिरेटेड परिवहन	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत की 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	9 एमटी हेतु रु. 26.00 लाख एनएचएम एवं एचएमएनईएच और लेजर क्षमता के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर।	

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	2. Cold Storage (Construction, Expansion and Modernisation)			
	i)Cold storage units Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (of >250 MT) type with single temperature zone	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Rs. 8,000/MT, (max 5,000 MT capacity)	-do-
	ii)Cold Storage Unit Type 2 – PEB structure for multiple temperature and product use, more than 6 chambers (of <250 MT) and basic material handling equipment.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled per beneficiary.	Rs. 10,000/MT, (max 5,000 MT capacity)	-do-
	iii) Cold Storage Units Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology.	-do-
	iv)Technology induction and modernization of cold-chain	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Max Rs250.00 lakh for modernization of PLC equipment, packaging lines, dock levelers, advanced graders, alternate technologies, stacking systems, modernization of insulation and refrigeration, etc.	
	v) Refrigerated Transport vehicles	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Rs. 26.00 lakh for 9 MT (NHM & HMNEH) and prorata basis for lesser capacity but not below 4 MT.	

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	vi) प्राथमिक/चल/न्यूनतनम प्रसंस्करण यूनिट	सामान्यक क्षेत्र में परियोजना लागत का 40% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 55% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रु. 25.00 लाख प्रति यूनिट	
	vii) पकवन चैम्बर	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और प्रति लाभार्थी 300 मी. टन की अधिकतम के लिए पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	रु. 1.00 लाख प्रति मी. टन	
	viii) ईवापोरेटिव/न्यून ऊर्जा शीत चैम्बर (8 मी. टन)	कुल लागत का 50%	रु. 5.00 लाख प्रति यूनिट	
	ix) परिरक्षण यूनिट (न्यून लागत)	कुल लागत का 50%	नए यूनिट के लिए रु. 2.00 लाख प्रति यूनिट और अद्यतन के लिए रु. 1.00 लाख प्रति यूनिट	
	x) न्यून लागत प्याज भंडारण संरचना (25 मी. टन)	कुल लागत का 50%	रु. 1.75 लाख प्रति यूनिट	
	xi) पूसा जीरो ऊर्जा शीत चैम्बर (100 कि.ग्रा.)	कुल लागत का 50%	रु. 4000 प्रति यूनिट	
	xii) समेकित शीत श्रृंखला आपूर्ति प्रणाली	सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वांत राजसहायता प्रति लाभार्थी	परियोजना आधारित परियोजना का रु. 600.00 लाख की अधिकतम लागत के साथ उपर्युक्त ग. 1 से ग.13 के अंतर्गत सूचीबद्ध न्यूनतम दो घटकों का समानता होनी चाहिए।	
	4. समेकित कटाई पश्चात प्रबंधन			
	कटाई पश्चात भंडारण और बांस के लिए उपचार सुविधा	लागत का 40% ऋण में जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	रु. 25.00 लाख	

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	vi) Primary / Mobile/ Minimal processing unit	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of the capital cost of project in general areas and 55% in case of Hilly & Scheduled areas.	Rs 25.00 lakh/unit	
	vii) Ripening chamber	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the capital cost of project in general areas and 50% in case of Hilly & Scheduled areas for a maximum of 300 MT per beneficiary.	Rs. 1.00 lakh/MT	
	viii) Evaporative / low energy cool chamber (8 MT)	50% of the total cost.	Rs. 5.00 lakh/unit	
	ix) Preservation unit (low cost)	50% of the total cost.	Rs.2.00 lakh/unit for new unit and Rs.1.00lakh/unit for up-gradation	
	x) Low cost onion storage structure (25 MT)	50% of the total cost.	Rs. 1.75 lakh/per unit	
	xi) Pusa Zero energy cool chamber (100 kg)	50% of the total cost.	Rs. 4000 per unit	
	xii) Integrated Cold Chain supply System	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the cost of project in general areas and 50% of cost in case Hilly & Scheduled areas per beneficiary.	Project Based. Project should comprise of minimum two components listed under C.1 to C.13 above, with maximum cost of Rs. 600.00 lakh.	
	4. Integrated Post Harvest Management			
	Post harvest storage and treatment facilities for bamboo	40% of cost, as credit-linked back-ended subsidy	Rs. 25.00 lakh	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
ग.	**राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)**			
	1. क) वाणिज्यिक बागवानी का विकास			
	i) खुले वातावरण में	सामान्य क्षेत्र में रु. 30.00 लाख प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत का 40% की दर पर और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रु. 37.50 लाख की सीमा तक परियोजना लागत का 50% की दर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए परियोजना के लिए रु. 75.0 लाख प्रति परियोजना (खजूर, जैतून और केसर के लिए रु. 125.00 लाख)	एमआईडीएच के अधीन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की उप स्कीपम
	ii) संरक्षित संरचना	रु. 56.00 लाख प्रति परियोजना तक सीमित परियोजना लागत का 50% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता।	2500 वर्ग मी से अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए रु. 112.00 लाख परियोजना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) का उप स्कीपम
	iii) समेकित कटाई पश्चात परियोजना अर्थात् पैक हाऊस, पकवन चैम्बर, रिफर वैन, खुदरा दुकान, पूर्व शीतित यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि	समग्र संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में रु. 50.75 लाख प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत का 35% की दर पर तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में रु. 72.50 लाख तक सीमित परियोजना लागत का 50% की दर पर ऋण में जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता	रु. 145.00 लाख परियोजना पूर्व शीतित, पैक हाऊस, ग्रेडिंग, पैकिंग शीत कक्ष जो व्यक्तिगत घटकों के लिए रखे गए है।	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की उपस्कीम
	2. बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण एवं भंडारण का निर्माण/विस्ताार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम।			
	i) शीत भंडारण ईकाई प्रकार 1–एल ताप क्षेत्र के साथ बड़े चैम्बर (250 मी.टन) प्रकार के साथ मूल मेजानिन निर्माण	परियोजना की लागत का 35% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साथ परियोजना शुरू करने के लिए एनएचवी निम्न दरों पर 500 से 6500/– मी.टन के बीच की क्षमता के लिए रु. 7600 प्रति मी. टन, 6501 से 8000/– मी. टन तक के बीच क्षमता के लिए रु. 7200 प्रति मी. टन 8001 से 1000 मी. टन के बीच की क्षमता के लिए रु. 6800 प्रति मी. टन	उप स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
C.	**National Horticulture Board (NHB)**			
1.	**A) Development of Commercial Horticulture**			
	i) Open field conditions	Credit linked back ended subsidy @40% of project cost limited to Rs. 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakhs for NE and Hilly and scheduled areas.	Rs. 75.0 lakh per project (Rs. 125.00 lakh for date palm, olive and saffron) for projects covering area over 2 ha.	Sub scheme of National Horticulture Board (NHB) under MIDH
	ii) Protected cover	Credit linked back ended subsidy @ 50% of project cost limited to Rs.56.00 lakh per project.	Rs. 112.00 lakh per project cost covering area above 2500 Sq. mt.	-do-
	iii) Integrated Post Harvest Management Projects e. g. Pack house, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre- Cooling Units, Primary processing, etc.	Credit linked back ended subsidy @ 35% of project cost limited to Rs. 50.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to 72.50 lakh per project in NE, Hilly and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage. For standalone projects, NHM norms will be adopted.	Rs. 145.00 lakh per project. The add-on components of pre-cooling, pack house, grading, packing, cold room can be taken up as individual components.	-do-
2.	**Capital Investment Subsidy Scheme for construction/ expansion/ Modernization of Cold Storage and Storage for Horticulture Products.**			
	i) Cold Storage Units Type 1- basic mezzanine structure with large chamber (of >250 MT) type with single temperature zone.	Credit linked back ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE, Hilly and Scheduled areas) **for capacity above 5000MT.**	NHB to take up projects with Capacity above 5000 MT upto 10000 MT as per following rates: Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500/ MT, Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000/ MT, Rs. 6800/MT for capacity between 8001to 10000 MT.	Sub Schemes of NHB under MIDH

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ii) शीत भंडारण यूनिट प्रकार 2 अधिक ताप और उत्पापद उपयोग के लिए पीईजी निर्माण, 6 से अधिक चैम्बर (250 मी. टन) और मूल सामग्री हस्त चालित उपकरण	परियोजना की लागत का 35% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी ओर अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साथ परियोजना शुरू करने के लिए एनएचवी निम्नलिखित दरों के अनुसार 5001 से 6500 मी. टन के बीच क्षमता के लिए रु. 9500 प्रति मी. टन 6501 से 8000 मी. टन के बीच की क्षमता के लिए रु. 9000 प्रति मी. टन, 8001 से 10000 मी. टन के बीच क्षमता के लिए रु. 8500 प्रति मी. टन	उप स्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच
	iii) शीत भंडारण ईकाई प्रकार 2 नियंत्रण वातावरण हेतु प्रौद्योगिकी से जुड़ा	परियोजना की लागत का 35% की दर पर ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता (पूर्वोत्तर पहाड़ी ओर अनुसूचित क्षेत्रों में 50%) 5000 मी. टन से अधिक क्षमता के लिए	5000 मी. टन से अधिक 10000 मी. टन तक की क्षमता के साथ परियोजना शुरू करने के लिए एनएचवी निम्नलिखित दरों के अनुसार नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के घटकों पर जोड़ने के लिए अतिरिक्त रु. 10,000 प्रति मीट्रिक टन	उपस्कीम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधीन एमआईडीएच
घ.	**नारियल विकास बोर्ड**			
	क) गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण			
	i) सरकार/निजी क्षेत्र में संकर/बौने पौधों का वितरण	i) लागत का 25% अधिकतम 25,000 पौधों/एकड़ के लिए	रु. 36.00 प्रति पौध	एमआईडीएच के अंतर्गत सीडीबी की उप योजनाएं
	ii) नाभिकीय नारियल बीज उद्यान की स्थापना	ii) लागत का 25% अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए	रु. 6.00 लाख प्रति हे.	–उपरोक्त–
	iii) नारियल की छोटी नर्सरी की स्थापना	iii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100% लागत और निजी क्षेत्र के लिए 25%	रु. 2.00 लाख प्रति 0.4 है. इकाई के लिए	–उपरोक्त–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	ii) Cold Storage Units Type 2- PEB structure for multiple temperature and product use, more than 6 chambers (of <250 MT) and basic material handling equipment.	-do-	NHB to take up projects with Capacity above 5000 MT upto 10000 MT as per following rates: Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT, Rs. 9000/ MT for capacity between 6501 to 8000 MT, Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT).	-do-
	iii) Cold Storage Units Type-2 with add on technology for Controlled Atmosphere.	-do-	NHB to take up projects with Capacity above 5000 MT upto 10000 MT as per following rates: Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology.	-do-
D.	**Coconut Development Board**			
	A) Production and distribution of quality planting material			
	i) Distribution of hybrids/dwarf seedlings in Govt./ private sector	i) 25 % of cost, for a maximum of 25,000 seedlings/acre	Rs.36.00 per seedling	Sub Schemes of CDB under MIDH
	ii) Establishment of Nucleus Coconut Seed Garden	ii) 25% of cost, for a maximum of 4 ha	Rs. 6.00 lakh / ha	-do-
	iii) Establishment of Small Coconut Nursery	iii) 100% cost for Public and 25% for Private sector.	Rs. 2.00 lakh/unit of 0.4ha	-do-

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ख) नारियल का क्षेत्र विस्तार			
	क) सामान्य क्षेत्र	दो समान किश्तों में, प्रत्येक लाभार्थी के अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए लागत का 25%		–उपरोक्त–
	i) लंबी किस्में		i) रु. 26,000 प्रति हे.	
	ii) संकर		ii) रु. 27,000 प्रति हे.	
	iii) बौने		iii) रु. 30,000 प्रति हे.	
	क) पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्र	दो समान किश्तों में, प्रत्येक लाभार्थी के अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए लागत का 25%		–उपरोक्त–
	i) लंबी किस्में		i) रु. 55,000 प्रति हे.	
	ii) संकर		ii) रु. 55,000 प्रति हे.	
	iii) बौने		iii) रु. 60,000 प्रति हे.	
	ग) नारियल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन			
	1. कीट–पतंगों और रोग प्रभावित बागानों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और अपनाना			
	क) प्रौद्योगिकी का विकास			
		i) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/राज्य विभाग के लिए बागवानी/कृषि/सहकारी क्षेत्र के लिए रु. 50.00 लाख	i) परियोजना की लागत का 100%	–उपरोक्त–
		ii) एनजीओ और अन्य संगठनों के लिए रु. 25 लाख	ii) लागत का 50%	
	ख) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन			
		i) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/राज्य विभाग बागवानी/कृषि/अन्य संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों/पंजीकृत सहकारी समितियों की परियोजनाओं के लिए रु. 25 लाख	i) परियोजना लागत का 100%	
		ii) व्यक्तियों/किसानों, गैर सरकारी संगठन की निजी कंपनियों के लिए रु. 10.00 लाख तक सीमित	ii) लागत का 50%	
	ग) प्रौद्योगिकियों का अपनाना			
		i) लागत प्रौद्योगिकी अपनाने का 25%	लागत का 25%	
		ii) किसानों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों के समूह के लिए लागत का 25%		

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	B) Expansion of Area under Coconut			
	a) Normal area	25 % of cost, for a maximum of 4 ha per beneficiary, in two equal installments		-do-
	i) Tall varieties		i) Rs. 26,000/ha.	
	ii) Hybrid		ii) Rs. 27,000/ha	
	iii) Dwarf		iii) Rs. 30,000/ha	
	b) Hilly and Scheduled Areas	25 % of cost, for a maximum of 4 ha per beneficiary, in two equal installments		
	i) Tall varieties		i) Rs. 55,000/ha.	
	ii) Hybrid		ii) Rs. 55,000/ha	
	iii) Dwarf		iii) Rs. 60,000/ha	
	C) Technology Mission on Coconut			
	1. Development and adoption of technologies for management of insect pests and disease affected gardens			
	a) Development of Technologies			
		i) Rs. 50.00 lakh for ICAR (CPCRI)/ State Agricultural Universities / State Deptt. of Horticulture / Agriculture / and cooperative sector.	i) 100% of the cost of project	-do-
		ii) Rs. 25 lakhs for NGO's and other organizations	ii) 50% of the cost.	
	b) Demonstration of Technologies			
		i) Rs. 25 lakh/ projects to ICAR(CPCRI)/ State Agricultural Universities / State Deptt. of Horticulture / Agriculture / other related public sector units / Registered cooperative societies	i) 100% of the cost of project	
		ii) Limited to Rs. 10.00 lakh for individuals / group of farmers NGO's private companies	ii) 50% of the cost.	
	c) Adoption of technologies			
		i) 25% of the cost technology adoption	25% of the cost	
		ii) 25% of the cost in case of group of farmers/ NGO's / other organizations		

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	2. प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और अपनाना			
	क) प्रौद्योगिकी का विकास			
		i) सभी सरकारी संस्थानों और सहकारी समितियाँ के लिए रु. 75 लाख	i) परियोजना लागत का 100%	–उपरोक्त–
		ii) एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमियों और अन्य शोध संगठनों के लिए रु. 35 लाख	ii) परियोजना लागत का 75%	
	ख) प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन			
		i) सभी सरकारी संस्थानों और सहकारी समितियाँ के लिए लागत का 100%	i) आईसीएआर (सीपीसीआरआई)/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/राज्य विभाग बागवानी/कृषि/अन्य संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों/पंजीकृत सहकारी समितियों की परियोजनाओं के लिए रु. 25 लाख	–उपरोक्त–
		ii) एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमियों और अन्य संगठनों के लिए लागत का 50%	ii) व्यक्तियों/किसानों, गैर सरकारी संगठन की निजी कंपनियों के लिए रु. 10.00 लाख तक सीमित	
	ग) प्रौद्योगिकी का विकास			
		i) पार्श्वांत ऋण पूंजी राजसहायता लागत का 25% तक सीमित	I) प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत का 25%	–उपरोक्त–
		ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के महिला किसानों के लिए, परियोजना लागत का 33.3%	ii) किसानों के समूह/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य संगठनों के लिए लागत का 25%	
		iii) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्यवान खेती के लिए परियोजना लागत का 50%		
	घ) पुरानी नारियल उद्यानों का पुनर्रोपण और कायाकल्प			
	क) पुरानी/जीर्ण पामों की कटाई एवं छंटाई	रु. 1000/– प्रति पाम की दर पर 32 पाम/हे. तक सीमित	रु. 2,000/हे.	–उपरोक्त–

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	2. Development and adoption of technologies for processing and product diversification			
		i) Rs. 75 lakh for all Govt. Institutions and cooperative societies.	i) 100% of the project cost	-do-
		ii) Rs. 35 lakh for NGO's, individual entrepreneurs and other research organizations	ii) 75% of the project cost.	-do-
	b) Acquisition, training, demonstration of Technologies			
		i) 100% of the cost to all the Govt. Institutions and Cooperative Societies	i) Rs. 25 lakh/projects to ICAR (CPCRI)/ State Agricultural Universities / State Deptt. of Horticulture / Agriculture/ other related public sector units / Registered Cooperative societies	-do-
		ii) 50% of the cost for NGO's, Individual entrepreneurs and other organizations.	ii) Limited to Rs. 10.00 lakh for individuals / group of farmers / NGO's, private companies	
	c) Adoption of technologies			
		i) Back- ended credit capital subsidy limited to 25% of the cost.	i) 25% of the cost of technology adoption	
		ii) For SC/ST women farmers, 33.3% of the project cost.	ii) 25% of the cost in case of group of farmers/ NGO's / other organizations	
		iii) In case of high value agriculture in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep 50% of the project cost.		
	D) Replanting & Rejuvenation of Old Coconut Gardens			
	a) Cutting & removing old/ senile palms	@ Rs. 1000/-palm limited to 32 palms/-ha	Rs. 32,000/- ha	-do-
	b) Assistance for replanting	50% of cost subject to maximum of Rs. 4000/-ha	Rs. 80/- per seedling	

क्र. सं.	सहायता की किस्म	सहायता/अधिकतम सीमा का मानदंड		स्कीम/घटक
		राजसहायता	प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम राजसहायता	
	ख) प्रतिपूर्ति के लिए सहायता	लागत का 50% अधिकतम रु. 4000/हे	रु. 80 प्रति पौध	
	ग) समेकित प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से मौजूदा नारियल बागानों का सुधार	लागत का 25% दो समान किश्तों में	रु. 70,000 प्रति है.	
	घ) नारियल पाम बीमा योजना			
		प्रीमियम लागत का 75%, जिसमें सीडीबी द्वारा बीमा प्रीमियम का 50% और राज्य सरकार द्वारा 25%	4 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के पेड़ों के लिए रु. 4.69 प्रति पाम और 16–60 वर्षों के आयु वर्ग के लिए रु. 6.35 प्रति पाम, जिसमें सेवा कर 10.30% सम्मिलित है।	–उपरोक्त–

एनएचएम, एचएमएनईएच, राष्ट्रीय बांस मिशन, नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की उप–योजना के साथ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

- हेक्टेयर जहाँ अन्यथा नहीं कहा गया है।
- लागत मानदंडों का मतलब सब्सिडी की गणना के लिए लागत की ऊपरी सीमा है।

किससे संपर्क करें ?

जिला बागवानी अधिकारी/जिला स्तरीय उप–निदेशक (बागवानी) और राज्य स्तर पर निदेशक, बागवानी।

S. No.	Type of Assistance	Criteria for Assistance/ maximum limit		Scheme / Component
		Subsidy	Maximum Subsidy per Unit Area	
	c)Improvement of existing coconut gardens through integrated management practices	25% of cost in two equal installments	Rs. 70,000/-ha	
B	**D) Coconut Palm Insurance Scheme**			
		75% of cost of premium of which 50% of insurance premium by CDB and 25% by State Government	Rs. 4.69 per palm for trees in the age group of 4-15 years and Rs. 6.35/palm in the age group of 16-60 years, including service tax @ 10.30%	-do-

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) with sub schemes NHM, HMNEH, National Bamboo Mission, Coconut Development Board and National Horticulture Board.

- Hectare unless otherwise stated
- Cost norms means upper limit of cost for calculation of subsidy

Whom to Contact:

Whom to Contact: District Horticulture Officer/Dy. Director (Horticulture) and Director, Horticulture at State level.

मधुमक्खी पालन

क्या करें ?

- मधुमक्खी पालन गरीब/भूमिहीन श्रमिकों/किसानों/ग्रामीण युवकों/महिलाओं आदि द्वारा किया गया कृषि आधारित ग्रामीण कार्यकलाप है।
- भारत की विविधीकृत कृषि जलवायु स्थितियां मधुमक्खी पालन के लिए बेहतर क्षमता एवं अवसर प्रदान करती हैं।
- मधुमक्खी पालन से प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ के बिना आय एवं रोजगार सृजन होता है।
- मधुमक्खी पालन/मधुमक्खी या मधु उत्पादन और अन्य छत्ते के उत्पादों द्वारा नेक्टर एवं पोलन (अन्यथा बेकार जाते) को भोजन में बदलते हैं।
- मधुमक्खी पालन से उच्च मूल्य मधुमक्खी छत्ते उत्पाद अर्थात रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी पोलन, बी वेनोम, बी ब्रेड आदि का भी उत्पादन होता है।
- मधुमक्खियाँ परागण सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न बागवानी फसलों (फलों एवं सब्जियों) और कृषि फसलों (तिलहन, दलहन आदि) की उपज बढ़ाने में सहायता करती हैं।
- फसलों के मधुमक्खी परागण के माध्यम से उपज में कई गुना वृद्धि दर्ज की गयी है।

क्या पायें ?

क्र. सं.	घटक	एमआईडीएच के तहत अनुमोदित सहायता दर (एनएचएम/एचएमएनईएन)
1.	मधुमक्खी स्टॉक का विकास और गुणन	
i.	न्यूक्लियस (पेडिग्री) स्टॉक का उत्पादन	अनुसंधान संस्थानों/सर्वजनिक क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रूपए/परियोजना।
ii.	मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन	लागत का 40 प्रतिशत अथवा 4.00 लाख रूपए/परियोजना (जो भी कम हो)
2.	8 फ्रेम बी कालोनियां (50 मधुमक्खी कालोनियां प्रति लाभार्थी) का वितरण	लागत का 40 प्रतिशत अथवा प्रत्येक मधुमक्खी कालोनी के लिए 800 रूपए (जो भी कम हो)
3.	मधुमक्खी छत्तों , सूपर्स आदि का वितरण (50 मधुमक्खी छत्तों, सूपर्स आदि प्रति लाभार्थी)	लागत का 40 प्रतिशत अथवा प्रत्ये क मधुमक्खी छत्ते, सूपर्स आदि के लिए 800 रूपए (जो भी कम हो)
4.	मधुमक्खी उपकरणों का वितरण [(एसएस (4 फ्रेम) शहद एक्स्ट्राटर का एक सेट और एफजीपी/एसएस के 10 कंटेनर (30 किग्रा. प्रति), 1 नेट और एक सेट अन्य टूल),] 50 मधुमक्खी कालोनियां/लाभार्थी इकाई	लागत का 40 प्रतिशत और 8000 रूपए प्रति सेट/प्रति लाभार्थी (जो भी कम हो)

Beekeeping

What to do?

- Beekeeping is an agro-based rural activity practiced by poor/landless labourers/farmers/rural youths/women, etc.
- Diversified agro climatic conditions of India provides great potential and opportunities for beekeeping.
- Beekeeping generates income and employment without disturbing natural resources.
- Beekeeping/Honeybees converts nector and pollen (otherwise go waste) into food by producing honey and other beehive products.
- Beekeeping also produces high value beehive products i.e. royal jelly, propolis, bee pollen, bee venom, bee bread etc.
- Honey bees help in increasing yield of various horticultural crops (fruits and vegetables) and agricultural crops (oilseeds, pulses, etc.) by providing pollination support.
- The yield enhancement through bee pollination of can be increase many fold.

What You Can Get?

S. N.	Components	Rates of assistance approved under MIDH (NHM/ HMNEH)
1.	Development and Multiplication of Bee Stock	
i.	Production of nucleus (Pedigree) stock.	Rs.20.00 lakhs/ project for Research Institutes / Public Sector.
ii.	Production of Bee colonies by Bee Breeders.	40% of cost or Rs.4.00 lakhs/project (whichever is less).
2.	Distribution of 8 frame bee colonies (50 bee colonies per beneficiary).	40% of cost or Rs.800/ per set of bee colony (whichever is less).
3.	Distribution of beehives, supers, etc. (50 beehives, supers, etc. per beneficiary).	40% of cost or Rs.800/ per set of beehive, supers, etc.(whichever is less).
4.	Distribution of bee equipments [a set of one honey extractor of SS (4 frames) & 10 containers (30 kg each) of FGP /SS, 1 net & a set of other tools] / unit of 50 bee colonies / beneficiary.	40% of cost or Rs. 8000/- per set / per beneficiary (whichever is less).

क्र. सं.	घटक	एमआईडीएच के तहत अनुमोदित सहायता दर (एनएचएम/एचएमएनईएन)
5.	**मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यकलापों**	
	सम्मेलन/संगोष्ठीड/कार्यशाला	
i.	अंतरराष्ट्रीय स्तर	10.00 लाख रूपए/इवेंट
ii.	राष्ट्रीय स्तर	5.00 लाख रूपए/इवेंट
iii.	राज्य स्तरः	3.00 लाख रूपए/इवेंट
iv.	जिला स्तरः	2.00 लाख रूपए/इवेंट
6.	प्रशिक्षण	
i.	राज्य के भीतर (डब्लयूएसटी)	1000 रूपए की दर पर प्रतिभागी/दिवस
ii.	राज्या के बाहर (ओएसटी)	परियोजना आधारित (ओएसटी)
7.	राज्य एवं भारत से बाहर दौरे	परियोजना आधारित

- मधुमक्खी पालकों/किसानों से अन्यों के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें केवल शहद/सुपर चेम्बर से शहद निकालना, रानी एक्सकूलडर का उपयोग, फूड ग्रेड प्लास्टिक शहद कन्टेनरों का उपयोग, एसएस से बने शहद एक्स्ट्राक्टर आदि शामिल हैं जिनके लिए एमआईडीएच के तहत उपलब्ध सहायता ली जा सकती है।
- मधुमक्खी कालोनियों में कभी भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- केवल सील्ड शहद को निकालना चाहिए।
- वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के लिए एनबीबी द्वारा जारी की गई परामर्शिकाओं को अपनाया जा सकता है।

किससे संपर्क करें ?

- जिला बागवानी अधिकारी
- राज्य सरकार के निदेशक, बागवानी
- प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, बी विंग, दूसरी मंजिल, जनपथ भवन, जनपथ रोड, नई दिल्ली, फोन नं.: 011-23325265, E-mail: nationalbeeboard.2006@gmail.com

S. N.	Components	Rates of assistance approved under MIDH (NHM/ HMNEH)
5.	**Human Resource Dev.(HRD) activities.**	
	Conf. /Seminar /Workshop:	
i.	International level	Rs. 10.00 lakh /event
ii.	National level	Rs. 5.00 lakh /event
iii.	State level:	Rs. 3.00 lakh/ event
iv.	Distt. level	Rs. 2.00 lakh/ event
6.	Trainings – (i) Within State (WST)	@ Rs. 1000/- participant/ day
	(ii) Out of State(OST)	Project based (OST)
7.	Exposure Visits–Outside States and Outside India	Project based

- Beekeepers/farmers are requested to practice scientific beekeeping, among others, which includes extraction of honey from Honey/Super chamber only, use of queen excluder, use of food grade plastic honey containers, SS made honey extractors, etc. for which the assistance available under MIDH may be availed.
- Never use antibiotics in bee colonies.
- Extract only sealed honey.
- Advisories issued by NBB for scientific beekeeping, time to time, may be adopted.

Whom to Contact:

- District Horticlture Officer
- Director Horticlture of the State Government
- Executiv Director, National Bee Board, B wing,2ndFloor,JanpathBhawan,Janpath Road, New Delhi, Ph. No. 011-23325265, E-mail: nationalbeeboard.2006@gmail.com

7

बीज

क्या करें ?

- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई बीज किस्मों, बीज दर एवं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अपनायें।
- गेहूं, धान, जौ, दलहन, (अरहर को छोड़कर) तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर) तीन वर्ष में एक बार, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, राई, सरसों एवं सूरजमुखी दो वर्ष में एक बार एवं संकर/बीटी बीज प्रत्येक वर्ष बदलें।
- केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित बीज खरीदें और इन्हें ठंडी, सूखी और साफ जगह पर रखें।
- बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व बीज गुणवत्ता परीक्षण जैसे शुद्धता, अंकुरण और खरपतवार रहित होने की जाँच कर लें।

क्या पायें ?

क : बीज वितरण के लिए सहायता

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
1.	(i) संकर बीज (धान)	(i) लागत का 50 %, जो ₹ 5,000/– प्रति कुन्तल तक सीमित.	बीजीआरईआई
	(ii) अधिक पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणित बीज	(ii) लागत का 50 %, जो ₹ 1,000/– प्रति कुन्तल तक सीमित.	बीजीआरईआई
2.	बीजों का वितरण (i) अधिक उपज वाली किस्मों के बीज		
	क) चावल एवं गेहूं	₹ 10/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	एनएफएसएम
	ख) मोटे अनाज	₹ 15/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	एनएफएसएम
	ग) दालें	₹ 25/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	एनएफएसएम
	(ii) संकर बीज क) चावल	₹ 50/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	एनएफएसएम
	ख) मोटे अनाज	₹ 50/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	एनएफएसएम

7

SEEDS

What to do?

- Always use recommended variety of seeds as per local climate and adopt recommended seed rate and other package of practices.
- Replace seeds of wheat, paddy, barley, pulses (except arhar), oilseeds (except rapeseed, mustard and sunflower) once in three years, seeds of maize, bajra, jowar, arhar, rapeseed, mustard and sunflower once in two years and hybrid/BT seeds every year.
- Always procure certified seeds from authorized agencies and store the seeds in a cool, dry and clean place.
- Always use treated seeds for sowing and test for quality parameters like purity, germination, free from weed seed etc. before sowing.

What You Can Get?

A : Assistance for Seed Distribution

S. No.	Crop	Assistance on Distribution of Certified Seeds	Scheme/ Component
1.	(i) Hybrid Seed (Rice)	50% of the cost limited to Rs. 5000 per quintal	BGREI
	(ii) Certified Seed of HYVs (rice & wheat)	50% of the cost limited to Rs. 1000 per quintal	BGREI
2.	Distribution of Seeds (i) HYV Seeds a) Rice and Wheat	Rs. 10/-per kg or 50% of cost whichever is less	NFSM
	b) Coarse Cereals	Rs. 15 per kg or 50% of cost whichever is less	NFSM
	c) Pulses	Rs. 25 per kg or 50% of cost whichever is less	NFSM
	(ii) Hybrid Seeds a) Rice	Rs. 50 per kg or 50% of cost whichever is less	NFSM
	b) Coarse Cereals	Rs. 50 per kg or 50% of cost whichever is less	NFSM

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
3.	तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, सरसों, रेपसीड, तिल एवं अरण्ड)	लागत का 50 % अथवा ₹ 2500/क्वि. जो भी कम हो तिल के अतिरिक्त तिलहन के ऐसे किस्म के बीजों के लिए जो 15 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। तिल व संकर बीज जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, ₹ 5000/क्वि. तक सीमित होगा।	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)
4.	सभी कृषि फसलों के लिए बीज की गुणवत्ता के सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधारीय/प्रमाणित बीजों के वितरण पर (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60 % एवं राज्य की हिस्सेदारी 40 %)	अनाज के बीजों की लागत का 50%, तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% प्रति एकड़/प्रति किसान।	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी), बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएसपी) बीज ग्राम कार्यक्रम घटक के अंतर्गत
5.	किसानों, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ इत्यादि को तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के आधारीय/प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60 % एवं राज्य की हिस्सेदारी 40 %)	तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज की लागत का 75%।	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी), बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दालों, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के तहत् बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
6.	ऑयल पाम पौध	रोपण सामग्री लागत का 85% जो ₹ 8000/हे. तक सीमित, किसान की सम्पूर्ण जोत रोपण क्षेत्र हेतु	एन.एम.ओ.ओ.पी.
7.	ऑयलपाम में निषेचन अवधि के लिए खेती की लागत की सहायता	चार वर्ष के लिए निषेचन अवधि की लागत का अधिकतम 50 % जो ₹ 16,000/– प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा / प्रतिवर्ष ₹ 4,000/– प्रति हेक्टेयर 25 हेक्टेयर तक	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)

S. No.	Crop	Assistance on Distribution of Certified Seeds	Scheme/ Component
3.	Oilseeds (groundnut, soybean sunflower, toria, safflower, sesame, niger,mustard, rapeseed, linseed and castor	Assistance @ 50% of cost limited to Rs. 2500/qtl for varieties of oilseeds not older than 15 years except Sesame. Assistance for distribution of hybrid seeds and variety of sesame is Rs. 5000/qtl.	National Mission on Oilseed & Oil Palm (NMOOP)
4.	For all crops, distribution of foundation/ certified seeds for production of quality seeds to improve the quality of farm-saved seeds (GOI Share 60% and State Share 40%)	50% cost of seeds of cereals, 60% of the cost of seeds of oilseeds, pulses, fodder, green manure crops etc. required for a one-acre area per farmer.	National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET), Sub-Mission on Seed and Planting Material (SMSP) under the component Seed Village Programme.
5.	Distribution of foundation/ certified seeds of oilseeds, pulses, fodder, and green manure crops etc. for farmers, SHGs, FPOs etc. (GOI Share 60% and State Share 40%)	75% cost of seeds of oilseeds, pulses, fodder, green manure crops .	NMAET, Sub Mission on Seeds and Planting Material under certified production of oilseeds, pulses, fodder and green manure crops through Seed Village Programme.
6.	Oil palm seeding	@ 85% of the cost of planting material limited to Rs. 8000/ha for entire land holding/planting area of the farmers.	NMOOP
7	Cultivation/ maintenance cost as assistance/ maintenance for gestation period for oil palm	50% of cost during gestation period for four years with a ceiling of Rs. 16,000/- per hectare@ Rs. 4000/ha/year up to 25 ha.	NMOOP

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
8.	जूट एवं मेस्ता बीज ग्राम कार्यक्रम	उत्पादित प्रमाणित बीज के लिए ₹ 5500/– प्रति क्विंटल	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल (जूट)
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तिलहन के प्रजनक बीजों की खरीद	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं भा.कृ.अनु.प. के बीज प्रभाग द्वारा नियत की गई प्रजनक बीज की पूरी लागत	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी)
ख : आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन पर सहायता			
10.	(क) संकर धान (ख) चावल और गेहूं के अधिक उपज देने वाले प्रमाणित बीज	लागत का अधिकतम 50 % जो ₹ 5,000/– प्रति कुन्तल तक सीमित लागत का अधिकतम 50 % जो ₹ 1,000/– प्रति कुन्तल तक सीमित	बीजीआरईआई
11.	दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा एवं मोठ)	दस वर्ष पुरानी अधिक उपज वाली किस्मों के बीज ₹ 25/– प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 %, जो भी कम हो.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
12.	व्यक्तियों/उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों आदि सहित निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 40 % की दर से पूंजीगत सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड सब्सिडी) एवं पहाड़ी क्षेत्रों/तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 % जो ₹ 150 लाख प्रति इकाई तक सीमित होगा	एनएमएईटी, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज और रोपण सामग्री के अंतर्गत सहायता हेतु उप मिशन (एसएमएसपी)

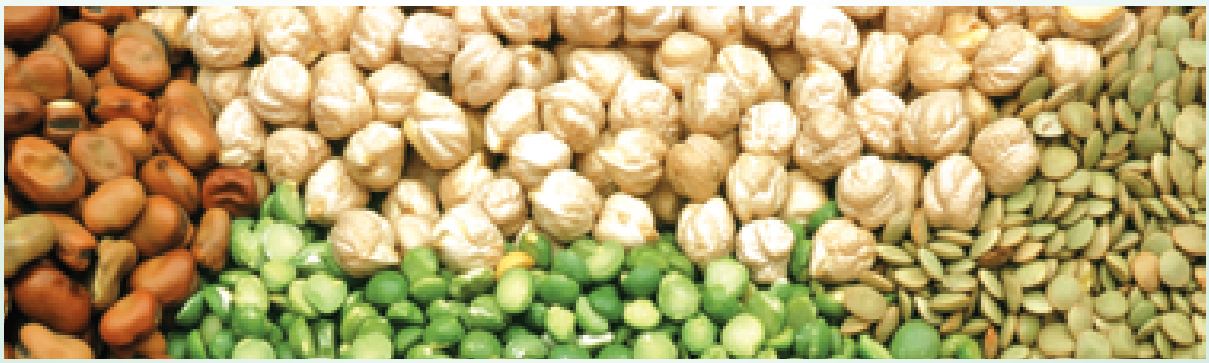

S. No.	Crop	Assistance on Distribution of Certified Seeds	Scheme/ Component
8.	Jute and Mesta Seed village programme	Rs. 5,500 per quintal of certified seed produced	NFSM Commercial Crops (Jute)
9.	Purchase of breeder seeds of oilseeds from ICAR and SAUs	Reimbursement of full cost of breeder seeds as fixed by Seed Division of DAC &FW and ICAR	NMOOP
B : Assistance for Production of Foundation and Certified Seeds			
10.	(a) Hybrid Paddy (b) Certified seeds of HYVs of rice and wheat	50% of the cost limited to Rs. 5000 per quintal 50% of the cost limited to Rs. 1000 per quintal	BGREI
11.	Pulses (arhar, moong, urad, lentil, field pea, gram, rajma and moth)	HYV seeds Rs.25 per kg or 50% of the cost whichever is less for ten year old varieties	National Food Security Mission (NFSM)
12.	Assistance for boosting seed production in private sector including individual/ entrepreneurs, self help groups etc.	(i) Credit-linked back-ended capital subsidy at the rate of 40% of project cost in general areas and 50% in case of hill areas and scheduled areas subject to upper limit of Rs. 150 lakhs per project	NMAET, Sub Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) under Assistance for Boosting of Seed Production in Private Sector.

क्र. सं.	फसल	प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	स्कीम/घटक
ग : सभी तिलहन फसलों के लिए			
13.	आधारीय (फाउण्डेशन) बीज उत्पादन के लिए सहायता	पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिए ₹ 1000/– प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए ₹ 100/– प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी राशि का 75 % किसानों और 25 % उत्पादक एजेंसियों के लिए (एसडीए/एनएससी/नैफेड/कृभको/इफको/एचआईएल/ आईएफएफडीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां)।	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन
14.	प्रमाणित बीजों का उत्पादन	– तदैव –	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन
15.	बीज संसाधन का विकास	ड्रिप चैनल बनाने, खेत को समतल करने, खेत की घेराबंदी, कार्यालय इमारत का विद्युतीकरण, कृषि उपकरण इत्यादि को छोड़कर) (खलिहान, शुष्कीकरण सुविधा युक्त भण्डार गृह, बोरबेल/ ट्यूब वेल, मोटर पम्प, स्प्रिंकलर के साथ सिंचाई सुविधा युक्त बीज संसाधन तैयार करने के लिए और मिशन फसलों के लिए बीज/रोपाई सामग्री उत्पादन में संलग्न राज्य सरकारे/ राज्य बीज निगम के खेतों के लिए 50 प्रतिशत तक तथा राष्ट्रीय बीज निगम के फार्मों के लिए भारत सरकार सहायता का 75 प्रतिशत तक और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/किसान विकास केन्द्रों के लिए 100 प्रतिशत सहायता। यह सहायता बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ऑयलपाम मिशन के तिलहन आधारित मिनी मिशन –1 के अंतर्गत कुल परिणाम का अधिकतम 1 प्रतिशत तक सीमित।	राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन

S. No.	Crop	Assistance on Distribution of Certified Seeds	Scheme/ Component
C : For all Oilseeds Crops			
13.	Assistance for production of Foundation Seeds	Rs. 1000/- per quintal for all varieties/hybrids released during the last 10 years and an additional assistance of Rs. 100/- per quintal on the varieties/Hybrids released in the last 5 years. 75% of subsidy amount is meant for farmers and 25% for seed producing agencies for meeting expenditure towards certification and production etc. Support is available for SDAs/State Seed Corporations/(SDAs/ NSC/NAFED/KRIBHCO/IFFCO/HIL/IFFDC/Central Multi State Cooperatives such as NCCF.)	NMOOP
14.	Production of Certified Seeds	- do -	NMOOP
15.	Seed Infrastructure Development	Assistance up to 50% for creation of seed infrastructure including trashing floor, seed storage godowns with the provision for dehumidification, irrigation facilities including tube wells/bore wells, motor pumps, sprinklers, excluding drip, lining of channel, leveling of field, fencing on the farms, electrification of office building, farm machinery etc. At State Governments/State Seed Corporation (SSC) farms engaged in seeds/planting material production for the mission crops and up to 75% of GoI support for farms of NSC and 100% for SAUs/KVKs. Allocation would be restricted to maximum of 1% of total outlay under the Mini Mission-I on Oilseeds of NMOOP during the twelfth plan.	NMOOP

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>फसल</th><th>प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता</th><th>स्कीम/घटक</th></tr>
<tr><td>15. क.</td><td>बीज अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण (केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए)

बीज प्रसंस्करण सुविधाएं</td><td>(भारत सरकार की हिस्सेदारी 100 %)
1. बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना
1000, 2000, 3000 एवं 5000 मी.टन के मॉड्युलर डिज़ाइन के लिए सहायता (वार्षिक क्षमता गेहूं के बीज के प्रसंस्करण पर आधारित) सहायता निम्नलिखित दर पर दी जाएगी।
<table>
<tr><th>मद</th><th>वार्षिक क्षमता (मीट्रिक टन)</th><th>1000 मीट्रिक टन</th><th>2000 मीट्रिक टन</th><th>3000 मीट्रिक टन</th><th>4000 मीट्रिक टन</th><th>5000 मीट्रिक टन</th></tr>
<tr><td>मुख्य उपकरण आदि</td><td>₹ लाख में</td><td>27.90</td><td>32.90</td><td>47.10</td><td>56.20</td><td>62.80</td></tr>
<tr><td>सहायक उपकरण आदि</td><td>₹ लाख में</td><td>9.90</td><td>10.10</td><td>13.90</td><td>20.70</td><td>21.30</td></tr>
<tr><td>कुल खर्च</td><td>₹ लाख में</td><td>37.80</td><td>43.00</td><td>61.00</td><td>76.90</td><td>84.10</td></tr>
</table>
2. इमारत, शेड व सुखानेवाला प्लेटफार्म बनाने के लिए
<table>
<tr><th rowspan="2">प्लांट के लिए वार्षिक क्षमता (मी. टन) के आधार पर आर्थिक सहायता</th><th colspan="3">इमारत व शेड बनाने के लिए</th><th colspan="3">सुखानेवाला प्लेटफार्म</th><th rowspan="2">कुल योग (₹ लाख में)</th></tr>
<tr><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>कुल लागत (₹ लाख में)</th><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>कुल लागत (₹ लाख में)</th></tr>
<tr><td>1000</td><td>450</td><td>7000</td><td>31.50</td><td>100</td><td>1200</td><td>1.20</td><td>32.70</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>525</td><td>7000</td><td>36.75</td><td>200</td><td>1200</td><td>2.40</td><td>39.15</td></tr>
<tr><td>3000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td><td>300</td><td>1200</td><td>3.60</td><td>52.60</td></tr>
<tr><td>4000</td><td>800</td><td>7000</td><td>56.00</td><td>400</td><td>1200</td><td>4.80</td><td>60.80</td></tr>
<tr><td>5000</td><td>1000</td><td>7000</td><td>70.00</td><td>500</td><td>1200</td><td>6.00</td><td>76.00</td></tr>
</table>
कार्यान्वयन एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुसार वांछित क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें अनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।</td><td>कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उपमिशन</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Crop</th><th>Assistance on Distribution of Certified Seeds</th><th>Scheme/ Component</th></tr>
<tr><td>15 a.</td><td>Creation of Seed Infrastructure facilities (for Public Sector only)

Seed Processing Facilities</td><td>(100% GoI share)
1-Establishment of Seed Processing Plants
Grant-in aid is available according to modular design of 1000 MT, 200MT, 3000MT and 5000 MT (annual capacity seed processing capacity plants wheat basis). The assistance shall be available at the following rate:
<table>
<tr><th>Items</th><th>Annual capacity (MT)</th><th>1000 MT</th><th>2000 MT</th><th>3000 MT</th><th>4000 MT</th><th>5000MT</th></tr>
<tr><td>Main equip-ment etc.</td><td>Rs. In lakh</td><td>27.90</td><td>32.90</td><td>47.10</td><td>56.20</td><td>62.80</td></tr>
<tr><td>Sup-porting Equip-ments etc.</td><td>Rs. In lakh</td><td>9.90</td><td>10.10</td><td>13.90</td><td>20.70</td><td>21.30</td></tr>
<tr><td>Total Cost</td><td>Rs. In lakh</td><td>37.80</td><td>43.00</td><td>61.00</td><td>76.90</td><td>84.10</td></tr>
</table>
2. Construction of building, receiving shed, drying platform
<table>
<tr><th rowspan="2">The financial assistance for construction of building require Annual capacity of plant (MT)</th><th colspan="3">Plant building & receiving shed</th><th colspan="3">Drying Platform</th><th rowspan="2">Grand total (Rs. In lakh)</th></tr>
<tr><th>Size (sqm)</th><th>Rate (Rs/ sqm)</th><th>Total cost (Rs. In lakh)</th><th>Size (sqm)</th><th>Rate (Rs/ sqm</th><th>Total cost (Rs. In lakh)</th></tr>
<tr><td>1000</td><td>450</td><td>7000</td><td>31.50</td><td>100</td><td>1200</td><td>1.20</td><td>32.70</td></tr>
<tr><td>2000</td><td>525</td><td>7000</td><td>36.75</td><td>200</td><td>1200</td><td>2.40</td><td>39.15</td></tr>
<tr><td>3000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td><td>300</td><td>1200</td><td>3.60</td><td>52.60</td></tr>
<tr><td>4000</td><td>800</td><td>7000</td><td>56.00</td><td>400</td><td>1200</td><td>4.80</td><td>60.80</td></tr>
<tr><td>5000</td><td>1000</td><td>7000</td><td>70.00</td><td>500</td><td>1200</td><td>6.00</td><td>76.00</td></tr>
</table>
The implementing agencies will have the flexibility to establish seed processing plant of desired capacity as assessed by them and assistance will be provided on prorata basis.</td><td>Sub- Mission on Seeds and Planting Materials (SMSP) under NAMET</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>फसल</th><th>प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता</th><th>स्कीम/घटक</th></tr>
<tr><td>15. ख.</td><td>बीज भंडारण सुविधाएं (भारत सरकार की हिस्सेदारी 100%)</td><td>बीज भंडारण सुविधाएं
पैलेट/पैक कवर, स्प्रेयर, डस्टर इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के बीज भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। बीज के सुरक्षित भंडारण के लिए निम्न रूप में सहायता उपलब्ध है:
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>क्षमता (मी.टन)</th><th>आकार (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>दर (प्रति वर्ग मीटर)</th><th>कुल लागत (₹ लाख में)</th></tr>
<tr><td>एसी/जीआई शीट के स्टोर</td><td>1000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td></tr>
<tr><td>हवादार सपाट रूफ स्टोर</td><td>100</td><td>700</td><td>7500</td><td>52.50</td></tr>
<tr><td>गैरनमी के स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>14000</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>वातानुकुलित एवं गैरनमी स्टोर</td><td>100</td><td>100</td><td>18000</td><td>18.00</td></tr>
</table>
कार्यान्वयन एजेंसियां मॉड्युलर पैटर्न के अनुसार अपनी जरूरत की वांछित क्षमता के शक्तिशाली बीज स्टोर की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें अनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।</td><td>कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उपमिशन</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>विविधता विशिष्ट लक्षित बीज उत्पादन (वीएसटीएसपी)</td><td>एनएससी/चुनिंदा एसएससी/राज्य सरकार एजेंसियां/ आईसीएआर/एसएयू और इनके कृषि विज्ञान केन्द्रों, कार्यों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इत्यादि को बीज उत्पादन लागत का 75%.
पात्रता : उन्नत/संकर किस्में जो 5 वर्ष से पुरानी न हों।</td><td>राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन</td></tr>
<tr><td colspan="4">घ : राष्ट्रीय आरक्षित बीज</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान लघु और मध्यम अवधि के बीज</td><td>1. बीज की लागत
2. रखरखाव लागत
i. प्रसंस्करण एवं पैकिंग व्यय – ₹ 300/– प्रति कुन्तल
ii. परिवहन प्रभार – ₹ 200/– प्रति कुन्तल
3. बीज भंडारण की लागत – 10000 कुन्टल क्षमता के लिए ₹ 57.74 लाख
4. मशीनरी की खरीद, संयंत्र निर्माण, शेड लगाने एवं मंच सुखाने के लिए सहायता – 10000 कुन्टल क्षमता के लिए ₹ 70.50 लाख
5. मेटेरियल हैंडलिंग उपकरणों की लागत के लिए – ₹ 50 प्रति कुन्टल (एक बार)
6. धूमन, छिड़काव, धूल मुक्त वातावरण के रखरखाव, स्टाकिंग, डी–स्टाकिंग एवं श्रम से जुड़े अन्य कार्यों की सेवाओं के लिए – ₹ 10 प्रति कुन्टल (प्रति वर्ष)
7. अस्वस्थ बीज की लागत के लिए – लक्षित स्टॉक का 10% मात्रा में बीज और अनाज की कीमत के बीच के अंतर
8. कम्प्यूटरीकरण की लागत</td><td>कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी)के तहत बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप मिशन</td></tr>
</table>

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/कृषि ब्लाक प्रखण्ड विकास अधिकारी/राज्य बीज निगम/परियोजना निदेशक (आत्मा)

<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Crop</th><th>Assistance on Distribution of Certified Seeds</th><th>Scheme/ Component</th></tr>
<tr><td>15 b.</td><td></td><td>Seed Storage Facilities
The financial assistance for construction of various types of seed storage godowns including pallets/packs cover, sprayers, dusters etc. Required for safe storage of seed is available as under:
<table>
<tr><th>Particulars</th><th>Capacity (MT)</th><th>Size (sqm)</th><th>Rate (Rs/ sqm</th><th>Total cost (Rs. In lakh)</th></tr>
<tr><td>Store with AC/GI sheets</td><td>1000</td><td>700</td><td>7000</td><td>49.00</td></tr>
<tr><td>Ventilated Flat Roof Store</td><td>100</td><td>700</td><td>7500</td><td>52.50</td></tr>
<tr><td>Dehumidified Store</td><td>100</td><td>100</td><td>14000</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>Air conditioned and dehumidified Store</td><td>100</td><td>100</td><td>18000</td><td>18.00</td></tr>
</table>
The implementing agencies will have the flexibility to establish / strengthen seed store of desired capacities as assessed by them as per given modular pattern and financial assistance will be provided on prorate basis.</td><td>Sub-Mission on Seeds & Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET).</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Variety Specific Targeted Seed Production (VSTSP)</td><td>75% cost of seed production to NSC/selected SSCs/State Government Agencies/ICAR/SAUs and its KVKs, farms, international institutions etc. in project mode, subject to requirement of foundation/certified seed and availability of breeder foundation seeds
Eligibility: Varieties/hybrids not older than 5 years.</td><td>NMOOP</td></tr>
<tr><td colspan="4">D. National Seed Reserve</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Seed of short and medium duration crops varieties during natural calmaties and unforeseen conditions</td><td>1. Cost of Seeds - 100%
2. Maintenance cost
I. Processing & Packing charges – Rs. 300/Qtls
II Transportation charges – Rs. 200/Qtls
3. Cost of seed storage infrastructure – Rs. 57.74 Lakh for 10000 Qtl capacity.
4. Assistance for purchase of machineries, plant building, receiving shed, and drying platform – Rs. 70.50 lakh for 10000 qtl capacity.
5. Cost of material handling equipments – Rs. 50 per qtls (One Time).
6. Cost of services outsourced for fumigation, spraying, maintenance of dust free environment staking, de-staking and other operation involving labour – Rs. 10/qtls (Every Year).
7. Cost of condemnation unfit seeds – Price differential between seed and grain of 10% quantity of targeted stock.
8. Cost of computerization</td><td>Submission on Seeder Planting Material (SMSP) under National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)</td></tr>
</table>

Whom to Contact ?

District Agriculture Officer / Agriculture Block Development Office / Project Director ATMA/State Seed Corporation

8

कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी

क्या करें ?

- भूमि के क्षेत्रफल और फसल के अनुसार उपयुक्त मशीनरी/उपकरण की खरीद करें।
- किसान भाई कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनरी या उपकरण भाड़े पर लेकर अथवा आपस में साझा कर प्रयोग करें।
- संसाधन संरक्षण – जीरो टिल सीड ड्रिल, लेज़र लेवलर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर आदि का प्रयोग करें।
- कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि मशीनरी के उचित उपयोग एवं सामयिक रख–रखाव तथा मरम्मत का प्रशिक्षण प्राप्त करें।

क्या पायें ?

क: कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत लागत मानक सहायता

1. कृषि यन्त्रों और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
1 (क) ट्रैक्टर				
(i) ट्रैक्टर (08 से 20 पीटीओ हार्स पावर)	₹ 1,00,000/-	35%	₹ 75,000/-	25%
(ii) ट्रैक्टर (20 से 70 पीटीओ हार्स पावर से अधिक)	₹ 1,25,000/-	35%	₹ 1,00,000/-	25%
1 (ख) पावर टिलर				
(i) पावर टिलर (08 बीएचपी से कम)	₹ 50,000/-	50%	₹ 40,000/-	40%
(ii) पावर टिलर (08 बीएचपी एवं अधिक)	₹ 75,000/-	50%	₹ 60,000/-	40%

8

MECHANIZATION AND TECHNOLOGY

What to do?

- Procure appropriate machinery/ equipment as per land holding size and crop
- Machinery & equipment can be used by Custom Hiring/ sharing by groups of farmers.
- Conserve Resources - Use Zero-till Seed Drill, Laser Leveler, Happy Seeder, Rotavator, etc.
- Training is provided on proper use of Farm Machinery and its routine maintenance and servicing through Farm Machinery Training &Testing Institutes (FMTTIs), KVKs & State Agricultural Universities.

What You Can Get?

A. Sub - Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)

1. Financial Assistance for Procurement of Agricultural Machinery and Equipments

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
1(A) : Tractors				
(i) Tractors (08 to 20 PTO HP)	Rs. 1,00,000/-	35%	Rs. 75,000/-	25%
(ii) Tractors (Above 20 to 70 PTO HP)	Rs. 1,25,000/-	35%	Rs. 1,00,000/-	25%
1(B): Power Tillers				
(i) Power Tiller (below 8 BHP)	Rs. 50,000/-	50%	Rs. 40,000/-	40%
(ii) Power Tiller (8 BHP & above)	Rs. 75,000/-	50%	Rs. 60,000/-	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
1 (ग) राइस ट्रांसप्लांटर				
स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर (4 पंक्तियों वाला)	₹ 94,000/-	50 %	₹ 75,000/-	40 %
स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर (i) 4 पंक्तियों से अधिक एवं 8 पंक्तियों तक (ii) 8 पंक्तियों से अधिक एवं 16 पंक्तियों तक	₹ 2,00,000/-	40 %	₹ 2,00,000/-	40 %
1 (घ) स्वचालित मशीनरी				
(i) रीपर–कम–बाइंडर	₹ 1,25,000/-	50 %	₹ 1,00,000/-	40 %
स्वचालित यूरिया ब्रेकिटिंग गहराई तक लगाने वाली मशीन/यूरिया अनुप्रयोग मशीन	₹ 63,000/-	50 %	₹ 50,000/-	40 %
1 (च) विशेष स्वचालित मशीनरी (i) रीपर (ii) पोस्ट होल खोदक (डिगर)/औगर (iii) न्यूमैटिक/अन्य प्लांटर	₹ 63,000/-	50 %	₹ 50,000/-	40 %
1 (छ) स्वचालित बागवानी मशीनरी (i) फ्रूट प्लकर (ii) ट्री प्रूनर (iii) फ्रूट हारवेस्टर (iv) फ्रूट ग्रेडर (v) ट्रेक ट्रॉली (vi) नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन (vii) बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक प्रणाली (viii) प्रूनिंग, बडिंग, ग्राफ्टींग, शियरिंग आदि के लिए पावर संचालित बागवानी उपकरण।	₹ 1,25,000	50 %	₹ 1,00,000/-	40 %

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
1(C): Rice Transplanter				
Self Propelled Rice Transplanter(4 rows)	Rs. 94,000/-	50%	Rs. 75,000/-	40%
Self Propelled Rice Transplanter (i) above 4-8 rows (ii) above 8-16 rows	Rs. 2,00,000/-	40%	Rs. 2,00,000/-	40%
1(D): Self Propelled Machinery				
Self Propelled Machinery (i) Reaper –cum-Binder	Rs. 1,25,000/-	50%	Rs. 1,00,000/-	40%
(ii) Automatic urea briquetting deep placement/urea application machine	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000/-	40%
1(E): Specialized Self Propelled Machinery (i) Reaper (ii) Post Hole Digger/ Augur (iii) Pneumatic/ other Planter	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000/-	40%
1(F): Self Propelled Horticultural Machinery (i) Fruit Pluckers (ii) Tree Pruners (iii) Fruit Harvesters (iv) Fruit Graders (v) Track Trolley (vi) Nursery Media Filling Machine (vii) Multipurpose Hydraulic System (viii) Power operated horticulture tools for pruning, budding, grating, shearing etc.	Rs. 1,25,000	50%	Rs. 1,00,000/-	40%

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
2(क) भूमि विकास, जोत एवं सीड बैड तैयार करने वाले उपकरणः (i) एमबी प्लाऊ (ii) डिस्क प्लाऊ (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेवलर ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फरो ओपनर (viii) रिज़र (ix) वीड स्लैशर (x) लेज़र लैण्ड लेवलर (xi) रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 19,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 12,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/–	40 % 40 %
(xii) रोटावेटर (xiii) रोटोपडलर (xiv) रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाऊ (xv) पावर हैरो (xvi) क्रस्ट ब्रेकर (xvii) रोटो कल्टीवेटर	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 35,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 44,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 28,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 35,000/–	40 % 40 %
(xvii) चीज़ल प्लाऊ	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 8,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 10,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 6,000/– (ii) 20–35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 8,000/–	40 % 40 %

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor/Power Tiller driven equipments	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**
2(A): Land development, tillage and seed bed preparation equipments: (i) MB Plough (ii) Disc Plough (iii) Cultivator (iv) Harrow (v) Leveler Blade (vi) Cage Wheel (vii) Furrow Opener (viii) Ridger (ix) Weed Slasher (x) Laser Land Leveler (xi) Reversible Mechanical plough	i) Below 20 BHP driven Rs. 15,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs. 19,000 / -	50% 50%	i) Below 20 BHP driven Rs.12,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs.15,000 /-	40 % 40 %
(xii) Rotavator (xiii) Rotopuddler (xiv) Reversible Hydraulic plow (xv) Power Harrow (xvi) Crust breaker (xvii) Roto Cultivator	i) Below 20 BHP driven Rs.35,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs. 44,000 / -	50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs. 28,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs. 35,000 /-	40 % 40 %
(xvii) Chisel plough	i) Below 20 BHP driven Rs. 8,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs. 10,000 /-	50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs. 6,000 /- ii) 20-35 BHP driven Rs. 8,000 /-	40 % 40 %

Laser Land Leveler

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
2(ख) बुआई, रोपण, कटाई व खुदाई करने वाले उपकरण (i) पोस्ट होल डिगर (ii) पोटेटो प्लांटर (iii) पोटेटो डिगर (iv) ग्राउण्ड नट डिगर (v) स्ट्रिप टिल ड्रिल (vi) ट्रेक्टर ड्रॉन रीपर (vii) प्याज हारवेस्टर (viii) राइस स्ट्रॉ चोपर (ix) ज़ीरो टिल सीड सह उर्वरक ड्रिल (x) रेज़्ड बेड प्लांटर (xi) शुगर केन कटर/स्ट्रीपर (xii) प्लांटर (xiii) सीड ड्रिल (xiv) मल्टीक्रॉप प्लांटर (xv) ज़ीरो–टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर (xvi) रिज़ फरो प्लांटर	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 19,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 12,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/–	40 % 40 %
(i) टर्बो सीडर (ii) न्यूमेटिक प्लांटर (iii) न्यूमेटिक वेज़िटेबल ट्रांस प्लांटर (iv) न्यूमेटिक वेज़िटेबल सीडर (v) हैप्पी सीडर (vi) प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन (vii) एक्वा फर्श सीड ड्रील (viii) रेज़्ड वेड प्लांटर (प्रवृत प्लेट एवं आकृतिकार शेपर सहित) (ix) मलचर (x) बीज प्रक्रीया ड्रम (xi) बीज सह उर्वरक ड्रिल	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 35,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 44,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 28,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 35,000/–	40 % 40 %

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor/Power Tiller driven equipments	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**
2(B) Sowing, Planting, Reaping and Digging Equipments: (i) Post Hole digger (ii) Potato Planter (iii) Potato Digger (iv) Ground nut Digger (v) Strip Till Drill (vi) Tractor Drawn Reaper (vii) Onion Harvester (viii) Rice Straw Chopper, (ix) Zero till Seed cum Fertilizer Drill (x) Raised Bed Planter (xi) Sugar Cane Cutter/ Stripper (xii) Planter (xiii) Seed Drill (xiv) Multi Crop Planter (xv) Zero –till Multi Crop Planter (xvi) Ridge Furrow Planter	i) Below 20 BHP driven Rs 15,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 19,000 /	50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs. 12,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 15,000 /-	40 % 40 %
(i) Turbo Seeder (ii) Pneumatic Planter (iii) Pneumatic Vegetable Transplanter (iv) Pneumatic Vegetable Seeder (v) Happy Seeder (vi) Plastic Mulch Laying Machine (vii) Aqua Ferti Seed drill (viii) Raised bed planter with inclined plate planter and shaper attachment (ix) Mulcher (x) Seed Treating drum (xi) Seed cum fertilizer drill	i) Below 20 BHP driven Rs. 35,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 44,000 /-	50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs. 28,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 35,000 /-	40 % 40 %

Potato Digger

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
2(ग) अंतर्खेती उपकरण (i) ग्रास वीड स्लैशर (ii) राइस स्ट्रॉ चोपर (iii) पावर वीडर (इंजन से संचालित) < 2 बीएचपी > 2 बीएचपी	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 19,000/– ₹ 15,000/– ₹ 19,000/–	50 % 50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 12,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/– ₹ 12,000/– ₹ 15,000/–	40 % 40 % 40 %
2(घ) कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण/घास और चारा उपकरण (i) शुगर केन थ्रेश कटर ((ii) कोकोनट फ्रांड चोपर (iii) रेक (iv) बेलर (v) स्ट्रा रीपर (vi) फीड ब्लॉक मशीन (vii) स्टबलर शेवर	(i) 20 बीएचपी से कम संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी के संचालित उपकरणों के लिए ₹ 19,000/–	50 % 50 %	(i) 20 बीएचपी से कम के संचालित उपकरणों के लिए ₹ 12,000/– (ii) 20 से 35 बीएचपी के संचालित उपकरणों के लिए ₹ 15,000/–	40 % 40 %
2(च) कटाई और गहाई उपकरण (i) ग्राउंण्ड नट पोड स्ट्रीपर ((ii) थ्रेशर (iii) मल्टी क्राप थ्रेशर (iv) पैडी थ्रेशर (v) ब्रश कटर (vi) विनोइंग फैन	(i) 3 हार्स पावर से कम के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित एवं 20 हार्स पावर से कम के पावर टिलर एवं ट्रेक्टर के लिए ₹ 20,000/–	50 %	(i) 3 हार्स पावर से कम के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित एवं 20 बीएचपी से कम के पावर टिलर एवं ट्रेक्टर के लिए ₹ 16,000/–	40 %

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor/Power Tiller driven equipments	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**
2(C): Inter Cultivation Equipments (i) Grass Weed Slasher (ii) Rice Straw Chopper (iii) Power Weeder (engine operated) <below 2 bhp >above 2 bhp	i) Below 20 BHPdriven Rs. 15,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 19,000 /- Rs. 15,000 /- Rs. 19,000 /-	50 % 50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs. 12,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 15,000 /- Rs. 12,000 /- Rs. 15,000 /-	40 % 40 % 40 %
2(D) Equipments for Residue management/ Hay and Forage Equipments (i) Sugarcane Thrash Cutter (ii) Coconut Frond Chopper (iii) Rake (iv) Balers (v) Straw Reaper (vi) Feed block machine (vii) Stubbler shaver	i) Below 20 BHP driven Rs. 15,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 19,000 /-	50 % 50 %	i) Below 20 BHP driven Rs.12,000 /- ii) 20 to 35 BHP driven Rs. 15,000 /-	40 % 40 %
2(E): Harvesting & Threshing Equipments (i) Ground Nut Pod Stripper (ii) Thresher (iii) Multi Crop Thresher (iv) Paddy Thresher (v) Brush Cutter (vi) Winnowing fan	i) Operated by engine/ electric motor below 3 HP and by power tiller and tractor below 20 BHP Rs. 20, 000 /-	50 %	i) Operated by engine/ electric motor below 3 HP and by power tiller and tractor below 20 BHP Rs. 16,000 /-	40 %

कृषि मशीनरी के प्रकार *	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रैक्टर/पावर टिलर चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(vii) रीपर (viii) मुवर (घास काटने की मशीन) (ix) मक्का शेलर (x) चक्राकार ग्रेडर (xi) शिथिल हारवेस्टर (xii) इन फील्डर (xiii) मूवर श्रेडर (बहुउद्येशिय/बहुफसलिय)	(ii) 3–5 हार्स पावर के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित के लिए एवं 35 बीएचपी से कम के चालित ट्रेक्टर के लिए ₹ 25,000/–	50 %	(ii) 3–5 हार्स पावर के इंजन/ इलेक्ट्रिक मोटर चालित के लिए एवं 35 बीएचपी से कम ट्रेक्टर चालित के लिए ₹ 20,000/–	40 %
2(छ) चॉफ कटर	(i) 3 हार्स पावर से कम के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित एवं 20 बीएचपी से कम के पावर टिलर एवं ट्रेक्टर चालित के लिए ₹ 20,000/–	50 %	(i) 3 हार्स पावर से कम के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित एवं 20 बीएचपी से कम के पावर टिलर एवं ट्रेक्टर चालित के लिए ₹ 16,000/–	40 %
	(ii) 3–5 हार्स पावर के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित के लिए एवं 35 बीएचपी से कम के ट्रेक्टर चालित के लिए ₹ 25,000/–	50 %	(ii) 3–5 हार्स पावर के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर चालित के लिए एवं 35 बीएचपी से कम ट्रेक्टर चालित के लिए ₹ 20,000/–	40 %

Type of Agricultural Machinery *	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor/Power Tiller driven equipments	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**
(vii) Reaper (viii) Mower (ix) Maize sheller (x) Spiral grader (xi) Flail Harvester (xii) Infielder (xiii) Mower Shredder (All purpose/all crops)	ii) Operated by engine/ electric motor 3- 5 HP and tractor above 20 BHP to 35 BHP Rs. 25,000 /-	50 %	ii) Operated by engine/ electric motor 3- 5 HP and tractor above 20 BHP to 35 BHP Rs. 20,000 /-	40 %
2(F): Chaff Cutter	i) Operated by engine/ electric motor below 3 HP and by power tiller and tractor below 20 BHP Rs. 20,000 /-	50 %	i) Operated by engine/ electric motor below 3 HP and by power tiller and tractor below 20 BHP Rs. 16,000 /-	40 %
	ii) Operated by engine/ electric motor 3- 5 HP and tractor below 35 BHP Rs. 25,000 /-	50 %	ii) Operated by engine/ electric motor 3- 5 HP and by tractor below 35 BHP Rs. 20,000 /-	40 %

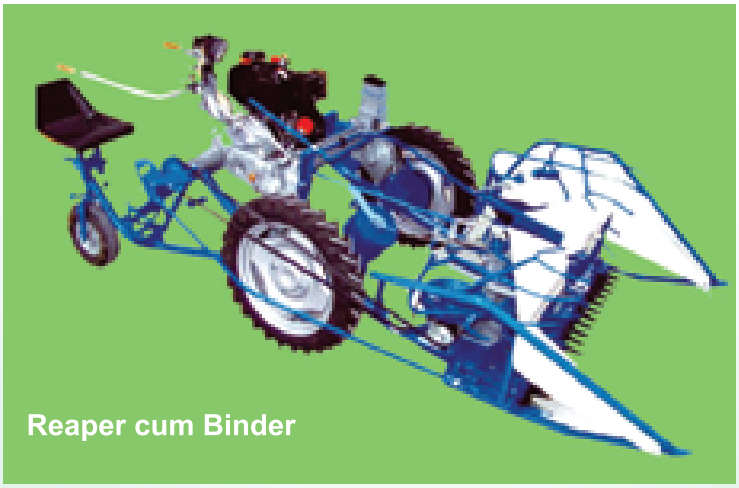

Reaper cum Binder

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रेक्टर (35 बीएचपी से अधिक के) चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
3(क) भूमि सुधार, जुताई एवं बीज बेड तैयार करने के उपकरण : (i) एमबी प्लो (हल) (ii) डिस्क प्लो (हल) (iii) कल्टीवेटर (iv) हैरो (v) लेवलर ब्लेड (vi) केज व्हील (vii) फरो ओपनर (viii) रिज़र (ix) रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लो	₹ 44,000	50%	₹ 35,000 /-	40%
(x) वीड स्लैशर (xi) लेज़र लैण्ड लेवलर (xii) रोटावेटर (xiii) रोटो–पडलर (xiv) रिवर्सिबल हाइड्रालिक प्लो (xv) सब–सॉयलर (xvi) ट्रेंच मेकर (पीटीओ चालित) (xvii) बंड फार्मर (पीटीओ चालित) (xviii) पावर हैरो (पीटीओ चालित) (xix) बैक हो लोडर डोज़र (ट्रैक्टर चालित) (xx) पावर हैरो (xxi) बंड फोर्मर (xxii) क्रस्ट ब्रेकर (xxiii) फरो ओपनर (xxiv) रोटो कल्टीवेटर	₹ 63,000/-	50%	₹ 50,000/-	40 %

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor (above 35 BHP) driven equipment	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum permissible subsidy per machine/ equpment**	**Pattern of Assistance**
3(A): Land Development, tillage and seed bed preparation equipments: (i) MB Plough (ii) Disc Plough (iii) Cultivator (iv) Harrow (v) Leveler Blade (vi) Cage Wheel (vii) Furrow Opener (viii) Ridger (ix) Reversible Mechanical plough	Rs. 44,000	50%	Rs. 35,000 /-	40%
(x) Weed Slasher (xi) Laser Land Leveler (xii) Rotavator (xiii) Roto-Puddler (xiv) Reversible Hydraulic Plough (xv) Sub – Soiler (xvi) Trench Makers (PTO operated) (xvii) Bund Former (PTO operated) (xviii) Power Harrow (PTO operated) (xix) Backhoe Loader Dozer (Tractor operated) (xx) Power harrow (xxi) Bund former (xxii) Crust breaker (xxiii) Furrow opener (xxiii) Roto cultivator	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000/-	40 %

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रेक्टर (35 बीएचपी से अधिक के) चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
3(ख) बुआई, रोपण, कटाई और खुदाई के उपकरण : (i) ज़ीरो टिल सीड–कम–फर्टीलाइज़र ड्रिल ((ii) रेज़्ड बेड प्लांटर (iii) सीड ड्रिल (iv) पोटेटो डिगर (v) ट्रेक्टर चालित रीपर (vi) ऑनियन हार्वेस्टर (vii) सीड कम फर्टीलाईजर ड्रील (viii) बीज प्रक्रिया ड्रम	₹ 44,000 /-	50 %	₹ 35,000 /-	40 %
(vii) पोस्ट होल डिगर (viii) पोटेटो प्लांटर (ix) ग्राउण्ड नट डिगर (x) स्ट्रिप टिल ड्रिल (xi) शेपर सहित ऊँची क्यारी बोने की मशीन एवं झुकी हुए प्लेट मेकर (xii) राइस स्ट्रॉ चोपर (xiii) शुगर केन कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर (xiv) मल्टी क्रॉप प्लांटर (xv) ज़ीरो–टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर (xvi) रिज़ फरो प्लांटर (xvii) टर्बो सीडर (xviii) न्यूमेटिक प्लांटर	₹ 63,000/ -	50 %	₹ 50,000 /-	40 %

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor (above 35 BHP) driven equipment	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum permissible subsidy per machine/ equpment**	**Pattern of Assistance**
3(B): Sowing , Planting, Reaping and Digging Equipments: (i) Zero till Seed-cum-Fertilizer Drill (ii) Raised Bed Planter (iii) Seed Drill (iv) Potato Digger (v) Tractor Drawn Reaper (vi) Onion harvester (vii) Seed cum fertilizer drill (viii) Seed treating drum	Rs. 44,000 /-	50 %	Rs. 35,000 /-	40 %
(vii) Post Hole Digger (viii) Potato Planter (ix) Ground nut Digger (x) Strip till drill (xi) Raised bed planter with inclined plate maker and shaper attachment (xii) Rice Straw Chopper (xiii) Sugar cane Cutter/ Stripper/planter, (xix) Multi Crop Planter (xv) Zero –till Multi Crop Planter (xvi) Ridge Furrow Planter (xvii) Turbo Seeder (xviii) Pneumatic Planter	Rs.63,000/ - (for all crops)	50 %	Rs. 50,000 /-	40 %

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रेक्टर (35 बीएचपी से अधिक के) चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(xix) न्यूमेटिक वेज़ीटेबल ट्रांस प्लांटर (xx) न्यूमेटिक वेज़ीटेबल सीडर (xxi) हैप्पी सीडर (xxii) कसावा प्लांटर (xxiii) मॅन्युअर स्प्रेडर (xxiv) फर्टीलाइज़र स्प्रेडर–पीटीओ चालित (xxv) प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन (xxvi) स्वचलित धान नर्सरी बुवाई मशीनरी (xxvii) एक्वा खाद बीज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल (xxviii) मल्चर				
ग. अंतर खेती उपकरण (i) ग्रास/वीड स्लैशर (ii) राइस स्ट्रॉ चोपर (iii) वीडर (पीटीओ चालित)	₹ 63,000/-	50 %	₹ 50,000/-	40 %
घ. **कटाई और गहाई उपकरण** (5हार्स पावर से अधिक के इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर एवं 35 बीएचपी से अधिक के ट्रेक्टर चालित) (i) ग्राउण्ड नट पॉड स्ट्रिपर (ii) थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (iii) पैडी थ्रेशर	₹ 63,000/-	50 %	₹ 50,000/-	40 %

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor (above 35 BHP) driven equipment	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum permissible subsidy per machine/ equpment**	**Pattern of Assistance**
(xix) Pneumatic Vegetable Transplanter, (xx) Pneumatic Vegetable Seeder (xxi) Happy Seeder (xxii) Cassava Planter (xxiii) Manure Spreader (xxiv) Fertilizer Spreader – PTO operated (xxv) Plastic Mulch Laying Machine (xxvi) Automatic Rice Nursery Sowing Machinery (xxvii) Aqua fertilizer seed drill/seed cum fertilizer drill (xxviii) Mulcher				
3(C): Inter Cultivation Equipments: (i) Grass/ Weed Slasher, (ii) Rice Straw Chopper, (iii) Weeder (PTO operated)	Rs.63,000/-	50 %	Rs. 50,000/-	40 %
3(D): Harvesting &Threshing Equipments (Operated by engine/electric motor above 5 hp and Tractor of above 35 BHP) (i) Ground Nut Pod Stripper (ii) Thresher/Multi crop Thresher (iii) Paddy Thresher	Rs 63,000/-	50 %	Rs. 50,000/-	40 %

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
ट्रेक्टर (35 बीएचपी से अधिक के) चालित उपकरण	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(iv) मक्का शेलर (v) चैफ कटर (vi) चारा कटाई मशीन/फ्लेल हार्वेस्टर (vii) बर्ड स्केरर (viii) इनफील्डर (ix) रीपर (x) मोवर (xi) मोवर श्रेडर (बहुउद्येशिय / बहु फसलिय) (xii) चक्राकार ग्रेडर				
च. अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरण/घास और चारा उपकरण (i) शुगर–केन ट्रेश कटर (ii) कोकोनट फ्रॉन्ड चोपर (iii) हे रेक (iv) बेलर (गोल)	₹ 63,000/-	50 %	₹ 50,000/-	40 %
(v) बेलर (आयताकार) (vi) वुड चिपर (vii) शुगर केन रटून प्रबंधक (viii) कॉटन स्टॉक अपरुटर (ix) स्ट्रॉ रीपर (x) फीड ब्लॉक मशीन (xi) अवशेष शेवर	₹ 63,000/-	50%	₹ 50,000 /-	40%

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
Tractor (above 35 BHP) driven equipment	**Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment**	**Pattern of Assistance**	**Maximum permissible subsidy per machine/ equpment**	**Pattern of Assistance**
(iv) Maize Sheller (v) Chaff Cutter (vi) Forage Harvester/ Flail Harvester (vii) Bird Scarer (viii) Infielder (ix) Reaper (x) Mower (xi) Mover shredder (All purpose/all crops) (xii) Spiral grader				
3 (E) Equipments for Residue management/Hay and Forage (i) Sugarcane Trash Cutter (ii) Coconut Frond Chopper, (iii) Hay Rake (iv) Balers (Round)	Rs 63,000/-	50 %	Rs. 50,000/-	40 %
(v) Balers (Rectangular) (vi) Wood Chippers (vii) Sugarcane Ratoon Manager (viii) Cotton Stalk Uprooter (ix) Straw Reaper (x) Feed block machine (xi) Stubble shaver	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000 /-	40%

सभी मैनुअल/पशु चालित उपकरण/औजार/टूल

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
4(क) भूमि सुधार, जुताई एवं बीज बेड तैयार करने के उपकरण : (i) एमबी प्लो (हल) (ii) डिस्क प्लो (हल) (iii) कल्टीवेटर (iv) हॅरो (v) लेवलर ब्लेड (vi) फरो ओपनर (vii) रिज़र (viii) पडलर	₹ 10,000/-	50%	₹ 8,000 /-	40%
4(ख) बुआई और रोपण उपकरण: (i) पैडी प्लांटर (ii) सीड कम फर्टीलाइज़र ड्रिल (iii) रेज़्ड बेड प्लांटर (iv) प्लांटर (v) डिबलर (vi) धान नर्सरी तैयार करने के उपकरण (vii) बीज उपचार ड्रम (viii) एसआरआई के लिए मार्कर	₹ 10,000 /-	50%	₹ 8,000 /-	40%
(ix) ड्रम सीडर (4 कतार से कम)	₹ 1500 /-	50%	₹ 1200 /-	40%
(xi) ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)	₹ 1900 /-	50%	₹ 1500 /-	40%

All Manual/Animal Drawan Equipment/Implements/Tools

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum permissible subsidy per machine/ equpment	Pattern of Assistance
4(A): Land Development, Tillage and Seed Bed preparation equipments: (i) MB Plough (ii) Disc Plough (iii) Cultivator (iv) Harrow (v) Leveler Blade (vi) Furrow Opener (vii) Ridger (viii) Puddler	Rs. 10,000/-	50%	Rs. 8,000 /-	40%
4(B): Sowing and Planting Equipments: (i) Paddy Planter (ii) Seed cum Fertilizer Drill (iii) Raised Bed Planter (iv) Planter (v) Dibbler (vi) Equipments for raising paddy nursery (vii) Seed treating drum (viii) Marker for SRI	Rs. 10,000/-	50%	Rs. 8,000/-	40%
(ix) Drum Seeder (Below 4 Rows)	Rs. 1500 /-	50%	Rs. 1200/-	40%
(xi) Drum Seeder (Above 4 Rows)	Rs.1900 /-	50%	Rs. 1500/-	40%

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
4(ग) कटाई और गहाई उपकरण : (i) ग्राउण्ड नट पोड स्ट्रिपर (छिलका उतारने वाला) (ii) थ्रेशर (iii) विनोइंग फॅन (iv) ट्री क्लाईंबर (v) बागवानी के हस्त चालित औज़ार (vi) मक्का शेलर (vii) फीड ब्लॉक मशीन (vii) चक्रवार ग्रेडर	₹ 10,000 /-	50%	₹ 8,000 /-	40%
(vi) चैफ कटर (3फीट तक)	₹ 5,000 /-	50%	₹ 4,000 /-	40%
(vii) चैफ कटर (3 फीट से अधिक)	₹ 6,300 /-	50%	₹ 5,000 /-	40%
4(घ) अंतर खेती उपकरणः (i) ग्रास वीड स्लॅशर (ii) वीडर (iii) कोनो वीडर (iv) उद्यान हस्त चालित उपकरण	₹ 600 /-	50%	₹ 500 /	40%

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum permissible subsidy per machine/ equpment	Pattern of Assistance
4(C): Harvesting & Threshing Equipments: (i) Ground Nut Pod Stripper (ii) Thresher (iii) Winnowing fan (iv) Tree climber (v) Horticulture Hand tools (vi) Maize sheller (vii) Feed block machine (viii) Spiral grader	Rs.10,000 /-	50%	Rs. 8,000/-	40%
(vi) Chaff Cutter (upto 3')	Rs. 5,000 /-	50%	Rs. 4,000/-	40%
(vii) Chaff Cutter (above 3')	Rs.6,300/-	50%	Rs. 5,000/-	40%
4(D): Inter Cultivation Equipments: (i) Grass Weed Slasher (ii) Weeder (iii) Conoweeder (iv) Garden Hand Tools	Rs. 600 /-	50%	Rs. 500 /	40%

5. बागवानी/कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी उपकरण

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकृत सब्सिडी	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम स्वीकृत सब्सिडी	सहायता (प्रतिशत)
स्वचालित/अन्य पावर चालित बागवानी मशीनरी	₹ 63,000/-	50%	₹ 50,000/-	40%
i. चेन सा/व्हील बॉरो/मैंगो ग्रेडर/प्लांटर और बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त अन्य स्वचालित मशीनें और उपकरण				
हस्तचालित बागवानी उपकरण				
i. एल्यूमीनियम सीढ़ी/सीढ़ी	₹ 10,000/-	50%	₹ 8,000/-	40%
ii. एल्यूमीनियम पोल				
iii. प्लकर				
खाद्यान्न, तिलहन बीजों के लिए कटाई पश्चात के उपकरण/बागवानी उपकरण				
प्राथमिक प्रसंस्करण तकनीक का हस्तांतरण, मूल्य संवर्धन, कम लागत का वैज्ञानिक भण्डारण, पैकेजिंग इकाईयाँ और उत्पादन क्षेत्र में सह–उत्पाद प्रबंधन तकनीकियों के लिए कटाई पश्चात इकाइयों की स्थापना	₹ 1,60,000/-	60%	₹ 1,50,000/-	50%
i. मिनी चावल मिल	₹ 1,50,000/-	60%	₹ 1,25,000/-	50%
i. मिनी दाल मिल				
ii. बाजरा मिल				
iii. फिल्टर प्रेस के साथ तेल मिल (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				
iv. कोल्हू (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				
v. अनार एरिल एक्सट्रेक्टर				

5. Horticultural & Post Harvest Technology Equipments

Type of machine/equipment	For SC,ST , small & marginal farmers , women and NE States beneficiary		For other beneficiary	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
SELF PROPELLED/OTHER POWER DRIVEN HORTICULTURAL MACHINERY (i) Chain Saw /Wheel Barrow /Mango Grader/Planter and other suitable self propelled machineries and equipments for horticulture crops.	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000/-	40%
Manual Horticultural equipments				
i. Aluminium Ladder/Ladder	Rs. 10,000/-	50%	Rs. 8,000/-	40%
ii. Aluminium Pole				
iii. Plucker				
Post Harvest Equipments for food grains ,oil Seeds and Horticultural Equipments				
Establishment of PHT units for transfer of primary processing technology, value addition, low cost scientific storage, packaging units and technologies for by-product management in the production catchments.	Rs. 1,60,000/-	60%	Rs. 1,50,000/-	50%
i. Mini Rice Mill	Rs. 1,50,000/-	60%	Rs. 1,25,000/-	50%
i. Mini Dal Mill				
ii. Millet Mill				
iii. Oil Mill with filter press(for all types of Horticulture/Food grain/oilseed crop)				
iv. Extractor (for all types of Horticulture/ Food grain/oilseed crop)				
v. Pomegranate Aril Extractor				

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/ उपकरण अधिकतम स्वीकृत सब्सिडी	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/ उपकरण अधिकतम स्वीकृत सब्सिडी	सहायता (प्रतिशत)
vi. शरीफा पल्पर vii. डीहाइड्रेशन यूनिट/प्रिकिंग मशीन/ह्यूमिडीफायर (सभी तरह की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए), viii. पैकिंग मशीन (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				
ix. सभी प्रकार के पावर चालित डीहस्कर/शेलर/थ्रेशर/ हार्वेस्टर/ डीस्पाइकिंग/डीकोनिंग मशीन/पीलर/ स्पलीटर/ स्ट्रिपर (सभी तरह की बागवानी/खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)	₹ 63,000/-	50%	₹ 50,000/-	40%
x. सभी प्रकार के बॉयलर/स्टीमर/ ड्रायर सोलर (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				
xi. सभी प्रकार की वाशिंग मशीन (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)	₹ 44,000/-	50%	₹ 35,000/-	40%
xii सभी प्रकार के ग्राइंडर/पलवराईजर/ पॉलिशर (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				
xiii सभी प्रकार के क्लीनर सह–ग्रेडर/ ग्रेडियेंट सेपरेटर/ स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर (सभी तरह की बागवानी/ खाद्यान्न/तिलहन की फसलों के लिए)				

Type of machine/equipment	For SC,ST , small & marginal farmers , women and NE States beneficiary		For other beneficiary	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
vi. Custard Apple Pulper vii. Dehydration unit/Pricking Machine/ Humidifier (for all types of Horticulture/ Food grain/oilseed crop) viii. Packing Machines(for all types of Horticulture/Food grain/oilseed crop)				
ix. All types of Power driven Dehuskar / sheller / Threshers /Harvesters / De-spiking/ Deconing Machine/ Peeler/ Splitter /Stripper(for all type of Horticulture / food grain/oil seeds Crops)	Rs. 63,000/-	50%	Rs. 50,000/-	40%
x. All types of Boiler/Steamer/Dryer solar (for all types of Horticulture/Food grain/ oilseed crop)				
xi. All types of Washing Machines(for all types of Horticulture/Food grain/oilseed crop)	Rs. 44,000/-	50%	Rs. 35,000/-	40%
xii All types of Grinder/Pulveriser/Polisher (for all types of Horticulture/ Food grain/ oilseed crop)				
xiii All type of cleaner cum grader/gradient separator/specific gravity separator (for all types of Horticulture/food grain/ oilseed crop)				

6. एसएमएएम के अंतर्गत पौध संरक्षण उपकरण

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
6(क) मैनुअल स्प्रेयर नेप–सेक/पद चालित स्प्रेयर	₹ 600 /-	50%	₹ 500 /-	40%
6(ख) शक्ति चालित (i) नेपसेक स्प्रेयर/शक्ति चालित स्प्रेयर (क्षमता 8–12 लीटर)	₹ 3,100	50%	₹ 2,500	40%
(ii) नेपसेक स्प्रेयर/शक्ति चालित स्प्रेयर (क्षमता 12–16 लीटर)	₹ 3,800 /-	50%	₹ 3,000 /-	40%
(iii) नेपसेक स्प्रेयर/शक्ति चालित स्प्रेयर (क्षमता 16 लीटर से अधिक)	₹ 10,000 -	50%	₹ 8,000 /-	40%
6(ग) ट्रैक्टर माउन्टेड/संचालित स्प्रेयर/पावर टिलर स्प्रेयर (i) 20 बीएचपी से कम	₹ 10,000 /-	50%	₹ 8,000 /-	40%
(ii) 20–35 बीएचपी	₹13,000 /-	50%	₹ 10,000 /-	40%
(iii) 35 बीएचपी से अधिक	₹ 63,000 /-	50 %	₹ 50,000 /-	40 %
6(घ) पर्यावरण अनुकूल लाइट ट्रेप	₹ 1400 /-	50%	₹ 1200 /-	40%
6(च) इलेक्ट्रोस्टेटिक स्प्रेयर	₹ 63,000 /-	50 %	₹ 50,000/-	40 %

6. Plant Protection Equipment under SMAM

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
6(A): Manual sprayer Knap Sack / Foot Operated Sprayers	Rs. 600 /-	50%	Rs. 500 /-	40%
6(B): Powered (i) Knapsack sprayers/ power operated sprayers (capacity 8-12 lit.)	Rs. 3,100	50%	Rs. 2,500	40%
ii) Knapsack Sprayers/ Power Operated Sprayers (capacity 12-16 lit.)	Rs. 3,800 /-	50%	Rs. 3,000 /-	40%
iii) Knapsack Sprayers/ power operated sprayers (capacity 16 lit.	Rs. 10,000 -	50%	Rs. 8,000 /-	40%
6(c): Tractor Mounted / Operated Sprayers/Power tiller sprayer i) Below 20 BHP	Rs.10,000 /-	50%	Rs. 8,000 /-	40%
ii) 20 - 35 BHP	Rs. 13,000 /-	50%	Rs. 10,000 /-	40%
iii) above 35 BHP	Rs. 63,000 /-	50 %	Rs. 50,000 /-	40 %
6(D): Eco – friendly Light Traps	Rs. 1400 /-	50%	Rs. 1200 /-	40%
6(E): Electrostatic Sprayer	Rs. 63,000 /-	50 %	Rs. 50,000/-	40 %

7. विशेष कृषि मशीनरी

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
(क) सौर ऊर्जा संचालित/विद्युत उर्जा संचालित पशु निवारक बायोअकौस्टिक उपकरण (सौर पैनल के साथ)	₹ 25000 /-	50%	₹ 20000 /-	40%
(ख) सौर ऊर्जा संचालित/विद्युत उर्जा संचालित पशु निवारक बायोअकौस्टिक उपकरण (सौर पैनल के रहित)	₹ 19,000	50%	₹ 15,000	40%
(क) सौर संचालित ऊर्जा/संचालित/विद्युत उर्जा संचालित, फसलों की नर्सरी के लिए हाइड्रेपोनिक मशीन	₹ 63,000 /-	50%	₹ 50,000 /-	40%

7. Specialized Agricultural Machinery

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
(a): Solar operated/ electric operated Animal deterrent bioacoustics equipment (with solar panel)	Rs. 25,000 /-	50%	Rs. 20,000 /-	40%
(b): Solar operated/ electric operated Animal deterrent bioacoustics equipment (without solar panel)	Rs. 19,000	50%	Rs. 15,000	40%
(a): Solar operated/ electric operated Hydroponic machine for raising nursery of crops	Rs. 63,000 /-	50%	Rs. 50,000 /-	40%

8. सोलर फोटोवोल्टिक जल पम्पिंग प्रणाली

कृषि उपकरण के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए	अन्य लाभार्थियों के लिए
	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)	प्रति मशीन/उपकरण अधिकतम देय अनुदान (सब्सिडी)
सोलर फोटोवोल्टिक जल पम्पिंग प्रणाली		
(i) 2 हॉर्स पावर तक के एसपीवी प्रणाली सहित एसी पम्प (सबमर्सिबल एवं उथले कुंआ हेतु)	₹ 55,440/– प्रति हॉर्स पावर	₹ 50,400/– प्रति हॉर्स पावर
(ii) 2 से 5 हॉर्स पावर से अधिक के एसपीवी प्रणाली सहित एसी पम्प (सबमर्सिबल एवं उथले कुंआ हेतु)	₹ 47,520/– प्रति हॉर्स पावर	₹ 43,200/– प्रति हॉर्स पावर
(iii) 2 हॉर्स पावर तक के एसपीवी प्रणाली सहित एसी पम्प (सबमर्सिबल एवं उथले कुंआ हेतु)	₹ 63,360/– प्रति हॉर्स पावर	₹ 57,600/– प्रति हॉर्स पावर
(iv) 2 से 5 हॉर्स पावर तक के एसपीवी प्रणाली सहित एसी पम्प (सबमर्सिबल एवं उथले कुंआ हेतु)	₹ 59,400/– प्रति हॉर्स पावर	₹ 54,000/– प्रति हॉर्स पावर

8. Solar Photovoltaic Water Pumping System

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women, and NE States' beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
Solar Photovoltaic Water Pumping System				
(i) Submersible and Shallow Well SPV system with AC pumps up to 2 hp	Rs. 55,440 per hp		Rs. 50,400 per hp	
(ii) Submersible and Shallow Well SPV system with AC Pumps >2 to 5 hp	Rs. 47,520 per hp		Rs. 43,200 per hp	
(iii) Submersible and Shallow Well SPV system with AC Pumps up to 2 hp	Rs. 63,360 per hp		Rs. 57,600 per hp	
(iv) Submersible and Shallow Well SPV system with AC Pumps > 2 hp to 5 hp	Rs. 59,400 per hp		Rs. 54,000 per hp	

9. एसएमएएम के अंतर्गत किराये पर देने के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना: उचित स्थानों एवं फसल के लिए कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैकों की स्थापना हेतु उपयुक्त सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत	सहायता (प्रतिशत)
i	₹ 10 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 4.00 लाख (परियोजना आधारित)	40%
ii	₹ 25 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 10.00 लाख (परियोजना आधारित)	40%
iii	₹ 40 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 16.00 लाख (परियोजना आधारित)	40%
iv	₹ 60 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 24.00 लाख (परियोजना आधारित)	40%

10. कस्टम हायरिंग के लिए उच्च तकनीकी, उच्च उत्पादकता उपकरण केन्द्र की स्थापना : गन्ना, कपास आदि जैसी अधिक कीमत वाली फसलों के लिए उच्च तकनीक मशीनरी केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधन है।

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत	सहायता (प्रतिशत)
i	₹ 100 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 40 लाख (परियोजना आधारित)	40%
ii	₹ 150 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 60 लाख (परियोजना आधारित)	40%
iii	₹ 200 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 80 लाख (परियोजना आधारित)	40%
iv	₹ 250 लाख तक की लागत के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सब्सिडी	₹ 100 लाख (परियोजना आधारित)	40%

9. Establishment of Farm Machinery Banks for Custom Hiring under SMAM : Provides suitable assistance to establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring for appropriate locations and corps

S. No.	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
i	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring Centre upto Rs.10 lakhs	(Project based) Rs. 4.0 lakh	40%
ii	Procurement subsidy for establishment of custom Hiring up –to 25 lakh	(Project based) Rs. 10.0 lakh	40%
iii	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring up-to 40 lakh	(Project based) 16.0 lakh	40%
iv	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring up-to 60 lakh	(Project based) 24.0 lakh	40%

10. Establishment of Hi-Tech, High Productive Equipment Hub for Custom Hiring: Provides financial assistance to set up hi-tech machinery hubs for high value crops like sugarcane, cotton etc.

S. No.	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
i	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring Centre upto Rs. 100 lakh	Project based Rs. 40 lakh	40%
ii	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring Centre upto Rs. 150 lakh	Project based Rs. 60 lakh	40%
iii	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring Centre upto Rs. 200 lakh	Project based Rs. 80 lakh	40%
iv	Procurement subsidy for establishment of Custom Hiring Centre upto Rs. 250 lakh	Project based Rs. 100 lakh	40%

11. चयनित गाँवों में कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन : कम मशीनीकृत राज्यों के चिन्हित गाँवों में उचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत	सहायता का प्रकार
i	मशीनरी बैंकों के लिए वित्तीय सहायता (कम से कम 8 किसान प्रति बैंक)	₹ 10 लाख तक प्रति फार्म मशीनरी बैंक	फार्म मशीनरी बैंक की लागत का 80%

12. कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से मशीनीकृत संचालन को प्रोत्साहन हेतु प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता : कम मशीनीकृत क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केन्द्रों से लाभार्थियों को मशीनरी/उपकरणों को किराये पर लेने के लिए प्रति हेक्टेयर आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदंड
I	(i) उपरलिखित घटक (11) के तहत फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए किसान सदस्यों को किराया प्रभार	ट्रेक्टर/पावर चालित/ पशु चालित/मैनुअल संचालन हेतु अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ₹ 2000/1000/750 प्रति हेक्टेयर प्रति किसान प्रति वर्ष, क्रमशः	प्रति हेक्टेयर संचालन लागत का 50%	प्रदर्शन के लिए अन्य मिशन में चिन्हित अनाजों, दलहनों और तिलहनों के कम उत्पादकता वाले जिलों में से गांवों का चयन। उपरलिखित घटक (10) के तहत स्थापित कृषि मशीनरी बैंक के लिए किसान सदस्यों को एक बार किराये से लेने हेतु सहायता
	(ii) सीएचसी द्वारा मशीनरी का प्रदर्शन	प्रति सीएचसी कम से कम 120 हेक्टेयर प्रति सीजन	₹ 4000/– प्रति हेक्टेयर	उपरलिखित घटक (8) के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रों को प्रदर्शन हेतु प्रभार। यह प्रदर्शन 120 हेक्टेयर प्रति गाँव तक ही सीमित रहेगा।

13. उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि मशीनरी और उपकरणों को प्रोत्साहन : यह पूर्वोत्तर के उच्च संभावित परंतु कम मशीनीकृत राज्यों में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत	सहायता का प्रकार	सहायता का मापदंड
I	(i) मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	प्रति लाभार्थी ₹ 1.25 लाख तक	मशीनरी/ कार्यान्वयन/ उपकरण की लागत का 100%	8 पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट फसलों/ क्षेत्रों में अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के क्रम में कम से कम 8–10 और अधिकतम 150 किसानों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया जा सकता है।
	(ii) किसानों के समूह के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	प्रति फार्म मशीनरी ₹ 10 लाख तक	फार्म मशीनरी बैंकों की लागत का 95%	

11. Promotion of Farm Mechanization of Selected Villages: Provides financial assistance to promote appropriate technologies and to set up Farm Machinery Banks in identified villages in low mechanized states

S. No.	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
i	Financial assistance for Farm Machinery Banks with minimum 8 Farmers per Bank	Upto ₹ 10 lakhs per Farm Machinery bank	80% of the cost of Farm Machinery of bank

12. Financial Assistance for Promotion of Mechanized Operations/hectare Carried out Through Custom Hiring Centers: Provides financial assistance on per hectare basis to the beneficiaries hiring machinery/equipment's from custom hiring centers in low mechanized areas.

S. No.	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance	Norms for Intervention
i	(i) Hiring charges to farmer members of Farm Machinery Banks set up under item 11 above	Upto a maximum of 1 ha area @ Rs.2000/1000/750/ha/ farmers/year for tractor, power operated/ animal drawn/ manual operations respectively	50% of the cost of operation/ha	Selection of villages from district with low productivity in Cereals, Pulses & Oilseeds identified in other Missions for demonstrations. One time hiring assistance to farmer members of the farm machinery banks set up under item 10 above
	(ii) Field Demo by CHCs	Minimum 120 ha/ season per CHC	Rs. 4000/ha	Demonstration charges to custom hiring centers set up under item 8 above. These demonstrations will be limited to 120ha/village.

13. Promotion of Farm Machinery and Equipment in North-Eastern States: Extends financial assistance to beneficiaries in high-potential but low mechanized states of north-east

S. No.	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance	Norms for Intervention
i	(i) Financial assistance for procurement of machinery/ implements	Up to Rs. 1.25 lakhs per beneficiary	100% of cost of machinery/ implement/ equipment	8 North Eastern States to take up this on project basis with a minimum of 8-10 farmers and maximum 150 farmers in order to encourage good agricultural practices in specific crops/areas.
	(ii) Financial assistance for Farm Machinery Banks for group of farmer	Up to Rs. 10 lakhs per Farm Machinery	95% of cost of Farm Machinery Banks.	

*पीटीओ–पावर टेक ऑफ

- एफएमटीटीआई और अन्य निर्दिष्ट संस्थानों से जांचे गए उपकरणों की सूची http\\farmech.dac.gov.in पर प्रदर्शित की गई है।
- सरकारी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एफएमटीटीआई या चिन्हित संस्थानों से जांचे गये सभी उपकरणों के लिए अनुदान (सब्सिडी) सभी राज्यों में स्वीकार्य होगी।
- राज्यों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य उपकरण पर सहायता के लिए सहायता की यथोचित श्रेणी के अंतर्गत कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कृषि मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	उपकरण का नाम	सहायता का पैमाना	अनुज्ञेय फसल			
			चावल	गेहूं	दालें	मोटा अनाज
1.	कृषि मशीनरी					
(i)	कोनोवीडर	₹ 600/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√			
(ii)	हस्त चालित स्प्रेयर : नेप सॅक स्प्रेयर/पद चालित स्प्रेयर	₹ 600/– प्रति स्प्रेयर अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(iii)	ड्रम सीडर	₹ 1500/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√			
(iv)	पावर स्प्रेयर	₹ 3000/– प्रति पावर स्प्रेयर अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(v)	चिसेलर (गहरी जुताई)	₹ 8000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो		√	√	
(vi)	ट्रैक्टर माऊंटेड स्प्रेयर	₹ 10000/– प्रति स्प्रेयर अथवा लागत का 50% जो कम हो		√	√	
(vii)	सीड ड्रिल	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	

***PTO –Power Take Off**

- Illustrative list of the equipments tested from FMTTI and other designated institutes may be referred at http\\farmech.dac.gov.in
- All tested equipments from either FMTTIs or designated institutes from DAC&FW are only eligible for subsidy in all states under government assisted programme.
- Any extra equipment proposed by States would be considered by DAC&FW under the appropriate category of assistance.

14. Machines & Equipments eligible for subsidy under National food Security Mission (NFSM)

S. No.	Name of equipment	Pattern of Assistance	Crops in which admissible			
			Rice	Wheat	Pulses	Coarse Cereals
1. Farm Machinery						
(i)	Conoweeder	Rs. 600/- per machine or 50 % of the cost whichever is less	√			
(ii)	Manual Sprayer: Knap Sack Sprayer/ Foot Operated Sprayer	Rs. 600/- per sprayer or 50% of the cost whichever is less	√	√	√	
(iii)	Drum Seeder	Rs. 1500 /- per machine or 50% of the cost whichever is less	√			
(iv)	Power Sprayer	Rs. 3000 /- per powered sprayer or 50% of the cost whichever is less	√	√	√	
(v)	Chiseller (Deep Ploughing)	Rs. 8000/- per machine or 50% of the cost whichever is less		√	√	
(vi)	Tractor Mounted Sprayer	Rs. 10,000/- per sprayer or 50% of cost whichever is less		√	√	
(vii)	Seed Drill	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less	√	√	√	

क्र.सं.	उपकरण का नाम	सहायता का पैमाना	अनुज्ञेय फसल			
			चावल	गेहूं	दालें	मोटा अनाज
(viii)	जीरो टिल सीड ड्रिल	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो		√	√	
(ix)	मल्टी क्राप प्लांटर	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(x)	जीरो टिल मल्टी क्राप प्लांटर	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(xi)	रिज फरो प्लांटर	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो			√	
(xii)	पावर वीडर	₹ 15000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√		
(xiii)	मोबाइल रेन गन	₹ 15000/– प्रति मोबाइल रेन गन अथवा लागत का 50% जो कम हो		√	√	
(xiv)	रोटावेटर/टर्बो सीडर	₹ 35000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(xv)	पैडी थ्रेशर/मल्टी क्राप थ्रेशर	₹ 40000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√	√	√	
(xvi)	लेज़र लैण्ड लेवलर	₹ 1.5 लाख प्रति मशीन 10 किसानों के एक समूह के लिए	√	√	√	
(xvii)	स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर	₹ 75000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो कम हो	√			

S. No.	Name of equipment	Pattern of Assistance	Crops in which admissible			
			Rice	Wheat	Pulses	Coarse Cereals
(viii)	Zero Till Seed Drill	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less		√	√	
(ix)	Multi Crop Planter	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less	√	√	√	
(x)	Zero Till Multi Crop Planter	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less	√	√	√	
(xi)	Ridge Furrow Planter	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less			√	
(xii)	Power Weeder	Rs. 15,000/- per machine or 50% of cost whichever is less	√	√		
(xiii)	Mobile Rain Gun	Rs. 15,000/- per mobile rain gun or 50% of cost, whichever is less		√	√	
(xiv)	Rotavator / Turbo Seeder	Rs. 35000/- per machine or 50% of cost whichever is less	√	√	√	
(xv)	Paddy Thresher/Multi Crop Thresher	Rs. 40000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	√	√	
(xvi)	Laser Land Leveler	Rs. 1.50 lakh per machine to a group of 10 farmers	√	√	√	
(xvii)	Self Propelled Paddy Transplanter	Rs. 75000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√			

15. मिनी मिशन–I तिलहन एवं ऑयलपाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) के अंतर्गत कृषि मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए सहायता

कृषि मशीनरी के प्रकार	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं, 5 सदस्यों के समूहों, एफपीओ और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	प्रति मशीन/ उपकरण अधिकतम स्वीकृत अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)	प्रति मशीन/ उपकरण अधिकतम स्वीकृत अनुदान (सब्सिडी)	सहायता (प्रतिशत)
पौध संरक्षण उपकरण				
(क) हस्तचालित स्प्रेयर				
(i) पर्यावरण के अनुकूल लाइट ट्रैप (एनसीआईपीएम मॉडेल) एवं नैपसेक स्प्रेयर/पद चालित स्प्रेयर	₹ 800 /-	50%	₹ 600 /-	40%
(ii) बीजोपचार ड्रम 20–40 किग्रा क्षमता का	Rs 2,000 /-	-	₹ 1750 /-	50%
(ख) पावरचालित (i) नॅपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताईवान स्प्रेयर (16 ली. से कम क्षमता)	₹ 3800 /-	60%	₹ 3000 /-	50%
(ii) नॅपसैक स्प्रेयर/पावर चालित ताईवान स्प्रेयर (16 ली. से अधिक क्षमता)	₹ 10,000 /-	50%	₹ 8,000 /-	40%
(ग) उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति (i) हस्त/पशु चालित चिसलर सहित उपकरण	₹ 10,000 / -	50%	₹ 8,000 /-	40%
(ii) ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर/सीड ड्रिल/ ज़ीरो टिल सीड ड्रिल/मल्टी क्रॉप प्लांटर/रिज फरो प्लांटर/ रेज़्ड बेड प्लांटर/पावर सीडर/ ग्राउण्डनट डिगर और मल्टी क्राप थ्रेशर	₹ 63,000 /-	50%	₹ 50,000 /	40 %

15. Mini Mission-I Subsidy for purchase of machinery & equipment under National Mission on Oil Seeds and Oil Palm (NMOOP)

Type of Agricultural Machinery	For SC,ST, Small & Marginal farmers, women, group > 5 members, FPOs and NE States beneficiaries		For other beneficiaries	
	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment	Pattern of Assistance
Plant Protection equipment				
a) Manual sprayers				
i) Eco -Friendly Light Trap (NCIPM model)and Knapsack/Foot Operated Sprayer	Rs. 800 /-	50%	Rs. 600 /-	40%
ii) Seed Treatment Drum with 20 kg - 40 kg Capacity	Rs 2,000 /-	-	Rs. 1750 /-	50%
b. Powered i) Knapsack Sprayers/ Power Operated Taiwan Sprayers (capacity below 16 lit.)	Rs. 3800 /-	60%	Rs. 3000 /-	50%
ii) Knapsack Sprayers/ Power operated Taiwan sprayers (capacity above 16 lit.)	Rs. 10,000 /-	50%	Rs. 8,000 /-	40%
c. Supply of improved farm implements i) Manually/ Bullock drawn implements including Chiseller	Rs. 10,000 / -	50%	Rs. 8,000 /-	40%
ii) Tractor driven farm equipment like Rotavator/ Seed Drill/ Zero Till Seed Drill/ Multi Crop Planter/ Ridge Furrow Planter/ Raised Bed Planter/ Power Seeder/ Groundnut Digger and Multi Crop Threshers	Rs. 63,000 /-	50%	Rs. 50,000 /	40 %

16. तिलहन एवं ऑयलपाम संबंधी राष्ट्रीय मिशन के मिनी मिशन – II (ऑयलपाम) के अंतर्गत कृषि मशीनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	घटक	सहायता का पैमाना
1	मशीन एवं औजार	लागत का 50% तक सहायता और उपकरण/औजार के लिए कृषि/बागवानी राज्य विभाग द्वारा निर्धारित राशि : (i) हस्तचालित/अधिक ऊंचाई तक पहुंच वाले ऑयल पाम कटर – ₹ 1500/– प्रति इकाई (ii) ऑयल पाम संरक्षण वायर मेश – ₹ 15000/– प्रति इकाई (iii) मोटरचालित चिसेल – ₹ 10000/– प्रति इकाई (iv) एल्यूमीनियम पोरटेबल सीढ़ी – ₹ 3000/– प्रति इकाई (v) ऑयल पाम की पत्तियों की कटाई के लिए चैफ कटर – ₹ 7000/–प्रति इकाई (केवल ऑयल पाम किसानों के लिए) (vi) ट्राली सहित 20 हार्स पावर तक के छोटे ट्रैक्टर : खरीद लागत का 25% जो ₹ 0.75 लाख तक सीमित होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे सीमांत किसानों, महिलाओं, 5 सदस्यों से अधिक के समूहों, एफपीओ और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10% अतिरिक्त सहायता जो अधिकतम ₹ 1.00 लाख तक सीमित होगी। (vii) आईसीएआर/एसएयू द्वारा संस्तुत कोई अन्य मशीन जो ऑयल पाम उत्पादकों के लिए उपयोगी हो, जिसे वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अंतर्गत स्थानीय गतिविधियों/कार्यों में सम्मिलित किया जा सके। (viii) मशीनों का आयात : जैसे बड़े ऑयल पाम पेड़ों के लिए मकैनिकल स्प्रेयर, ऑयल पाम मकैनिकल हार्वेस्टिंग मशीन, कम्पैक्ट एफएफबी ट्रांसपोर्टर/स्प्रेयर इत्यादि एनएमओओपी स्थायी समिति के विशेष अनुमोदन से।

17. बारहवीं योजना अवधि के दौरान समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत कृषि मशीनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

वस्तुएं	लागत मानक*	सहायता का पैमाना
(i) ट्रैक्टर (20 पीटीओ एचपी तक)	₹ 3.00 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए लागत का 25% अधिकतम ₹ 0.75 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे व मझोले किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए लागत का 35%, अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रति इकाई तक सीमित
(ii) पावर टिलर		
(क) पावर टिलर (8 बीएचपी से कम)	₹ 1.00 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 0.40 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 0.50 लाख प्रति इकाई

16. Mini Mission-II (Oil Palm) of National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP)

S.No.	Components	Pattern of Assistance
1.	Machinery & Tools	Assistance upto 50% of the cost and upto the amount for equipments/tools as provided under to State Department of Agriculture/Horticulture: (i) Manually Handled/ High Reach Oil Palm Cutter - Rs. 1500/- per unit, (ii) Oil Palm Protective Wire Mesh - 15000/- per unit, (iii) Motorized Chisel - Rs. 10000/- per unit (iv) Aluminium Portable ladder - Rs. 3000/- per unit (v) Chaff Cutter for chaffing of oil palm leaves (oil palm farmers only) - Rs. 7000/- per unit. (vi) Small tractor upto 20 HP along with trolley: 25% of the cost of Procurement subject to a ceiling of Rs. 0.75 lakh. Additional 10% assistance to SC / ST / Small / Marginal Farmers / Women, Groups > 5 members FPOs and NE States to a ceiling of Rs. 1.00 lakh per unit. (vii) Any other Machinery recommended by ICAR/SAUs which is useful for Oil Palm growers could be included under local initiatives/contingency under AAP (viii) Import of machinery viz; Mechanical Sprayer for Young Oil Palm Fields, Mechanical Oil Palm Harvesting Machine, Compact FFBs Transporter/ sprayers etc. with specific approval of standing committee of NMOOP

17. Financial Assistance for procurement of machines & equipment under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) during 12th plan period.

Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance
i) Tractor (upto 20 PTO HP)	3.00 lakh unit	25% of cost, subject to a maximum of Rs. 0.75 lakh/ unit for General Category Farmers, and in the case if SC, ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, 35% of cost, subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh per unit.
ii) Power Tiller		
a) Power Tiller (below 8 BHP)	1.00 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 0.40 lakh/unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 0.50 lakh/ unit.

वस्तुएं	लागत मानक*	सहायता का पैमाना
(ख) पावर टिलर (8 बीएचपी से अधिक)	₹ 1.50 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 0.60 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 0.75 लाख प्रति इकाई तक सीमित
(iii) ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) संचालित यंत्र		
(क) बुवाई के लिए खेत तैयार करना	₹ 0.30 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 0.12 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 0.15 लाख प्रति इकाई तक सीमित
(ख) बुआई, रोपाई, कटाई और खुदाई उपकरण	₹ 0.30 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 0.12 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 0.15 लाख प्रति इकाई तक सीमित
(ग) प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन	₹ 0.70 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 0.28 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 0.35 लाख प्रति इकाई तक सीमित
(iv) स्वचालित बागवानी मशीन	₹ 2.50 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रति इकाई तक सीमित। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला किसानों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अधिकतम ₹ 1.25 लाख प्रति इकाई तक सीमित

* लागत मानक सूचक है तथा सब्सिडी की गणना के लिए लागत की अधिकतम सीमा देखें।

Item	Cost Norms*	Pattern of Assistance
b) Power Tiller (8 BHP & above)	1.50 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 0.60 lakh/unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 0.75 lakh/ unit.
iii) Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) driven equipments		
a) Land development, tillage and seed bed preparation	0.30 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 0.12 lakh per unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 0.15 lakh/ unit.
b) Sowing, planting reaping and digging equipments	0.30 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 0.12 lakh/unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 0.15 lakh/ unit.
c) Plastic mulch laying machine	0.70 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 0.28 lakh/unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 0.35 lakh/ unit.
iv) Self-propelled Horticulture Machinery	2.50 lakh per unit	Subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh/unit for General Category Farmers, and in the case if SC,ST, Small & Marginal Farmers, Women Farmers and beneficiaries in NE states, subject of a maximum of Rs. 1.25 lakh/ unit.

* Cost norms are indicative and refer to upper limit of cost for calculation of subsidy

18. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)

क्र.सं.	मशीन का नाम	सहायता का पैमाना	शामिल	
			चावल	गेहूं
1.	2.	3.	4.	5.
	(क) ड्रम सीडर	₹ 1,500/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(ख) ज़ीरो टिल सीड ड्रिल	₹ 15,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	–	√
	(ग) सीड ड्रिल	₹ 15,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	√
	(घ) रोटावेटर	₹ 35,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(च) स्वयं चालित धान की पौध लगाने की मशीन	₹ 75,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(छ) पम्प सैट	₹ 10,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	√
	(ज) कोनो–वीडर	₹ 600/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(झ) पावर चालित नैप सैक स्प्रेयर	₹ 3,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(ट) पावर चालित वीडर	₹ 15,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(ठ) धान थ्रेशर	₹ 40,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–
	(ड) बहु–फसली थ्रेसर	₹ 40,000/– प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	√
	(ढ़) लेज़र लैण्ड लेवलर (किसानों के समूह के लिए)	₹ 1.50 लाख प्रति मशीन अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	√	–

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी उद्यान अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)

18. Bringing Green Revolution to Eastern India (BGREI)

S. No.	Name of Interventions	Pattern of Assistance	Interventions to covered	
			Rice	Wheat
1	2	3	4	5
	(a) Drum Seeder	Rs. 1500/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(b) Zero Till Seed Drill	Rs. 15000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	-	√
	(c) Seed Drill	Rs. 15000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	√
	(d) Rotavator	Rs. 35000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(e) Self Propelled Paddy Transplater	Rs. 75000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(f) Pump-set	Rs. 10000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	√
	(g) Cono-weeder	Rs. 600/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(h) Manual Sprayer	Rs. 600/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(i) Power Knap Sack Sprayer	Rs. 3000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(j) Power Weeder	Rs. 15000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(k) Paddy Thresher	Rs. 40,000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-
	(l) Multi-crop Thresher	Rs. 40,000/- per machine or 50% of the cost whichever is less	√	√
	(m) Laser Land Leveller (For a group of farmers)	Rs. 1.50 lakh per machine or 50% of the cost whichever is less	√	-

Whom to Contact ?

District Agriculture Officer / District Horticulture Officer / Project Director ATMA

9

किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण

क्या करें ?

- आत्मा के माध्यम से संचालित विस्तार सुधार योजना के अंतर्गत प्रखंड व निचले स्तर पर कृषि विस्तार के लिए 24,000 / प्रति ब्लॉक (1बीटीएम एवं 3एटीएम) विस्तार समर्पित कर्मियों की नियुक्ती का प्रवधान है। किसान अपने लिए या अपने क्षेत्र के लिए उचित तकनीकी जानकारी सरकार के किसी भी कार्यक्रम/योजना के बारे में अथवा कृषि संबंधी अन्य जानकारी के लिए इन विस्तार कर्मियों या राज्य सरकार के कृषि व संबद्ध विभागों के कर्मियों से संपर्क करें।
- फार्म स्कूल अथवा प्रदर्शन प्लाट की स्थापना करें अथवा भाग लें।
- वेबसाईट से सटीक सूचना प्राप्त करें और हस्त चालित यन्त्र से अपने खेत को पंजीकृत कराएं।
- कृषि से संबंधित नवीनतम ज्ञान व सूचना प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन (18 क्षेत्रीय केन्द्र, एक राष्ट्रीय केन्द्र एवं 180 कम क्षमता के ट्रांसमीटर), एफएम रेडियों स्टेशनों (96) अथवा निजी चैनलों पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।
- किसान काल सेंटर/विशेषज्ञों के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नज़दीकी किसान काल सेंटर टोल मुफ्त नं. (1800–180–1551) से साल के 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच संपर्क कर सकते है।
- कृषि में निर्धारित योग्यताधारी छात्र दो माह का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके 36% अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों/महिलाओं के लिए 44%) के साथ बैंक ऋण की सहायता से एग्री–क्लीनिक/एग्री–बिज़नेस केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं।
- प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित भ्रमण यात्रा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें।
- मोबाइल पर बिना इंटरनेट के भी वेबसाइट द्वारा अनुदेशात्मक एसएमएस मोड से चयनित सूचना एवं सेवाएं प्राप्त करें।
- स्थानीय सूचना/जानकारी (कृषि कार्य निर्देश, डीलरों की सूची, फसल संबंधी सलाह आदि) प्राप्त करने के लिए सीधे अथवा इंटरनेट कैफे/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान पोर्टल देखें। किसान काल सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के लिए 51969 या 9212357123 पर एसएमएस (किसान पंजीकरण < अपना नाम >,< राज्य के पहले चार अक्षर >,< जिला के प्रथम चार अक्षर >,< ब्लाक के प्रथम चार अक्षर लिखकर) किसान स्वयं को पंजीकृत करा कर एसएमएस पोर्टल का लाभ प्राप्त कर सकते है।

9

TRAINING AND EXTENSION FOR FARMERS

What to do?

- 24,000 @ per block (1 BTM+ 3ATM) Extension functionaries dedicated for agricultural extension are being provided at the Block level and below, under the Extension Reforms scheme being implemented through ATMA. Contact them or any other functionary of the State Government in agriculture and allied departments to get answers for your queries, information about any Programme/ Scheme and appropriate technologies for the area or individual farmer.
- Set up or participate in Farm School or Demonstration Plot.
- Get exact information from the web and get your farm registered through hand-held device.
- Tune in to agriculture related programmes on Doordarshan (18 Regional, 1 National, 180 Low Power Transmitters), FM Radio Stations (96) kisan channel or even some private channels to get latest knowledge and information.
- Contact the nearest Kisan Call Centre (KCC) on toll free number 1800-180-1551 for answers to your specific queries through the KCC agents or through senior experts from 6 AM to 10 PM on all 365 days in a year.
- Students with agriculture qualification can get 2 months training free of cost and can establish Agri-Clinic/Agri-Business Centre with the help of bank loan alongwith36% Subsidy (44% in case of SC/ST/ North East and Hill Regions/Women).
- Participate in exposure visits and trainings for progressive farmers.
- Get selected information & services from the web through interactive SMS (USSD) without internet on your mobile.
- Access Farmers' Portal directly or through an Internet Kiosk/a Common Service Centre to get location specific information (including package of practices, list of dealers, crop advisories etc.) Benefit from SMS Portal for Farmers by getting registered through Kisan Call Centre or Common Service Centre or Pull SMS (KISAAN REG <Your Name>,<first four characters of State>,<first four characters of District>,<first four characters of block>) at 51969 or 9212357123

क्या पायें ?

क : किसानों की प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
1.	50–150 कृषकों के समूह को बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण.	₹ 15,000/– प्रति समूह	बीज ग्राम कार्यक्रम (एनएमएईटी)
2.	50–150 कृषकों के समूह को बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण.	₹ 15,000/– प्रति प्रशिक्षण क) बीज की फसल की बुवाई के समय : बीज उत्पादन तकनीक, अलगाव दूरी, बुवाई पद्धति एवं अन्य कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण। ख) फसल में फूल आने के समय। ग) फसल कटाई के बाद एवं बीज प्रसंस्करण के समय।	ग्राम बीजक कार्यक्रम के जरिए तिलहनों, दलहनों, चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणिक बीज का उत्पादन।
3.	मान्यता प्राप्त संस्थानों में किसानों का प्रशिक्षण (वजीफा, आवास, खानपान एवं आने–जाने का परिवहन लागत किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा)	प्रति किसान ₹ 5200/– प्रति माह	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी प्रबंधन
4.	किसानों के लिए प्रशिक्षण	30 किसानों के बैच को 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षण ₹ 24,000/– (₹ 400/–प्रति किसान प्रति दिन की दर से)	एनएमओओपी
5.	किसानों के समूह लिए पौध संरक्षण उपायों पर प्रशिक्षण	क) एनजीओ/निजी संस्थानों के लिए प्रति किसान खेत पाठशाला ₹ 29,200/– ख) राज्य सरकार के संस्थानों के लिए ₹ 26,700/–	पौध संरक्षण स्कीम
6.	विभिन्न कृषि मशीनों एवं उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव, प्रचालन एवं चयन तथा कटाई पश्चात प्रबंधन	₹ 4,000/– प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह	कृषि मशीनीकरण संबंधी उप मिशन (एसएमएएम)

What You Can Get?

A : Assistance for Training & Capacity Building of Farmers

S.No.	Type of Assistance	Pattern of Assistance for the activity	Scheme/ Component
1.	Training of groups of 50-150 farmers on seed production and seed technology aspect.	Rs. 15,000/- per group	Seed Village Programme (SMSP- NMAET)
2.	Assistance for training on seed production and seed technology for a group of 50 to 150 farmers.	Rs. 15,000 per training (i) At the time of sowing of seed crop: training on seed production technique, isolation distance, sowing practices and other agronomic practices. (ii) At the time of flower initiation stage of the crop. (iii) After harvest and at the time of seed processing	Certified seed production of oilseeds, pulses, fodder and green manure crops through Seed Village Programme, SMSP-NMAET
3.	Training of Farmers in recognized institutes (stipend, boarding, lodging and to & fro transportation cost would be provided to farmers).	Rs. 5200/- per farmer per month	Post Harvest Technology Management
4.	Farmers' training	Rs. 24,000/- per training for 2 days for 30 farmers per batch (@ Rs. 400/- per farmer per day).	NMOOP
5.	Training on plant protection measures to group of 40 farmers	i) Rs. 29,200/- per Farmer Field School of NGOs/Private Bodies ii) Rs. 26,700/- in case of state govt. organizations.	Plant Protection Scheme
6.	Training on Repair, Maintenance, Operation and selection of various Agricultural Machinery & Equipments and Post Harvest Management	Rs. 4000/- per person per week	Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
7.	सब्जी उत्पादन व संबंधित विषयों पर किसानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण	₹ 1500/– प्रति किसान प्रति प्रशिक्षण (परिवहन व्यय अतिरिक्त)	शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती (वीआईयूसी)
8.	15–20 कृषकों के समूहों /कृषक संगठनों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय संस्थाओं तथा संग्राहकों से जोड़ना	तीन वर्षों तक विस्तारित तीन किस्तों में ₹ 4075/– प्रति किसान	शहरी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती (वीआईयूसी)
9.	ग्रामीण भण्डारण योजना हेतु किसानों में जागरुकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर द्वारा 3 दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम	₹ 30,000/– प्रति क्रार्यक्रम	ग्रामीण भण्डारण योजना
10.	किसानों के लिए अंतर्राज्य प्रशिक्षण (50 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	₹ 1250/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एनएमएईटी), एनएचएम/एचएमएनईएच, एमआईडीएच के अंतर्गत उपस्कीम
11.	किसानों के लिए राज्य के अन्दर प्रशिक्षण (100 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	₹ 1000/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एनएमएईटी)
12.	किसानों के लिए जिले के अन्दर प्रशिक्षण (1000 मानव दिवस प्रति प्रखंड)	आवासीय प्रशिक्षण में ₹ 400/– प्रति किसान प्रतिदिन जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है; अन्यथा ₹ 250/– प्रति किसान प्रतिदिन	आत्मा योजना (एनएमएईटी), एनएचएम /एचएमएनईएच एमआईडीएच के अंतर्गत उप स्कीम
13.	कृषि प्रदर्शन (125 फसल प्रदर्शन प्रति ब्लॉक)	₹ 4000/– प्रति फसल प्रदर्शन प्लाट (0.4 हेक्टेयर)	आत्मा योजना (एनएमएईटी)
14.	किसान पाठशाला (फसल की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर प्रति मौसम 25 किसानों को प्रशिक्षण	₹ 29,414/– प्रति किसान पाठशाला	आत्मा योजना (एनएमएईटी)
15.	7 दिन का अर्न्तराज्यीय भ्रमण (5 किसान प्रति ब्लॉक)	₹ 800/–प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा योजना (एनएमएईटी)

S.No.	Type of Assistance	Pattern of Assistance for the activity	Scheme/ Component
7.	2 days training of farmers on Vegetable Production and Related Areas	Rs.1500/- training/ farmer excluding transport	Vegetable Initiative for Urban Clusters(VIUC)
8.	Promotion of Farmers' Associations/ Groups of 15-20 farmers and tie up with Financial Institutions and Aggregators	Rs. 4075/- per farmer in three installments spread over 3 years	VIUC
9.	Organization of awareness programme for the farmers on the Gramin Bhandaran Yojana by National Institute of Agricultural Marketing (NIAM),Jaipur (for 3 days duration)	Rs. 30,000/ programme	Gramin Bhandaran Yojana
10.	Training of farmers outside the state upto 50 man-days / block	Rs. 1250/ farmer per day which includes transportation, boarding and lodging of farmers	ATMA Scheme(NMAET), Sub schemes NHM/ HMNEH under MIDH
11.	Training of farmers within the State(100 man-days / block)	Rs. 1000 /- per farmer per day which includes transportation, boarding and lodging of farmers	ATMA Scheme (NMAET)
12.	Training of farmers within the district (1000 man-days per block)	Rs.400/- farmer per day which includes transportation, boarding and lodging of farmers for residential training; otherwise, Rs. 250 /- per farmer per day if training is not residential	ATMA Scheme(NMAET), Sub schemes NHM/ HMNEH under MIDH
13.	Organization of demonstrations (125 demonstrations per block)	Upto Rs. 4000/ - per demonstration plot (0. 4 hectares)	ATMA Scheme (NMAET)
14.	Farm School (Training to 25 farmers per season at six critical stages of crop).	Rs. 29,414 /- per Farm School	ATMA Scheme (NMAET)
15.	Exposure Visit of farmers outside the state for 7 days (5 farmers per block)	Rs.800/- farmer per day which includes transportation, boarding and lodging of farmers	ATMA Scheme (NMAET)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
16.	5 दिन का राज्य के अन्दर भ्रमण (25 किसान प्रति ब्लॉक)	₹ 400/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी), के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच एमआईडीएच उप स्कीम
17.	3 दिन का जिला स्तर का प्रशिक्षण भ्रमण (100 किसान प्रति ब्लॉक)	₹ 300/– प्रतिदिन/किसान जिसमें परिवहन, खाने–पीने व रहने का खर्च शामिल है	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
18.	क) किसान समूहों का क्षमता एवं कौशल विकास व अन्य सहयोगी सेवाओं के लिए (प्रति ब्लॉक 20 समूहों के लिए) ख) आमदनीजनक कार्यों के लिए इन समूहों को एक मुश्त राशि ग) महिलाओं के खाद्य सुरक्षा समूह (प्रति ब्लाक 2 समूह)	₹ 5,000/– प्रति समूह ₹ 10,000/– प्रति समूह ₹ 10,000/– प्रति समूह	आत्मा स्कीम (एनएमएईटी)
19.	मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं द्वारा चुने हुए गांवों में फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी)	₹ 20,000/– प्रति प्रदर्शन	राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन परियोजना
	फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी)	आईसीएआर और इक्रीसॅट हैदराबाद को 100% सहायता, जो मूंगफली के लिए अधिकतम ₹ 8,500/– प्रति हेक्टर; सोयाबीन, रेपसीड, सरसों, सूरजमुखी के लिए अधिकतम ₹ 6,000/– प्रति हेक्टर; तिल, कुसुम, तिल्ली, अलसी और एरंड के लिए ₹ 5000/– प्रति हेक्टर और आईसीएआर द्वारा विकसित मूंगफली में पोलीथीन मल्च तकनीकी फ्रंटलाइन प्रदर्शन के लिए ₹ 12,500/– प्रति हेक्टर सहायता होगी।	एनएमओओपी
	आईसीएआर संस्थानों द्वारा आयोजित फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी)	प्रत्येक फसल के अंतर्गत एक किसान को एक हेक्टेयर क्षेत्र का अधिकतम एक फसल प्रदर्शन स्वीकार्य होगा। फ्रंटलाइन प्रदर्शन के प्लाट का आकार एक हेक्ट. होगा परंतु 0.4 हेक्टर से कम नहीं।	

S.No.	Type of Assistance	Pattern of Assistance for the activity	Scheme/ Component
16	Exposure visit of farmers within the State for 5 days (25 farmers per block)	Rs.400 /- per farmer per day which includes transportation, boarding and lodging of farmers	ATMA Scheme (NMAET), Sub schemes NHM/ HMNEH under MIDH
17.	Exposure Visit of farmers within the District not exceeding 3 days (100 farmers per block)	Rs.300/ farmer/ day which includes transportation, boarding and lodging of farmers	ATMA Scheme (NMAET)
18.	a) Capacity building, skill development of farmers' groups and for other support services(for 20 groups per block) b) Seed Money to these groups as one-time grant for taking up income generating activity c) Food Security Groups (2 groups/block)	Rs. 5000 per group Rs. 10,000/group Rs. 10,000/group	ATMA Scheme (NMAET)
19.	Front Line Demonstrations (FLD) in selected villages by Soil Testing Laboratories (STLS)	Rs. 20,000/- per demonstration	National Project on Management of Soil Health & Fertility
	Front Line Demonstration (FLD)	100% of assistance to ICAR and ICRISAT with a ceiling of Rs. 8,500/- per ha for groundnut, Rs. 6,000/- per ha for soyabean, rapeseed, mustard, sunflower, Rs. 5,000/-per ha for sesame, safflower, niger, linseed and castor and Rs. 12,500/-per ha for FLD on polythene mulch technology in Groundnut by ICAR.	NMOOP
	Front Line Demonstration (FLD) conducted by ICAR Institutes	Maximum of one demonstration will be allowed to one farmer for an area of one hectare under each crop. Size of the FLD plot will be one hectare but not less than 0.4 hectare.	

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
	(i) चावल, गेहूं एवं दलहन (ii) मोटा अनाज (iii) कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से दलहन का फ्रंट लाइन फसल प्रदर्शन (एफएलडी)	₹ 7,500/– प्रति हेक्टर ₹ 5,000/– प्रति हेक्टर ₹ 7,500/– प्रति हेक्टर	एनएफएसएम एनएफएसएम एनएफएसएम
20.	राज्यों द्वारा बेहतर पैकेज पद्धति का प्रदर्शन (i) चावल एवं गेहूं (ii) दलहन (iii) मोटा अनाज केवल राज्यों द्वारा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन (i) चावल (ii) गेहूं एवं दलहन	 ₹ 7,500/– प्रति हेक्टर ₹ 75,00/– प्रति हेक्टर ₹ 5,000/– प्रति हेक्टर ₹ 12,500/– प्रति हेक्टर ₹ 12,500/– प्रति हेक्टर	 एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई एनएफएसएम एनएफएसएम एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई एनएफएसएम
21.	वैकल्पीय व सघन तकनीकी ज्ञान का खेत स्तरीय प्रदर्शन (जुट फसल)	₹ 20,000/– प्रति प्रदर्शन (आदान के लिए ₹ 17000/– और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 3,000/–)	– तदैव –
22.	उत्पादन तकनीकों/अन्तरफसल का खेत स्तरीय प्रदर्शन	₹ 8,000/– प्रति हेक्टर (आदान के लिए ₹ 7,000/– और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/–)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व्यावसायिक फसल (जूट)
23.	एकीकृत फसल प्रबंधन का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	₹ 7,000/– प्रति हेक्टर (आदान के लिए ₹ 6,000/– और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/–)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, व्यवसायिक फसल (कपास)
24.	देशी एवं ईएलस कपास और ईएलस कपास बीज उत्पादन का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	₹ 8,000/– प्रति हेक्टर (₹ 7,000/– आदान के लिए और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/–)	– तदैव –
25.	अंतरफसल (0.4 हे. आकार) का फ्रंट लाइन प्रदर्शन	₹ 7,000/– प्रति हेक्टर (₹ 6,000/– आदान के लिए और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/–)	– तदैव –

S.No.	Type of Assistance	Pattern of Assistance for the activity	Scheme/ Component
	(i) Rice, Wheat and Pulses	Rs. 7500/- per ha	NFSM
	(ii) Coarse Cereal	Rs. 5000/- per ha	NFSM
	2. Front Line Demonstration (FLD) of Pulses through KVKs	Rs. 7500/- per ha	NFSM
20.	Demonstrations of Improved Packages of Practices by states		
	(i) Rice & Wheat	Rs. 7500/- per ha	NFSM &BGREI
	(ii) Pulses	Rs. 7500/- per ha	NFSM
	(ii) Coarse Cereal	Rs. 5000/- per ha	NFSM
	Cropping system based demonstrations by states only		
	(i) Rice	Rs. 12500/- per ha	NFSM &BGREI
	(ii) Wheat & Pulses	Rs. 12500/- per ha	NFSM
21.	Field level Demonstration on alternative retting technologies (Jute Crop)	Rs. 20000 per demonstration (Rs. 17,000/- for inputs and Rs. 3000/- for contingency)	NFSM: Commercial crop Jute
22	FLD on production technologies / intercropping (Jute Crop)	Rs. 8000 per ha. (Rs. 7000 for inputs &Rs. 1000 for contingency	NFSM :Commercial crop Jute
23.	Front Line Demonstration on ICM (Integrated Crop Management)	Rs. 7000 per ha. (Rs. 6000 for inputs and Rs. 1000 for contingency)	NFSM : Commercial Crop Cotton
24.	Front Line Demonstration on Desi and ELs Cotton and ELs Cotton Seed Production	Rs. 8000 per hectare (Rs. 7000 for inputs and Rs. 1000 for contingency)	NFSM : Commercial Crop Cotton
25.	Front line Demonstration on intercropping (0.4 ha size)	Rs. 7000 per hectare (Rs. 6000 for inputs and Rs. 1000 for contingency)	NFSM : Commercial Crop Cotton

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	कार्य के लिए सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
26.	सघन पौध रोपण पद्धति का परीक्षण	₹ 9,000/- प्रति हेक्टर (₹ 8,000/- आदान के लिए और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/-)	– तदैव –
27.	गन्ने के साथ अंतरफसल तथा सिंगल बड चिप तकनीक का प्रदर्शन	₹ 8,000/- प्रति हेक्टर (आदान के लिए ₹ 7,000/- और आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 1,000/-)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, व्यावसायिक फसल गन्ना
28.	फसल आधारित प्रशिक्षण (4 सत्र)	₹ 35,000/- प्रति सत्र अथवा ₹ 14,000/- प्रति प्रशिक्षण	एनएफएसएम एवं बीजीआरईआई
29.	ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि मशीनों के चयन, प्रचलन और रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण।	एक से 6 सप्ताह तक की अवधि के लिए उपयोगकर्ता स्तर तक के पाठ्यक्रम के लिए साधारण श्रेणी से आने–जाने के किराये सहित प्रति किसान ₹ 1,200/- वजीफा एवं निःशुल्क आवास की व्यवस्था।	प्रशिक्षण, जांच और प्रदर्शन के जरिए कृषि मशीनों को प्रोत्साहन एवं सृदृढ़ीकरण।
30.	क्षेत्रों में ब्लॉक प्रदर्शन	मूंगफली के लिए ₹ 7500/- प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन के लिए ₹ 4500/- प्रति हेक्टेयर, सरसों, तिल, अलसी और नाइजर के लिए ₹ 3000/- प्रति हेक्टेयर और सूरजमुखी के लिए ₹ 4000/- प्रति हेक्टेयर	एनएमओओपी
31.	किसानों का प्रशिक्षण जिसमें क्षेत्र प्रदर्शन, एकीकृत कृषि, जलवायु परिवर्तन, अनुकूलता, मिट्टी, पानी तथा फसल प्रबंधन की उत्तम कृषि पद्धतियों के आधार पर क्षेत्र दौरों के जरिए किसानों एवं अंशधारकों (स्टेकहोल्डरों) का क्षमता निर्माण	20 अथवा अधिक प्रतिभागियों के एक सत्र के लिए ₹ 10,000/- प्रति प्रशिक्षण। 50 प्रतिभागियों अथवा अधिक के एक समूह के लिए ₹ 20,000/- प्रति फसल प्रदर्शन।	एनएमएसए
32.	खेत पर जल प्रबंधन/माइक्रो सिंचाई के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	कम से कम 2–3 दिन की अवधि के 30 प्रतिभागियों के लिए ₹ 50,000/- प्रति प्रशिक्षण	एनएमएसए
33.	मृदा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन	खेत प्रदर्शन सहित 20 या अधिक किसानों के लिए ₹ 10,000/- प्रति प्रशिक्षण सत्र, प्रति फ्रंट लाइन खेत फसल प्रदर्शन के लिए ₹ 20,000/-	एनएमएसए

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)

S.No.	Type of Assistance	Pattern of Assistance for the activity	Scheme/ Component
26	Trials on High Density Planting System	Rs. 9000 per ha (Rs. 8000 for inputs and Rs. 1000 for contingency)	NFSM : Commercial Crop Cotton
27	Demonstration on intercropping and single bud chip technology with sugarcane.	Rs. 8000 per ha. (Rs. 7000 for inputs and Rs. 1000 for contingency).	NFSM : Commercial crop Sugarcane.
28.	Crop Based Training of 4 session	Rs. 3500/- per session or Rs. 14000/-per training	NFSM &BGREI
29.	Training on selection, operation and maintenance of tractors and other agricultural machines	Stipend of Rs. 1200/ per farmer along with to and fro charges in ordinary class and also free lodging for user level course for the duration of one week to six weeks	Promotion and Strengthening of Agricultural Machines through Training, Testing and Demonstration
30.	Block demonstration on fields	Rs. 7500/- per ha. for groundnut, Rs. 4500/- per ha. for Soyabean, Rs. 3000/- per ha for Rapeseed, Mustard, Seasame, Linseed & Niger and Rs. 4000/- for Sunflower.	NMOOP
31.	Training to farmers including field demonstrations; Capacity building of stakeholders/farmers through field visits on concept of Integrated Farming, Climate change adaptation, Good Agriculture Practices on soil, water and crop management.	Rs. 10,000 per training session for 20 participants or more. Rs. 20,000 per demonstration for a group of 50 participants or more.	NMSA
32.	Training programme for On-Farm Water Management/Micro Irrigation	Rs. 50,000 per training programme for 30 participants for a duration of at least 2-3 days	NMSA
33.	Training and Demonstration on Soil Health	Training to farmers including field demonstrations; Rs. 10,000/-per training session for 20 participants or more. Rs. 20,000/-per Front Line Field Demonstration	NMSA

Whom to Contact?

District Agriculture Officer / District Horticulture Officer / Project Director ATMA

कौशल विकास कार्यक्रम

मुख्य विशेषताएं

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कुशल मानव श्रम का सृजनकरने के लिए ग्रामीण युवा और किसानों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षिण पाठ्यक्रम
- 200 घंटे से अधिक अवधि का पाठ्यक्रम जिससे पारिश्रमिक रोजगार तथा स्व–स्वारोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा विकसित कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) को डीएसीएंडएफडब्ल्यू तथा आईसीएआर द्वारा अपनाया जा रहा है।
- वर्ष 2017–18 में 200 घंटे की अवधि का कौशल विकास पाठ्यक्रम चयनित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), राज्य कृषि विश्व विद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों और डीएसीएंडएफडब्ल्यू के राज्य स्तर के संस्थानों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- शिक्षित और प्रमाणित प्रशिक्षिकों द्वारा प्रशिक्षण।
- भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा तृतीय पक्ष मुल्यांकन।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा प्रमाणन

सहायता की पद्धति

- यह सभी पाठ्यक्रम ग्रामीण युवा और किसानों के लिए निशुल्क है।
- अभ्यर्थियों का चयन संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों (केवीके/कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों तथा डीएसीएंडएफडब्ल्यू के अधीन संस्थानों) द्वारा किया जाता है।

किससे संपर्क करें ?

- जिला स्तर पर चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यक्रम समन्वयक।
- भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) – www.asci.india.com

Skill Development Programmes

Salient Features

- Skill Development training courses for rural youth and farmers to create skilled manpower in the agriculture & allied sectors.
- 200 hours and more duration courses leading to wage employment and self employment.
- Qualification Packs (QPs) for Skill Training Courses developed by agriculture Skill Council of India (ASCI) being adopted by the DAC&FW and ICAR.
- In 2017-18, skill development courses of 200 hours duration (25-30 days duration) to be conducted through selected Krishi Vigyan Kendra (KVKs), State Agricultural Universities, ICAR institutes and National Level institutes of DAC&FW.
- Training by qualified & certified trainers.
- Third party assessment by the Agriculture Skill Council of India (ASCI).
- Certification by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MoA & FW) and Agriculture Skill Council of India (ASCI).

Pattern of Assistance :

- All these courses are free of cost for rural youth and farmers.
- Selection of candidates is made by the concerned training institutes (KVKs/Agricultural Universities and ICAR Institutes and Institutes under DAC&FW)

Whom to Contact ?

- Programme Coordinator of selected Krishi Vigyan Kendras at district level.
- Agriculture Skill Council of India (ASCI) – www.asci.india.com

10

कृषि ऋण

क्या करें ?

- किसान अपने आपको सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
- किसानों की फसल ऋण व सावधि ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए यह सुविधा देश भर में फैले वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध है।
- बैंक ऋण का समय से भुगतान सुनिश्चित करें।
- किसानों को अपने ऋण का समुचित ब्यौरा रखना चाहिए।
- बैंक ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करें, जिसके लिए ऋण लिया गया है।

क्या पायें ?

क : किसानों को ऋण सुविधा

क्र.सं.	ऋण सुविधा	सहायता का पैमाना
1.	ब्याज सहायता समर्थक/प्रतिभूति की आवश्यकता रहित ऋण	प्रति वर्ष 7% ब्याज की दर से ₹ 3 लाख तक फसल ऋण। सही समय पर ऋण चुकता करने पर किसानों के ब्याज पर आर्थिक सहायता के रुप में 4% से 3% तक ब्याज पर छूट। एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए किसी समर्थक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है
2.	किसान क्रेडिट कार्ड	किसान फसल ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। ऋण सीमा किसान द्वारा जोती गई जमीन और बोई फसल पर निर्धारित की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड 3 से 5 साल के लिए वैध होता है। किसानों की दुर्घटना में मृत्यु/अशक्तता को कवर किया जाता है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल ऋण को भी कवरेज दिया जाता है।
3.	निवेश ऋण	सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, रोपण, बागवानी एवं कटाई उपरांत प्रबंधन इत्यादि में निवेश के लिए भी किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध है।

10

AGRICULTURAL CREDIT

What to do?

- To save themselves from the clutches of money lenders, farmers can avail loan facility from banks.
- Loan facility is available through a large network of Commercial Banks, Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Credit Institutions in the country to fulfill the crop loan and term loan needs of the farmers.
- Ensure timely repayment of bank loan.
- Proper record of loan should be maintained by farmer.
- Utilize the bank loan for actual purpose for which bank loan is taken.

What You Can Get?

A: Credit Facility to Farmers

S.No.	Credit Facility	Quantum of Assistance
1	Interest Assistance Collateral/ security-free loan	Crop loan upto Rs.3 lakhs at 7% rate of interest. This interest rate becomes 4% due to 3% interest subvention incentives provided to those farmers who repay crop loan on time No need of collateral security for farm loan up to Rs.1 lakh
2	Kisan Credit Card	Farmers can avail crop loan through Kisan Credit Card. Loan /credit limit is fixed on the basis of crop sown and area under cultivation. Kisan Credit Cards are valid for 3-5 years. Farmers are also provided risk coverage in the event of accidental death/disability. Crop coverage loans are covered under the Crop Insurance Scheme.
3	Investment Loan	Loan facility to the farmers is available for investment purposes in the areas viz. Irrigation, Agricultural Mechanization, Land Development, Plantation, Horticulture and Post-Harvest Management

स्व: कृषि जिन्सों के लिए मूल्य नीति - न्यूनतम सहायता मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत तिलहनों, दलहनों एवं कपास की खरीद के लिए मूल्य सहायता योजना. (पीएसएस)

स्कीम का नाम	उद्देश्य	लाभार्थी	क्रियान्वयन एजेंसी	स्कीम के अंतर्गत कवर होने वाले उपज	उत्पादकों को होने वाले लाभ	सहायता का पैमाना
मूल्य समर्थन योजना (पी एसएस)	प्रति वर्ष रबी एवं खरीफ दोनों फसल मौसम में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनत समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे मूल्य गिरने की स्थिति में तिलहन, दलहन एवं कपास उत्पादकों को लाभकारी / सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराना।	देश के सभी तिलहन, दलहन एवं कपास उत्पादक	(i) केन्द्रीय एजेंसियां : नैफेड एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) (ii) राज्य एजेंसियां : राज्य सहकारी विपणन / उपज संघ और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य स्तर पर नियुक्त कोई अन्य संगठन (iii) प्राथमिक एजेंसियां : ग्रामीण स्तर पर सहकारी विपणन समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी).	अरहर (तुवर) मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली छिलकेवाली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, तिल्लीबीज, चना, मसूर (लेटिंल) रेपसीड / सरसों, कुसुम, तोरिया, कोपरा.	मूल्य समर्थन योजना के प्रचालन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी उपज विशेष का बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने की स्थिति में किसान को न्यूनतम गारंटी मूल्य मिल सके।	(i) किसान : किसी उपज विशेष का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर किसानों को पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान। (ii) केन्द्रीय एजेंसियां : केन्द्रीय एजेंसियों को हुई हानि की भरपाई भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा कोपरा की खरीद पर 2.5% की दर से और तिलहन, दलहनों एवं कपास के लिए 1.5% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान भी केन्द्रीय एजेंसियों को किया जाता है। (iii) राज्य एवं प्राथमिक एजेंसियां : स्टोर से भण्डारण तक हुए सभी व्यय मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रचलित मूल्य में हुए अंतर का भी भुगतान राज्य एजेंसिंयों को भारत सरकार / केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गोदाम के बाहर 1: सेवा शुल्क का भी भुगतान किया जाता है।

B : Price Policy for Agricultural Commodities – Price Support Scheme (PSS) for Procurement of Oilseeds, Pulses & Cotton under Minimum Support Price (MSP)

Name of the Scheme	Objectives	Beneficiary	Implementing Agency	Commodities covered under Scheme	Likely Benefit to the growers	Pattern of Assistance
Price Support Scheme (PSS)	To provide remunerative/ guaranteed prices to the oilseeds, pulses & cotton growers in case of price fall below the Minimum Support Price (MSP) declared by Government of India in both crop seasons i.e. Rabi & Kharif every year.	All the oilseeds, pulses & cotton growers of the country.	(i) Central Agencies - NAFED & Small Farmers Agri-business Consortium (SFAC). (ii) State Agencies – State Cooperative Marketing/ Commodities Federations and any other organization appointed by the Central Agencies at State Level. (iii) Primary Agencies – Cooperative Marketing Societies, Farmer Producer Organizations (FPO), Farmer Producer Companies (FPC) at village level.	Arhar (Tur), Moong, Urad, Cotton, Groundnut in Shell, Sunflower Seed, Soyabean, Sesamum, Nigerseed, Gram, Masur (Lentil), Rapeseed/Mustard, Safflower, Toria, Copra	Through Price support Scheme (PSS) operations, farmers are assured to get minimum guaranteed price in case the market price of that particular commodity falls below the MSP	(i)Farmers– MSP for the specific commodity is fully paid to the farmers, in case the prices rule below the MSP. (ii) Central Agencies – Losses incurred to the central agencies are fully reimbursed by the Government of India. Besides, service charges @ 2.5% on the procurement cost for Copra and 1.5% for oilseeds, pulses & cotton are also paid to the central agencies. (iii) State /Primary Agencies – The difference between MSP and Ruling Price along with all expenses up to the storage points are paid to the State agencies by Central agencies/Government of India. Besides, 1% service charge at the ex-godown cost is also paid.

किससे संपर्क करें ?

1. संयुक्त सचिव (सहकारिता), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली –1.
2. राज्य की राजधानियों में स्थित नैफेड/एसएफएसी के क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सहकारी विपणन/उत्पाद संघ के जिला स्तर के कार्यालय।
4. तहसील स्तर पर सहकारी विपणन समितियों और ब्लाक स्तर पर एफपीओ/एफपीसी।

कब संपर्क करें :

तिलहन/दलहन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा जून और अक्टूबर माह में (वर्ष में दो बार) रबी और खरीफ फसल की बुआई के पूर्व घोषित किए जाते हैं। जिससे किसान इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह निर्णय ले सकें। कटाई के समय किसान, क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कर सकते हैं। यदि बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो वह खरीद प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त प्राधिकारियों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

Whom to Contact:-

1. Joint Secretary (Cooperation), Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
2. Regional Offices of NAFED & SFAC located in State Capitals.
3. District Level Offices of Cooperative Marketing/Commodities Federations.
4. Marketing Cooperative Societies at Tehsil Level and FPOs /FPCs at Block Level.

When to Contact:-

The MSP of oilseeds, pulses & cotton are declared by Government of India in the month of June and October (twice in a year) before the sowing of Rabi & Kharif Crops so that the farmers can take a considered view on sowing these crops. At harvesting time, farmers can compare the market price prevailing in the area with the MSP declared by Government of India and if the market price falls below the MSP, he / she may immediately approach the above mentioned authorities for procurement operations.

11

पौध संरक्षण

क्या करें ?

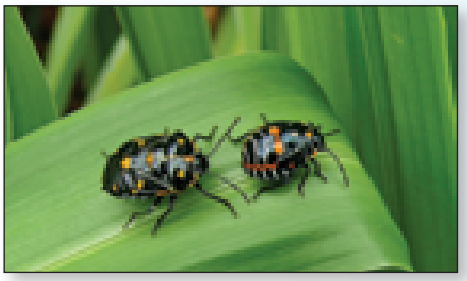

- रासायनिक कीट नाशकों की अपेक्षा जैव कीट नाशकों को प्राथमिकता प्रदान करें।
- कोई भी कीट नाशक प्रयोग करने से पहले कीटों के रोग प्रतिरोधकता अनुपात का पता लगाना चाहिए। समेकित कीट प्रबंधन आधारित कृषि पर्यावरण परिस्थिति (एईएसए) पद्धति विश्लेषण अपनाना चाहिए।
- मुख्य फसल (अर्न्तफसलीय/बार्डर फसलीय) के आस–पास ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो किसान मित्र कीटों को आकर्षित करें जो हानिकारक कीटों से बचाव करें।
- गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करें।
- फसलों की प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें एवं फसल चक्र, अन्तःफसल, ट्रैप क्राप अपनाकर कीट नियंत्रण करें।
- कीटों की निगरानी करने और उन्हें झुंडो में पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप/चिपकने वाली ट्रैप/फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें।
- कीटों जन्तुओं के जैविक नियंत्रण और रोगों के प्रतिरोध के लिए परजीवी कीट जीवों का उपयोग करें।
- यदि ऊपर लिखे हुए उपाय काम न आये तो विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनायें

- रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय बताए गये सभी सुरक्षा निर्देशों को अपनायें।
- कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सुरक्षा के साधन जैसे मास्क, दस्तानें आदि का प्रयोग करें।
- हमेशा छिड़काव हवा की दिशा में करें और अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें।
- कीटनाशकों, पादप रक्षा यंत्रों आदि को बच्चों और पालतू पशुओं की पहुंच से दूर ताला बंद कमरे में रखें।
- कीटनाशक खरीदते समय इनकी पैकिंग व वैधता की तारीख अवश्य देख लें।
- कीटनाशक के प्रकोप से प्रभावित होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें तथा कीटनाशक के डिब्बे व निर्देश पुस्तिका साथ ले जाएं।
- कीटनाशक के लेबल पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही उसका प्रयोग करें।
- कीटनाशक की पर्ची पर लिखी हिदायतों के अनुसार कीटनाशक पात्र को नष्ट करें।

11

PLANT PROTECTION

What to do?

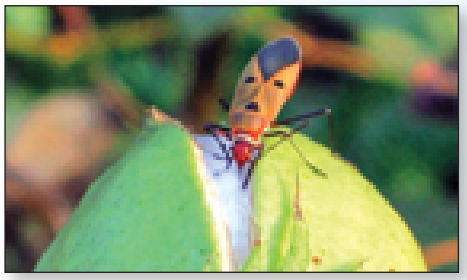

- Bio-pesticides should be given priority over chemical pesticides.
- Pest Defender ratio to be assessed by farmers before using any pesticide. Agro Eco System Analysis (AESA) based Integrated Pest Management should be adopted.
- Grow such crops surrounding/near the main crop (inter cropping/border cropping) which attract farmer friendly insects which can manage/kill harmful insects.
- Resort to deep ploughing during summer season.
- Use pest resistant varieties of crops and manage pests by adopting crop rotation, inter cropping and trap-cropping.
- Use light trap/sticky trap/pheromone trap for monitoring and mass trapping of the pests.
- Use parasitoids and predators for biological control of the insects, pests and antagonists for diseases and bioagents for weed managements.
- Use chemical pesticides only if the above listed measures are not effective, that too as per the recommendation of the experts.

Following precautions should be taken while using pesticides.

- Follow all the prescribed safety precautions while using pesticides.
- While spraying the pesticides, always wear safety gadgets like mask, hand-gloves etc.
- Always spray in the direction of wind and keep yourself safe from the spray drift.
- Always keep pesticides, plant protection equipment etc. under lock and key away from children and pets.
- While purchasing pesticides, you must see the packing and validity date of the chemical.
- In case of any pesticide poisoning, immediately contact a doctor, also carry the empty container and information booklet of the pesticide used.
- Pesticides should be used as per the instructions on the label.
- Disposal of used containers should be as per the instructions given in leaflet.

क्या पायें ?

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
1.	पौध संरक्षण, संगरोधक एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा पूरे देश में फैले अपने 35 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये कार्यक्रम विशेषतः किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–		राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) – पौध संरक्षण एवं पौध संग रोधक से संबंधित उप मिशन (एसएमपीपी)
क.	सीआईपीएमसी के पर्यवेक्षण में किसानों, एनजीओ, कीटनाशक डीलरों के लिए गाँवों, कस्बों और शहरों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम.	₹ 38,600/– प्रति प्रशिक्षण	
ख.	प्रगतिशील किसानों और विस्तार अधिकारियों के लिए सीआईपीएमसी के पर्यवेक्षण में राज्य के संस्थानों में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	₹ 1,52,100/– प्रति प्रशिक्षण	
ग.	विभिन्न केन्द्रीय सीआईपीएमसी केन्द्रों के माध्यम से किसान खेत स्कूलों का आयोजन	₹ 26,700/– प्रति खेत स्कूल	
घ.	कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के माध्यम से किसान खेत पाठशाला का आयोजन	₹ 29,200/– प्रति खेत स्कूल	
2.	आईपीएम, कीट नाशियों, एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन, फर्टीगेशन, पेड़ सुरक्षक इत्यादि के लिए सहायता.	लागत का 50% व अधिकतम ₹ 5000/– प्रति हेक्टेयर	ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार संबंधी विशेष कार्यक्रम
3.	पौध संरक्षण रसायनों, जैव कीट नाशियों/आईपीएम का वितरण	लागत का 50% अथवा ₹ 500/– प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम एवं बीआरआरईआई)

What You Can Get?

S.No.	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme/Component
1.	Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad in Haryana, through its 35 Central IPM Centres, located across the country, organizes various programmes. These programmes are purely being run for the benefit of farmers. These programmes are as follows:		
a.	Two days training programme for farmers, NGOs, pesticide dealers held under the supervision of CIPMC in villages, towns and cities.	Rs. 38,600/- per training	National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)- Sub Mission on Plant Protection and Plant Quarantine (SMPP)
b.	Five days training programme for progressive farmers and extension officers held under the supervision of CIPMC in State-run institutions.	Rs. 1,52,100/- per training programme	
c.	Farmers Field School organized through various Central Integrated Pest Management Centres(CIPMC)	Rs. 26,700/- per field school	
d.	Farmers Field School through Krishi Vigyan Kendras (KVK)	Rs. 29,200/- per field school	
2.	Support for IPM, pesticides, Integrated Nutrient Management, Fertigation, Tree Guard etc.	50% of the cost limited to Rs. 5000 per hectare	Special programme on Oil Palm Area Expansion.
3.	Distribution of plant protection chemicals, bio-pesticides/IPM	Rs. 500 – per ha or 50% of the cost whichever is less	National Food Security Mission (NFSM & BRREI)

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता का पैमाना	स्कीम/घटक
4.	खरपतवार नाशकों का वितरण	लागत का 50 % अथवा ₹ 500/– प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम एवं बीआरआरईआई)
5.	बागवानी फसलों में समेकित कीट प्रबंधन	₹ 1000/– प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर	एमआईडीएच के अंतर्गत एनएचएम/एचएमएनईएच उप स्कीम

पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का विवरण पौध संरक्षण के अंतर्गत अध्याय ''मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी'' और राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयलपाम मिशन का मिनी मिशन –I (तिलहन) के अंतर्गत दिया गया है।

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)

S.No.	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme/Component
4.	Weedicides	Rs. 500 – per ha or 50% of the cost whichever is less	NFSM & BRREI
5.	Integrated Pest Management in Horticultural Crops	Limited to 4 hectares per beneficiary @ Rs. 1000 per hectare.	NHM/HMNEH Sub schemes under MIDH

The Financial Assistance for procurement of Plant Protection Equipment under Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) is given under Chapter 5 "Mechanization & Technology" under Plant Protection Equipment and under Mini –Mission –I (Oilseeds) of National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) .

Whom to Contact ?

District Agriculture Officer / Project Director ATMA

12

सतत कृषि

क्या करें ?

- कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल/फसल पद्धति को बढ़ावा दें।
- पशु पालन, मछलीपालन, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, कृषि वानिकी इत्यादि अपनाकर फसल/फसल–प्रणाली में विविधता लाए।
- चेक डैम, तालाबों, खेत तालाब, उथले/मध्यम तरह के ट्यूबवेलों, कुओं इत्यादि को सिंचाई का साधन बनाएं।
- सिंचाई की प्रभावी पद्धति, भूसमतलीकरण, मेड़बंधी, कंटूर बंडिंग, खाई निर्माण, मल्चिंग, रिज एवं कुंड पद्धति इत्यादि जैसी कम जल प्रयोग और नमी संरक्षण की तकनीकों को अपनाएं।

क्या पायें ?

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत् सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
(क) एकीकृत कृषि पद्धति			
1.	चावल, गेंहू, मोटे अनाज/तिलहन/रेशम/दाल आधारित दो फसलों वाली कृषि पद्धति	आदान लागत का 50%, जो ₹ 10,000/– प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा। अधिकतम देय सहायता, 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)
2.	बागवानी आधारित कृषि पद्धति (पौधरोपण + फसल/फसल पद्धति)	आदान लागत का 50%, जो ₹ 25,000/– प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	– तदैव –
3.	वृक्ष/सील्वीपाश्चरल/इन सीटू/एक्स सीटू गैर इमारती वन्य उत्पादों का इन सिटू संरक्षण (एनटीएफपी) (पौध रोपण. घास/फसल/फसल पद्धति)	आदान लागत का 50%, जो ₹ 15,000/– प्रति हे. तक सीमित होगा। अधिकतम अनुदेय सहायता, 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित होगी।	– तदैव –

12

SUSTAINABLE AGRICULTURE

What to do?

- Promote crop / cropping system suitable to agro–climatic conditions
- Diversify crop / cropping system adopting livestock, fisheries, horticulture, dairy, agro- forestry etc.
- Create source for protective irrigation through check dams, tanks, farm ponds, shallow / medium tube wells, dug wells etc.
- Technologies for improving water use and moisture conservation measures like efficient water application system, land leveling , field bunding , contour bunding , trenches, mulching , ridge and furrow method etc . to be adopted.

What You Can Get?

Assistance under National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)

S.No.	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
A) Integrated Farming System			
1.	Cropping System (CS) with rice, wheat, coarse cereal/oil-seed/ fibre/pulse based two crops.	50% of input cost limited to Rs. 10,000/- per ha with permissible assistance of maximum 2 ha/beneficiary.	National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA)
2.	Horticulture Based Farming System (Plantation + Crops/ Cropping system)	50% of input cost limited to Rs. 25,000/- per ha with permissible assistance of maximum 2 ha/ beneficiary.	-do-
3.	Tree/Silvi-Pastural/in-situ/ex-situ conservation of Non Timber Forest Produce (NTFP) (Plantation + Grass/Crops/Cropping System)	50% of input cost limited to Rs. 15,000/- per ha with permissible assistance of maximum 2 ha/beneficiary.	-do-

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
4. पशुधन आधारित कृषि पद्धति			
4.1	संकरित गायें + मिश्रित खेती + चारा भैंसें + मिश्रित खेती + चारा गाय/भैंसें + दुग्ध उत्पादन + चारा गाय/भैंस + छोटे पशु	फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50%, आदान लागत की अधिकतम सीमा ₹ 40,000/– प्रति हे. है। आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 2 दुधारु पशु +1 हे. फसल प्रणाली सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	– तदैव –
4.2	छोटे पशु (रुमिनैन्ट्स) + मिश्रित कृषि + चारा मुर्गी पालन/बतख पालन + मिश्रित खेती मुर्गी पालन/बतख पालन + मत्स्य पालन + मिश्रित कृषि	फसल प्रणाली के कुल आदान लागत का 50%, आदान लागत की अधिकतम सीमा ₹ 25,000/– प्रति हेक्टेयर है। इस 50% आदान लागत में पशुओं की लागत एवं एक वर्ष का चारा सम्मिलित है। (पशुओं में 10 पशु/50 पक्षी+1 हेक्टेयर फसल प्रणाली (सीएस) सम्मिलित है) यह सहायता अधिकतम 2 हे. प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	
5.	मत्स्य आधारित कृषि पद्धति	फसल/सब्जी प्रणाली की कुल आदान लागत का 50%, जिसमें मछली पालन की लागत ₹ 25,000/– प्रति हेक्टेयर है। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित है।	– तदैव –
6.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन इकाई/हरी खाद	लागत का 50%, जो अधिकतम ₹125/– प्रति घन फुट तक सीमित होगा। स्थायी संरचना के लिए ₹ 50,000/– प्रति इकाई और एचडीपीई वर्मी बेड के लिए ₹ 8,000/– प्रति इकाई/हरी खाद के लिए लागत का 50%, जो अधिकतम ₹ 2,000/– प्रति हे. तक होगा और प्रति लाभार्थी 2 हे. तक सीमित होगा।	– तदैव –

S.No.	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
4. Livestock Based Farming System			
4.1	Cross Breed Cows + Mixed farming + Fodder Buffalo +Mixed farming +Fodder Cow/ buffalo+dairy+fodder cow/ buffalo + small ruminants	50% of input cost of Cropping System (CS) including cost of animals with one year concentrated food limited to Rs. 40,000/- per ha (2 milch animals + 1 ha CS)with permissible assistance of maximum 2 ha/beneficiary.	-do-
4.2	Small Ruminant + Mixed farming + Pasture Poultry/duckery + Mixed Farming Poultry/duckery + Fishery + Mixed Farming	50% of input cost of cropping system including cost of animals/birds with one year concentrated food limited to Rs. 25,000/- per ha(10 animals/50 birds + 1 ha Cropping System (CS) with permissible assistance of maximum 2 ha/beneficiary.	-do-
5.	Fishery Based Farming System	50% of input cost of cropping/ vegetable system including cost of fish farming limited to Rs. 25.,000/- per ha with permissible assistance of maximum 2 ha/beneficiary	-do-
6.	Vermi -compost Units/Organic Inputs Production Unit, Green Manuring	50% of cost subject to a limit of Rs. 125/- per cubic ft. Maximum permissible assistance shall be Rs. 50,000/- per unit for permanent structure and Rs. 8,000 per unit for HDPE vermin bed. 50% of cost limited to Rs. 2,000/- per ha and restricted to 2 ha per beneficiary for green manuring.	-do-

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	सहायता की मात्रा	स्कीम
7.	पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्धता हेतु साइलेज बनाना	ईंट और सीमेंट मसाला से 2100–2500 घनफुट का साइलो पिट (भूमि के नीचे अथवा भूमि के ऊपर) बनाना तथा साथ में चारा कटर एवं तराजू का प्रावधान	साइलो पिट चारा कटर और तौलने की तराजू से साइलेज बनाने के लिए 100% सहायता, जो प्रति कृषि परिवार ₹ 1.25 लाख तक सीमित होगी।
8.	कटाई पश्चात भण्डारण/एनटीएफपी का मूल्य संवर्द्धन	अधिक आर्थिक लाभ लेने के लिए कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु छोटे गांव स्तर पर भण्डारण/पैकिंग/प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण	भण्डारण/ प्रसंस्करण इकाई के लिए पूंजी लागत का 50%, जो अधिकतम ₹ 4,000/– प्रति वर्ग मीटर की सीमा में होगा और प्रति यूनिट ₹ 2 लाख की अधिकतम सहायता दी जा सकती है।

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा)

S.No.	Type of Assistance	Quantum of Assistance	Scheme
7.	Silage making for increased availability of green fodder round the year.	Construction of silo Pit of 2100-2500 cubic feet with brick and cement mortar (either below ground or above ground) with provision of Chaff Cutter and Weighing Balance	100 % assistance for silage making unit consisting of Silo Pit Chaff cutter and Weighing Balance limited to Rs. 1.25 lakh per farm family.
8	Post Harvest Storage / Value addition of NTFP	Small village level storage / packaging / processing unit for value addition to the produce of farming system to fetch better economic returns	50 per cent of capital cost subject to a limit of Rs. 4000 /- per square meter of storage / processing unit. Maximum permissible assistance shall be restricted to Rs. 2 lakh per unit.

Whom to Contact ?

District Agriculture Officer / District Horticulture Officer / Project Director ATMA

Portals Developed by DAC&FW for Farmers

SOIL HEALTH CARD

राष्ट्रीय कृषि बाजार

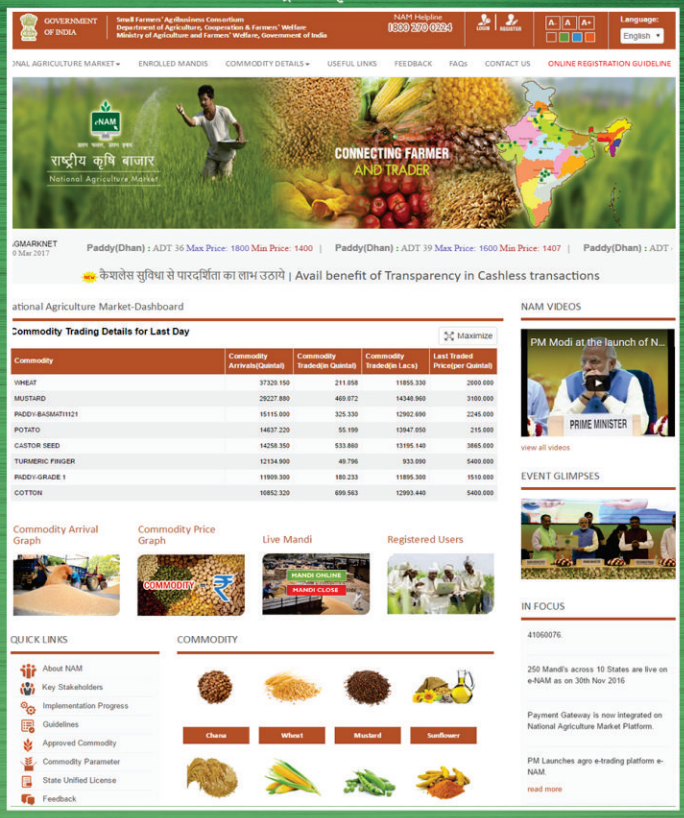

सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

www.agriculture.gov.in

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

www.agricoop.gov.in

किसानों के लिए पोर्टल

www.farmer.gov.in

किसानों के लिए मोबाइल सेवाएं

www.mkisan.gov.in

किसान कॉल सेंटर

1800-180-1551

facebook.com/agriGoI

twitter.com/agrigoi

MOBILE APPS FOR FARMERS

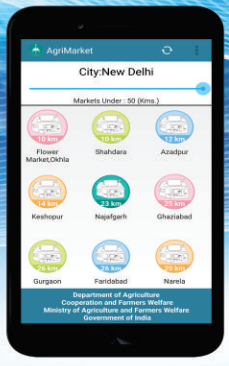

Agri-Market

Pusa Krishi

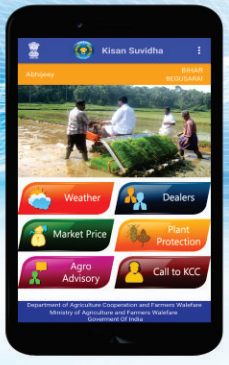

Kisan Suvidha

Crop Insurance

Published by : Directorate of Extension, IASRI Campus, Pusa, New Delhi-110012

Compiled by : Dr. K.P. Wasnik, Addl. Commissioner (Extension), Dr. Ramesh Chand, Joint Director (Extension)

Layout Design & Printed at : M/s Royal Offset Printers, A-89/1, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028 Phone: 9811622258

(March 2017, 10,000 Copies)